खण्ड ६—अंक २९
२५ अगस्त, १९५६ (शनिवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha
(XIII Session)

(खण्ड ६ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पच्चीस नये पैसे (देश में) १ शिलिंग (विदेश में)

221 L.S.D./56

विषयसूचि

(भाग १—खंड ६—अंक २१ से ४०—१३ अगस्त से ८ सितम्बर, १९५६)

पृष्ठ

अंक २१—सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९४ से १००४, १००६ से १००८, १०१० से १०१२ १०१५, १०१६, १०१८, १०१९, १०२१, १०२२, १०२५ और १०२६ . . . . . ६०१–२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००५, १००९, १०१३, १०१४, १०१७, १०२०, १०२३, १०२४, १०२७ से १०२९ और १०३१ से १०४९ ९२३–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०४ से ६११ और ६१३ से ६५२ . . ९३४–४९

दैनिक संक्षेपिका ९५०–५३

अंक २२—मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५०, १०५१, १०५३, १०५४, १०५६ से १०५८, १०६०, १०६१, १०६४, १०६५, १०६७, १०६८, १०७१ से १०७५ १०७७ से १०७९ और १०८१ . . . . ९५५–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५२, १०५५, १०५९, १०६२, १०६३, १०६६, १०६९, १०७०, १०७६, १०८०, १०८२ से १११३ और ७७७ . . . . . ९७५–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५३ से ६७९ . . . ९९१–१०००

प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि १०००

दैनिक संक्षेपिका १००१–०४

अंक २३—गुरूवार, १६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से ११२० ११२२ से ११२८, ११३२ से ११३८, ११४०, ११४२ से ११४४ और ११४७ . . १००५–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२१, ११२७, ११२९, से ११३१, ११३९ ११४१, ११४५, ११४६ और ११४८ से ११६१ . . १०२५–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७३० . . . . १०३४–६०

दैनिक संक्षेपिका १०६१–६४

पृष्ठ

अंक २४—शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३ से ११६९, ११७१, ११७२ और ११७४ से ११८४ . . . . . १०६५–८६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० . . . . १०८६–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११७०, ११७३, ११८५ से ११९१ और ११९३ से १२०३ . . . . . १०८८–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३९ और ७४१ से ७६९ . . १०९५–११०६

दैनिक संक्षेपिका ११०७–०९

अंक २५—सोमवार, २० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०८, १२११, १२१४, १२१६, १२१७, १२१९, १२२४, १२२५, १२२८ से १२३४, १२३७ से १२४० और १२४४ . ११११–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०७, १२०९, १२१०, १२१२, १२१३ १२१५, १२१८, १२२० से १२२३, १२२६, १२४२, १२४३ और १२४५ से १२५३ . . . . . ११३२–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७० से ८०५ और ८०७ . . ११४०–५३

दैनिक संक्षेपिका ११५४–५७

अंक २६—बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५४ से १२५६, १२५८ से १२६०, १२६२, १२६३ १२६५, १२६७, १२६९ से १२७२, १२७४, १२७५ और १२७८ से १२८० . . . . . ११५९–७९

अल्प सूचना प्रश्नसंख्या ११ . . . . ११८०–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२६१, १२६४, १२६६, १२६८, १२७३, १२७६, १२७७, १२८१ से १२९१, १२९३ से १३०० और ११९२ . . . . . ११८२–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८२० और ८२२ से ८५५ . ११९०–१२०४

दैनिक संक्षेपिका १२०५–०७

पृष्ठ

अंक २७—गुरूवार, २३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से१३०५, १३०७, १३११ ,१३१२, १३१६, १३१३, १३१९, १३२२ से १३२५, १३२७, १३४० और १३२९ से १३३२ . . . . . १२०९–२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . १२२९–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६, १३०९, १३१०, १३१४, १३१५, १३१७ १३१८, १३२०, १३२१, १३२६, १३२८, १३३३, से १३३८, १३४१ और १३४२ . . . . . १२३१–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८८४ . . १२३७–४९

दैनिक संक्षेपिका १२५०–५२

अंक २८—शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४३ से १३४८, १३५० से १३५२, १३५५, १३५७, १३६०, १३६१, १३६४, १३६५, १३६८, से १३७२ और १३७४ से १३७७ . . . . . १२५३–७५

कुछ आपत्तिजनक बातों के बारे में अध्यक्ष के विचार . १२७५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४९, १३५३, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९ १३६२, १३६३, १३६६, १३६७, १३७३ और १३७८ से १३९७ . १२७७–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ८८९ और ८९१ से ९३३ . . १२८६–१३०३

दैनिक संक्षेपिका १३०४–०७

अंक २९—शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९८, १४००, १४०१, १४२८, १४०२ से १४०५ १४०७, १४०९ से १४१२, १४१५, १४१८ और १४१९ १३०९–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९९, १४०६, १४०८, १४१३, १४१४, १४१६ १४१७, १४२० से १४२७ और १४२९ से १४४९ . १३२८–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३४ से १०१२ . . . १३३९–७०

दैनिक संक्षेपिका १३७१–७५

पृष्ठ

अंक ३०—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५२, १४५४ से १४५९, १४६१ से १४६५, १४७०, १४७१, १४७३, १४७५ से १४७७, १४७९ और १४८० . १३७७–९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ और १४ . . १३९९–१४०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५०, १४५१, १४५३, १४६०, १४६६ से १४६९ १४७२, १४७४, १४७८ और १४८१ से १४८९ . . . १४०३–१०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से १०३३ और १०३५ से १०६१ . १४१०–२७

दैनिक संक्षेपिका १४२८–३०

अंक ३१—मंगलवार, २८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९०, १४९२, १४९१, १४९३, १४९४, १४९६ से १५००, १५०२, १५०७ से १५०९, १५१२ और १५१३ . . १४३१–५१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ . . . . . १४५१–५३

अल्प सूचमा प्रश्न के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण के बारे में १४५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९५, १५०१, १५०३ से१५०६, १५१०, १५११ १५१४ से १५२० और १५२२ से १५३२ . १४५३–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६२, १०६३, १०६५ से १०६९, १०७१ से १०७३ और १०७५, से १०८५ . . . . १४६२–६९

दैनिक संक्षेपिका १४७०–७३

अंक ३२—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३४, १५३६, १५३७, १५३९ से १५४५, १५५२ १५५३, १५५८ से १५६१, १५६३, १५६४ और १५६६ से १५६८ १४७५–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३३ १५३५, १५३८, १५४६ से १५५१, १५५४ से १५५७, १५६५, १५६९ से १५८१ और १५८३ से १५८५ . १४९७–१५०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १०८६ से ११७४ . . . १५०७–३९

दैनिक संक्षेपिका १५४०–४५

पृष्ठ

अंक ३३—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६ से १५९२, १५९४ से १६०१, १६०३, १६०४, १६०६ १६०८, १६०९ और १६१२ . . . १५४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ . . . . १५६९–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९३, १६०२, १६०५, १६०७, १६१०, १६११ और १६१३ से १६२९ . . . . १५७१–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या ११७५ से १२११ . . . १५७९–९३

दैनिक संक्षेपिका १५९५–९७

अंक ३४—शनिवार, १ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३० से १६३९, १६४३, १६४४, १६४६ से १६४८ १६५०, १६५३, १६५४, १६५६, १६५७ और १६६०से १६६२ १५९९–१६२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४० से १६४२, १६४५, १६४९, १६५१, १६५२ १६५५, १६५८, १६५९ और १६६३ से १६८१ . . १६२१–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . . १६३०–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१२ से १२५० . . . १६३१–४३

दैनिक संक्षेपिका— १६४४–४६

अंक ३५—सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८२ से १६८७, १६८९ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७०१ और १७०३ से १७०७ . . . १६४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ और १९ . . . . १६६९–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८८, १६९५, १६९७, १७०२, १७०८ से १७२१ १६७३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५१ से १२८७ . . . १६ ८–९

दैनिक संक्षेपिका १६९४–९६

पृष्ठ

अंक ३६ —मंगलवार, ४ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२२ से १७३०, १७५२, १७३३ से १७३५, १७३७ से १७४० और १७४२ से १७४४ . . . १६९७–१७२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७३२, १७३६, १६४१, १७४५ से १७४७, १७४९ से १७५१, १७५३ से १७६१ और १७६३ से १७६८ . . १७२०–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८८ से १३२९ . . . १७२९–४१

दैनिक संक्षेपिका १७४२–४५

अंक ३७—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७६९ से १७७८, १७८० से १७८३, १७८५, १७८६ और १७८८ से १७९१ . . . १७४७–६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७९, १७८४, १७८७, १७९२ से १७९७ और १७९९ से १८१४ . . . . . १७६९–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३३० से १३६७ . . . १७७८–९५

दैनिक संक्षेपिका— १७९६–९९

अंक ३८—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१५ से १८२१, १८२५, १८२६, १८२९, १८३० और १८३२ से १८३६ . . . . १८०१–२०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० . . . . १८२०–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२ से १८२४, १८२७, १८२८, १८३१, १८३७ से १८६३ और १८६५ से १८६९ . . . १८२२–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १३६८ से १४१९ . . . १८३३–५२

दैनिक संक्षेपिका १८५३–५६

पृष्ठ

अंक ३९—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७०, १८७२ से १८७९, १८८२ से १८८६ और १८८८ से १८९३ . . . १८५७–७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७१, १८८०, १८८७ और १८९४ से १९०३ . १८७९–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४२० से १४४९ . . १८८३–९३

दैनिक संक्षेपिका — . . . १८९४–९६

अंक ४०—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९०४, १९०९ से १९१२, १९१४ १९१६, १९१८ १९१९ १९२१, १९२४ से १९२७ और १९३० से १९३४ . १८९७–१९१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५ से १९०८, १९१३, १९१५, १९२०, १९२२ १९२३, १९२८, १९३५ से १९४१, १९४३ और १९४४ . १९१८–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४५० से १४७९ और १४८१ से १४८८ . १९२४–३८

दैनिक संक्षेपिका १९३९–४१

भा० स० मु० ना० —वि०३—२४२ लोक सभा ५६—२३-४-५८—१९०

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेलवे में प्रोत्साहन और बोनस

*१३९८. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राक्कलन समिति के इस सुझाव पर विचार कर लिया है कि रूस में प्रचलित प्रोत्साहन और बोनस प्रणाली को भारत में रेलवे विभाग में चालू किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निश्चय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) इस पर विचार किया जा रहा है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

†**श्री डाभी** : रूस में किस प्रकार के बोनस और प्रोत्साहन आदि दिये जाते हैं ?

†**श्री अलगेशन** : जो शिष्ट मंडल रूस गया था उसने हमें इस संबंध में कुछ बातें बताई थीं। उनकी सिफारिशों पर भी विचार किया जा रहा है। मैं इस योजना का ब्योरा तो नहीं बता सकूंगा, परन्तु जहां तक चितरंजन के इंजन बनाने के कारखाने का संबंध है, वहां के कुछ कर्मचारियों के लिये तो यह प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित भी की जा चुकी है।

†**श्री फीरोज गांधी** : क्या यह सच है कि चितरंजन में प्रोत्साहन और बोनस देने की पद्धति को कार्यान्वित किया जा रहा है और, यदि हां, उसके क्या परिणाम हुए हैं ?

†**श्री अलगेशन** : श्रीमान्, मैंने अभी कहा था कि चित्तरंजन में प्रोत्साहन देने की योजना को कार्यान्वित किया गया है।

†**श्री फीरोज गांधी** : क्या वह वहां कार्यान्वित है ?

†**श्री अलगेशन** : जी हां, यही तो मैं ने कहा था।

†मूल अंग्रेजी में

1—221 L. S./56

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि इस योजना को प्रवर्तित करने का क्या परिणाम हुआ है।

†**श्री अलगेशन** : श्रीमान्, मैं केवल यही कह सकता हूं कि यह योजना संतोषप्रद ढंग से कार्य कर रही है और उसके परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। अब इस योजना को अन्य वर्कशापों में भी लागू करने के प्रश्न की जांच करने के लिये हमने एक विशेष पदाधिकारी को नियुक्त किया है।

†**श्री फीरोज गांधी** : क्या रेलवे मंत्रालय ने इस प्रश्न पर भी विचार करने का कोई प्रयत्न किया है कि यदि किसी वर्कशाप के श्रमिक, रेलवे के समक्ष यह प्रस्ताव रखें कि वर्तमान अथवा पिछले एक या दो वर्षों में जितना उत्पादन किया जा रहा था, वे उसकी अपेक्षा २५ अथवा ५० प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ाने के लिये तैयार हैं, तो क्या मंत्रालय चित्तरंजन वर्कशाप की योजना को उस विशिष्ट वर्कशाप पर भी लागू करने के प्रश्न पर विचार करेगा ?

†**श्री अलगेशन** : यही तो हमारा उद्देश्य है। हम यही तो चाहते हैं कि प्रोत्साहन और बोनस देने की योजना को अन्य वर्कशापों पर भी लागू किया जाये और इसी पर इस समय विचार किया जा रहा है।

†**श्री फीरोज गांधी** : इस विचार में कितना समय लगेगा, क्योंकि यह योजना तो, मेरे विचार में, अब लगभग दो वर्षों से लागू है ?

†**श्री अलगेशन** : इस योजना को सफल बनाने के लिये हमें दर निर्धारित करने वाले कर्मचारियों की आवश्यकता है और इनको प्रशिक्षित करने में काफी समय लगता है। मुझे बताया गया है कि दरें निर्धारित करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में दो-तीन वर्ष लगते हैं। इसलिये, जब भी इस योजना को लागू किया जाये, उसके लिये हमारे पास ये कर्मचारी होने चाहियें। यदि ये हों, तो योजना पर विचार पूरा कर उसको लागू किया जा सकता है।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : मैं समझता हूं कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में सरकार वर्तमान कर्मचारियों तथा अन्य आवश्यक चीजों का उपयोग विस्तृत प्रयुक्ति के लिये करेगी, जिससे अधिक संख्या में माल डिब्बों को चलाया जा सके। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इनके लिये भी प्रोत्साहन और बोनस देने की योजना लागू की जायेगी जिससे कि माल-डिब्बों के वहन में शीघ्रता की जा सके ?

†**श्री फीरोज गांधी** : अर्थात्, गाड़ियों के साथ चलने वाले कर्मचारियों (रनिंग स्टाफ) के संबंध में।

†**श्री अलगेशन** : सम्भवत: माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसको गाडियों के साथ चलने वाले कर्मचारियों पर भी लागू किया जाय। इस समय यह योजना केवल वर्कशापों के ही संबंध में ही है और इसको गाड़ियों के साथ चलने वाले कर्मचारियों पर लागू करने का कोई विचार नहीं है।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या समय और गति संबंधी यह अध्ययन स्वयं रेलवे के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा अथवा औद्योगिक व्यवसायियों के परामर्शदाताओं को सौंपा जायेगा जिनको इस प्रकार के अध्ययन का विशेषज्ञ माना जाता है ?

†**श्री अलगेशन** : इस प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन केवल चित्तरंजन में ही किया गया है। मैं समझता हूं कि रेलवे पदाधिकारियों ने स्वयं यह अध्ययन किया है।

†**श्री मुहीउद्दीन** : क्या इस प्रोत्साहन प्रणाली को लागू करने के लिये चित्तरंजन वर्कशाप के संबंध में निम्नतम मजूरी पर प्रशस्त उत्पादन को नियत किया गया है ?

†**श्री अलगेशन** : प्रत्येक प्रकार के कार्य के लिये एक सिद्धांत निर्धारित कर दिया गया है और उसी के आधार पर इसको प्रवर्तित किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपनगरीय रेलवे सेवायें

†*१४००. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या रेलवे मंत्री २ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८६६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उपनगरीय रेलवे सेवाओं में जिस समय लोग अत्यधिक संख्या में यात्रा करते हैं उस समय भारी भीड़ की समस्या की जांच करने के लिये जो समिति नियुक्त की गई थी, क्या उसकी सिफारिशों पर विचार किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है ; और

(ग) उन्हें लागू करने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) से (ग). प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : इस बात को देखते हुए कि प्रतिवेदन चार या पांच महीने पहिले प्रस्तुत किया गया था क्या मैं जान सकता हूं कि निष्कर्षों को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री अलगेशन** : जी, हां, इसे अप्रैल में प्रस्तुत किया गया था। हाल ही में रेलवे के मुख्य चालन अधीक्षकों की बैठक में भी इस पर विचार किया गया था। और जो सुझाव दिये गये हैं उन पर बोर्ड द्वारा अग्रेतर विचार किया जायेगा और उन पर निर्णय करने में हमें अधिक समय नहीं लगेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या रेलवे बोर्ड ने अपने निष्कर्षो को अन्तिम रूप देने से पहिले इन सिफारिशों के प्रति बम्बई नगर निगम के विरोध पर भी विचार किया है ?

†**श्री अलगेशन** : उन्होंने कई सिफारिशें की हैं। मुझे मालूम नहीं कि बम्बई नगर निगम ने किस विशिष्ट सिफारिश पर आपत्ति की है। मुझे मालूम नहीं है।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : बम्बई नगर निगम ने कार्यालय में काम के घंटों के संबंध में विभिन्नता के संबंध में सिफारिश पर कड़ी आपत्ति की है। मैं जानना चाहता हूं कि वह किस प्रक्रम में है।

†**श्री अलगेशन** : निःसंदेह इस संबंध में हम किसी को विवश नहीं कर सकते हैं कि कार्यालय में काम के समय के लिये कोई विशिष्ट समय नियत किया जाए। मेरे विचार में जैसी स्थिति अब है उसमें भी कार्यालय में काम का समय सवेरे साढ़े नौ बजे से साढ़े दस बजे के बीच अलग अलग होता है। इसलिये कुछ विभिन्नता पहले से ही कार्यान्वित है। क्या इसे अन्य स्थानों पर भी लागू किया जा सकता है इस बात पर विचार किया जाएगा। परन्तु विचार यह था कि इसे पहले रेलवे कार्यालयों पर लागू किया जाए और उस संबंध में निर्णय किया जाए।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : यदि उस समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया जाता है तो क्या यह परिगणित किया गया है कि अतिरेक राशि कितनी खर्च होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम एक बात से दूसरी बात पर पहुंच रहे हैं। यह केवल उपगनरीय रेलवे सेवाओं के संबंध में है। कार्यालय में काम करने के समय इत्यादि के संबंध में विभिन्नता के लिये कई अन्य सुझाव हैं। यह बात इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं है।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : श्रीमान्, कुछ सिफारिशें की गई हैं। अतिरिक्त गाड़ियों को चलाने या अन्य बातों के कारण यदि परिणामस्वरूप अतिरेक परिव्यय होता है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस खच होने वाले अतिरेक परिव्यय का कोई प्राक्कलन मालूम किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगशन** : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार द्वारा जांच को केवल उपनगरीय रेलवे में अति भीड़ तक ही सीमित रखा जायेगा या उन स्थानों पर भी जांच की जायगी जहां सारे वर्ष सदा अति भीड़ रहती है ?

†**श्री अलगेशन** : यह अधिकतर सामान्य प्रश्न है । इस प्रश्न का संबंध उपनगरीय अति भीड़ से है, अर्थात् मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के नगरों के इर्द गिर्द के क्षेत्रों में चलने वाली गाड़ियों में अति भीड़ से है । समिति ने इन क्षेत्रों में अति भीड़ के प्रश्न पर विचार किया था और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं, और प्रश्न का सम्बन्ध उससे है । अति भीड़ के संबंध में सामान्य प्रश्न निःसंदेह सदैव निरंतर विचाराधीन रहता है ।

†**श्रीमती जयश्री** : क्या यह सच है कि उपनगरीय रेलवे सलाहकार समिति ने इन सभी सिफारिशों पर विचार किया था और उन्होंने स्त्रियों के पृथक डिब्बे को हटाने की सिफारिश का विरोध किया था ?

†**श्री अलगेशन** : जी, हां, हमने एक उपनगरीय रेलवे उपभोक्ता समिति भी स्थापित की है । उनकी सिफारिशें मेरे पास नहीं हैं । परन्तु स्त्रियों का पृथक डिब्बा रखने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : उन उपनगरीय रेलवे क्षेत्रों के संबंध में, जिनके विद्युतीकरण का निर्णय सरकार ने किया है—और इस समिति ने भी यही सिफारिश की है—क्या मैं जान सकता हूं कि आवश्यक सामग्री के आयात जैसे कामों को शीघ्र ही पूरा किया जायेगा ?

†**श्री अलगेशन** : जी हां, इसका निर्णय बहुत पहले किया गया था । कलकत्ता में बिजली लगाने का निर्णय बहुत पहले किया गया था और योजनालेख के अनुसार कार्य हो रहा है—हो सकता है कुछ विलम्ब हो ।

†**श्री फीरोज गांधी** : बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियों की बारबारता में वृद्धि करने के लिये केन्द्रीयित यातायात नियंत्रण का प्रस्ताव है । मैं यह जानना चाहता हूं कि बम्बई में कितने स्थानों पर, कलकत्ता में कितने स्टेशनों पर और मद्रास में कितने स्टेशनों पर मंत्रालय का केन्द्रीयित यातायात नियंत्रण का प्रस्ताव है और कितने स्टेशनों पर इलैक्ट्रो-न्यूमैटिक सिगनलिंग का विचार है ?

†**श्री अलगेशन** : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री डाभी ।

†**श्री अच्युतन** : एक और प्रश्न—प्रश्न संख्या १४२८ है जिसका विषय भी यही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या १४२८ का संबंध रेलवे मुख्यालय से है और प्रश्न संख्या १४०१ का संबंध विभाग मुख्यालय से है ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : वे दो विभिन्न प्रश्न हैं और उनके विषयों का संबंध भी दो विभिन्न रेलवे से है । इसलिये इन्हें इकट्ठा नहीं मिलाया जा सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : दोनों प्रश्नों का संबंध विभाग मुख्यालय से है ।

†**श्री अलगेशन** : एक का संबंध पश्चिमी रेलवे तथा दूसरे का दक्षिणी रेलवे से है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि मंत्री को सुविधा हो तो वह उत्तर दे दें । अन्यथा उन पर पृथक रूप से विचार किया जाएगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : दोनों प्रश्नों का इकट्ठा उत्तर देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है।

विभाज मुख्यालय

†*१४०१. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा अहमदाबाद को पश्चिमी रेलवे का एक विभाज मुख्यालय न बनाने के सरकार के निर्णय के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिये सरकार को कई अभ्यावेदन दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां।

(ख) सरकार उनकी प्रार्थना को पूरा नहीं कर सकी है।

रेलवे मुख्यालय

†*१४२८. **श्री अच्युतन** : क्या **रेलवे** मंत्री २ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६३५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओलाराकोट में प्रस्तावित विभाग रेलवे मुख्यालय का निर्माण कार्य कितने समय के लिये बन्द किया गया है या उसमें विलम्ब हुआ है; और

(ख) इस निर्माण का प्राक्कलित व्यय क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जून १९५६ के अन्तिम सप्ताह से लगभग एक महीने के लिये काम में विलम्ब हुआ था।

(ख) लगभग १,५८,००० रुपये।

†**श्री अच्युतन** : संसद् के एक दर्जन सदस्यों तथा विधान सभा के सदस्यों की एक बहुसंख्या के अतिरिक्त कई मलयालम समाचारपत्रों, व्यापारमंडलों, कई एक नगरपालिकाओं द्वारा, जिनमें पालघाट भी शामिल है तथा राजनीतिक दलों ने रेलवे मंत्री से अपील की है कि डिविज़नल मुख्य कार्यालय के लिये सर्वोत्तम स्थान शोरानुर है तथा ओलवक्कोट नहीं है। इन सब को दृष्टि में रखते हुए मैं पूछ सकता हूं कि ओलवक्कोट को ही डिविज़नल मुख्य कार्यलय का स्थान निश्चित करने में और क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई है।

†**श्री अलगेशन** : प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य को स्वयं सारी परिस्थिति का पता है। उस क्षेत्र से आने वाले सदस्यों से कई बार विचार विमर्श हो चुका है। वास्तव में उनके पास बैठे हुए दो माननीय सदस्य भी उनके प्रश्न के एक भाग का उत्तर दे सकेंगे। मैं कह सकता हूं कि प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए यही फैसला किया गया था कि डिविज़नल मुख्य कार्यालय को ओलवक्कोट में ही रहने देने के निर्णय को स्थिर रखा जाय।

†**श्री अच्युतन** : क्या यह सच नहीं है कि योजना आयोग ने कई बार यह कहा है कि विकास योजनाओं के मामले में प्रादेशिक विचारणीय बातों को भी सामने रखा जाना चाहिये, तथा मैं यह जानना चाहता हूं कि जब वहां डिविज़नल इंजीनियरों का कार्यालय है,लोको शैड है तथा सस्ती मज़दूरी और सस्ती भूमि है तो शोरनुर को डिविज़नल मुख्य कार्यालय क्यों न चुना जाय ? सरकार ने ओलवक्कोट को डिविज़नल मुख्य कार्यालय किन बातों के विचार से चुना है ? वहां पर पहले से ही

---

†मूल अंग्रेजी में

सामुदायिक परियोजना, एक अधियोगी सम्पदा एक स्लीपर फैक्टरी है तथा मालमपुज्हा योजना काम कर रही है और वह शोरनुर से अधिक औद्योगिक क्षेत्र है और वहां पर ज़मीन अधिक महंगी है। ओलवक्कोट को चुनने में किन बातों को विचाराधीन रखा गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य किसी संकल्प पर नहीं बोल रहे हैं।

†**श्री अच्युतन** : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। जब सब बातें ओलवक्कोट के प्रतिकूल हैं तो सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों किया कि शोरनुर को डिविज़नल मुख्य कार्यालय न बनाया जाय तथा ओलवक्कोट को बनाया जाय ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने जिन सब बातों का निर्देश किया है, वह संकल्प का विषय होती है। माननीय सदस्य सभी बातों को एक साथ नहीं मिला सकते हैं।

†**श्री अलगेशन** : मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। इसमें मैं उस स्थानीय प्रतिस्पर्धा का जिक्र नहीं करूंगा जो विभिन्न स्थानों के गुण दोषों के बारे में विद्यमान है। मैं कह सकता हूं कि उस क्षेत्र से सम्बद्ध सभी संसद् सदस्यों से कई बार विचार विमर्श भी हो चुका है। प्रारम्भ में डिविज़नल मुख्य कार्यालय को ओलवक्कोट में रखने का विनिश्चय किया गया था क्यों कि यह पालघाट के निकट है जहां पर हाई स्कूल हैं तथा कर्मचारीवृन्द के लिये अधिवास उपलब्ध है। जब किसी किसी विशेष स्थान पर डिविज़नल मुख्य कार्यालय स्थापित किया जाता है तो स्वभावतः हम कर्मचारीवृन्द के लिये अपेक्षित समस्त मकान नहीं बना सकेंगे। जब निकट ही एक बड़ा नगर हो तो कर्मचारी बिना कठिनाई के अधिवास ढूंढ़ लेते हैं। यह कुछेक बातें थी जिन्हें विचाराधीन रखा गया है।

जहां तक प्रादेशिक वितरण का संबंध है, दक्षिण रेलवे संबंधी डिविज़नल प्रणाली पर विचार करते समय स्वभावतः यह निश्चय किया गया था कि केरल क्षेत्र में कम से कम एक डिविज़नल मुख्यालय हो। मुझे सभा को केवल यह सूचना देनी है कि ओवलक्कोट स्थान केरल क्षेत्र में उतना ही है जितना कि किसी और क्षेत्र में।

†**श्री अ० म० थामस** : क्या शोरनुर केरल राज्य में अधिक केन्द्रीय स्थान न होगा, और यदि हां, तो सरकार ने उस पहलू पर ध्यान क्यों नहीं दिया ?

†**श्री अलगेशन** : उस पहलू पर भी विचार किया गया था क्योंकि अनेकों सदस्यों ने इसके बारे में हमसे कहा था और लिखा भी था। कुछेक लोगों का प्रतिनिधिमंडल भी हमारे पास आया था, तथा यह प्रतिनिधिमंडल ओलवक्कोट और अन्य स्थानों से आया था। इन दोनों स्थानों के लिये प्रतिद्वन्द्वी दावे थे। परन्तु शोरनुर की अपेक्षा ओलवक्कोट में अधिक सुविधाएं होने के कारण अन्त में यह विनिश्चय किया गया कि हम ओलवक्कोट में डिविज़नल मुख्यालय बनायें।

†**श्री डाभी** : पश्चिम रेलवे में अहमदाबाद नगर में कोई डिविज़नल मुख्यालय क्यों नहीं बनाया गया है ? अहमदाबाद एक केन्द्रीय स्थान है।

†**श्री अलगेशन** : हो सकता है कि अहमदाबाद न चुना गया हो, परन्तु मैं कहूंगा कि पश्चिम रेलवे पर १ अगस्त को बहुत से मुख्यालयों का उद्घाटन हुआ है। वे है : बम्बई, बडोदा, रतलाम, कोटा, जयपुर, अजमेर, राजकोट और भावनगर। आप देखेंगे कि बहुत से मुख्यालय गुजरात क्षेत्र में स्थित हैं।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : अहमदाबाद ने दुर्व्यवहार किया है।

†**श्री अलगशन** : इतने पर भी, यह कोई कारण न होता।

---

†मूल अंग्रेजी म ।

†**श्री डाभी** : मैं जानना चाहता था कि क्या .....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस बात पर, अर्थात्, रतलाम, आदि की अपेक्षा अहमदाबाद को क्यों प्राथमिकता दी जानी या न दी जानी चाहिये पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दूंगा। ये सारी बातें उस विषय संबंधी पत्र व्यवहार में हो सकती थीं। इनका विनिश्चय प्रश्न-काल में नहीं हो सकता। माननीय सदस्य केवल तथ्यों के बारे में पूछ सकते हैं कारणों या मतों के बारे में नहीं।

पर्यटन

*१४०२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन** मंत्री १४ मार्च, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने उस राज्य में पर्यटन का विकास करने के लिये जो प्रस्ताव भेजे थे क्या उनके बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वीकृत प्रस्तावों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ;

(ग) यदि नहीं, तो कब तक इस बारे में अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा है ; और

(घ) अन्तिम निर्णय करने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां।

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना की प्रतियां जिनमें उत्तर प्रदेश के लिये स्वीकृत हुए प्रस्ताव भी शामिल हैं, वे संसद् के पुस्तकालय में मिल सकती हैं।

(ग) तथा (घ). सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मुझे मालूम है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन उद्योग के विकास के लिये १,९३,२६,००० रुपये की मांग की थी और उसको उसके बदले कुछ ही लाख रुपये दिये गये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के साथ इतनी कम उदारता क्यों दिखाई गई है ?

†**श्री अलगेशन** : उत्तर प्रदेश ने १,९३,००,००० रु० की लागत की प्रस्थापनाएं भेजी हैं। यह एक बहुत बड़ी योजना थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रस्थापनाएं भेजी हैं उन सबको स्वीकार करने में असमर्थ हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्य को और सभा को बता दूं कि हमने बुद्ध जयंती समारोह के संबंध में सड़कों का सुधार, पुलों का निर्माण और विभिन्न स्थानों पर विश्राम-गृह जैसे कार्य, जो पर्यटन सुविधाओं में वृद्धि करते हैं, आरम्भ कर दिये हैं। उत्तर प्रदेश में इन सब कार्यों पर ९४.४१ लाख रुपये व्यय होंगे।

श्री भक्त दर्शन : जो योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजी थी उस में बुद्धिस्ट केन्द्रों के अलावा भी बहुत सी सड़कों के निर्माण के सुझाव रखे गये थे। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन सुझावों को बिलकुल समाप्त कर दिया गया है या किसी और हैड से—जसे रोड्ज़ विंग से—उनको बनाने का विचार किया जा रहा है ?

†**श्री अलगेशन** : स्वभावतः अन्य स्थान भी हैं। उदाहरणार्थ, यदि आप बनारस और सारनाथ को मिलाते हैं तो केवल बुद्ध-केन्द्रों के लिये ही सुविधा नहीं होती, क्योंकि ऐसी सड़कें अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के लिये भी सुविधाजनक सिद्ध होती हैं। अन्य प्रस्ताव भी हैं, मगर जैसा कि मैंने बताया कि धन की प्राप्यता के अधीन रहते हुए इस वर्ष ९४ लाख से कुछ अधिक रुपये की लागत के काम होंगे। ये सब कार्य हमें अन्य राज्यों और अन्य क्षेत्रों का ध्यान रखते हुए करने हैं। योजना में बहुत थोड़ी व्यवस्था की गयी है और हम इससे अधिक नहीं कर सकते जो हमने आरम्भ कर दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि पर्यटकों के वास्ते किन किन स्थानों को चुना गया है, उन स्थानों के नाम क्या हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। वह "किन किन स्थानों" के बारे में नहीं अपितु एक स्थान के बारे में पूछ सकती हैं।

†**श्री मात्तन** : मेरे राज्य में पेरियार झील पर क्रीड़ा पुण्यस्थल पर भारत से नहीं अपितु विदेशों से भी अधिक से अधिक पर्यटक आते हैं। वहां जो होटल है वह बहुत महंगा है। क्या उपमंत्री पर्यटकों के लिये वहां एक सस्ता होटल बनाने का प्रयत्न करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह उत्तर प्रदेश में है ? नें इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

एल्युमिनियम के यात्री व माल डिब्बे

†*१४०३. **श्री झूलन सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय एल्युमीनियम के कितने यात्री डिब्बे व माल के डिब्बे प्रयोग में हैं ;

(ख) इस किस्म के डिब्बों आदि पर किये गये प्रयोगों का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) उनके अधिक निर्माण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) एल्युमीनियम के चौखटे पर इस्पात के बने हुए बड़ी लाइन के ५० यात्री डिब्बे, ५० छतदार माल के डिब्बे और ५० खुले माल के डिब्बे।

(ख) अभी परिणाम जानने का समय नहीं है। कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार हो रहा है।

(ग) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० द्वारा बनने वाले ५० और यात्री डिब्बों पर प्रयोग किया जायेगा, तथा एल्युमीनियम के चौखटे के ५० और माल के डिब्बों का निर्माण विचाराधीन है।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या इस प्रयोग से अब तक प्रोत्साहानात्मक परिणाम निकले हैं और क्या इसे भविष्य में जारी रखने का विचार है ?

†**श्री अलगेशन** : मैं कह चुका हूं कि परिणामों का और अध्ययन होना चाहिये। इस बीच में, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० द्वारा बनाये जा रहे और ५० यात्री डिब्बों और ५० माल डिब्बों पर भी यह प्रयोग होगा।

†**श्री झूलन सिंह** : यात्री डिब्बों व माल के डिब्बों के निर्माण में इस्पात के बजाय एल्युमीनियम प्रयोग करने से अब तक इस्पात की कितनी बचत हुई है ?

†**श्री अलगेशन** : निश्चय, यदि आप एल्युमीनियम का चौखटा बनाते हैं तो यह इस्पात के बजाय प्रयोग होता है। हो सकता है कि प्रारम्भिक लागत अधिक हो, परन्तु एल्युमीनियम का चौखटा होने से यह हलका अवश्य होगा। दृढ़ निष्कर्ष निकालने से पहले इस प्रयोग के परिणामों का अधिक सावधानी के साथ अध्ययन किया जाना जाहिये।

†**श्री फीरोज गांधी** : एल्युमीनियम के प्रयोग से माल के डिब्बों के भार में कितनी कमी हुई है ?

†**श्री अलगेशन** : मैंने कहा था कि एल्युमीनियम के प्रयोग से, यथास्थिति, यात्री डिब्बे या माल के डिब्बे हलके हो जाते हैं, परन्तु मैं अन्तर नहीं बता सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह प्रतिशत जानना चाहते हैं।

†**श्री अलगेशन** : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जयपाल सिंह** : इस काम में जो एलोमीनियम प्रयोग होता है वह क्या स्वदेशी है या आयात किया हुआ है ? यदि यह आयात किया हुआ है तो क्यों आयात किया गया ?

†**श्री अलगेशन** : मैं यह बताने में असमर्थ हूं। मेरा ख्याल है कि यह स्वदेशीय है, परन्तु मुझे निश्चित रूप से पता नहीं है। मेरे इस कथन में शुद्धि हो सकती है।

सेठ गोविन्द दास : स्टील के वैगन्स और कोचैज़ में जितनी लागत लगती है और एल्युमीनियम के वैगन्स और कोचेज़ में जितनी लागत लगती है उसमें क्या फर्क है और क्या एल्युमीनियम के कोचेज़ और वैगन्स बनते हैं वे उतने दिन चलते हैं जितने दिन कि स्टील के चलते हैं ?

†**श्री अलगेशन** : मैं माननीय सदस्य का प्रश्न पूर्णतया नहीं समझ सका। क्या वह अपना प्रश्न अंग्रेजी में पूछने की कृपा करेंगे ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : वह एल्युमीनियम और इस्पात के यात्री डिब्बों और माल के डिब्बों की लागत का अन्तर और उनके चलने की अवधि का अन्तर जानना चाहते हैं।

†**श्री अलगेशन** : मैं इस्पात के चौखटे और एल्युमीनियम के चौखटे वाले यात्री डिब्बों का तुलनात्मक मूल्य बताता हूं। इस्पात के चौखटे वाले यात्री डिब्बे पर १,३०,००० रु० लागत आती है और एल्यूमीनियम के चौखटे वाले यात्री डिब्बे पर १,३३,७०० रु० लागत आती है। बड़ी लाइन के छतदार माल के डिब्बों के बारे में इस्पात के डिब्बे पर १२,१०० रु० लागत आती है और एल्यूमीनियम के चौखटे वाले डिब्बे पर १४,२०० रु० हैं। इस्पात के चौखटे के खुले डिब्बे पर ११,१०० रु० लागत आती है और एल्युमीनियम के डिब्बे पर १३,०४० रु०।

†**सेठ गोविन्द दास** : मैंने यह पूछा था कि क्या एल्युमीनियम के डिब्बे उतने ही समय तक चलेंगे जितने समय तक इस्पात के चलते हैं।

†**श्री अलगेशन** : इसका अध्ययन करना होगा। हमें पर्याप्त अनुभव अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अवधि के प्रश्न का अभी और अध्ययन करना पड़ेगा।

प्रबन्ध में मजदूरों को हिस्सा देना

†*१४०४. **श्री झूलन सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रारम्भ में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों के प्रबन्ध में, जहां कहीं सम्भव हो वहां मज़दूरों और टैक्नीसियनों को सम्बद्ध हिस्सा देने के लिये सरकार के औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प की कार्यान्वित के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में पहिले ही एक उपबन्ध है कि अधिनियम के अधीन बनी हुई कार्य समितियों के द्वारा कुछ श्रमिकों को प्रबन्ध से संबद्ध किया जाय। स्वेच्छा से बनी हुई उत्पादन समितियों द्वारा यह बहुत से उपक्रमों में लागू हो गया है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में प्रबन्ध में अधिक कर्मचारियों को सम्बद्ध करने की सिफारिश की गई है और उपबन्ध किया गया है कि वे संयुक्त प्रबन्ध परिषदों द्वारा प्रबन्ध में भाग ले सकते हैं। ऐसे सम्बन्धं की निश्चित सीमा और ढंग के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

†**श्री झूलन सिंह** : सरकारी क्षेत्र में जो उपक्रम प्रत्यक्षत: सरकार के अधीन हों, क्या उनमें से किसी में भी अब तक प्रबन्ध से मजदूरों को सम्बद्ध किया गया है ?

†**श्री आबिद अली** : रेलवे बोर्ड कुछ कारखानों में प्रबन्ध समितियों की यह प्रणाली लागू करने का विचार कर रहा है।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री बोस** : क्या अखिल भारतीय कर्मचारीवृन्द अधिकारियों ने हाल में ही उद्योगों के प्रबन्ध में कर्मचारियों के इस प्रकार के संबंध के विरुद्ध अपने मत प्रकट किये हैं और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री आबिद अली** : इस संबंध में उन्होंने कुछ कहा है परन्तु मुझे यह ठीक याद नहीं है कि वह सिफारिश क्या है ?

†**श्री कासलीवाल** : क्या सरकार को ऐसी कोई जानकारी है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ उद्योगों के प्रबन्ध में मजदूर सम्बद्ध किये गये हैं या नहीं तथा यदि हां, तो इस सम्बन्ध के क्या परिणाम रहे हैं ?

†**श्री आबिद अली** : मेरा ख्याल है कि हाल में ही मोदी नगर और अहमदाबाद की कुछ कपड़े की मिलों में यह प्रणाली लागू हुई है । अब टिस्को ने यह प्रणाली अपनाई है और यह नेपानगर में भी लागू हो गई है । अभी इस सम्बन्ध के परिणामों के बारे में निश्चित रूप से स्थिति निर्धारित नहीं की जा सकती ।

†**श्री कामत** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उपमंत्री के वरिष्ठ साथी, श्रम मंत्री, और मेरा ख्याल है कि प्रधान मंत्री भी, प्रबन्ध में मजदूरों को केवल सम्बद्ध करने की ही बात नहीं कहते अपितु उद्योगों में लाभ-विभाजन और सह-भागिता की, विशेषकर जब से अवांडी और अमृतसर में इनका पार्टी-संकल्प स्वीकार हुआ है, बात करते रहे हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अति निकट भविष्य में अपनी कार्यवाही की रूप रेखा निर्धारित करने के लिये कम से कम एक उद्योग में सरकार, प्रबन्ध और मजदूरों की एक त्रिदलीय कांफ्रेंस बुलाकर इस दिशा में कुछ शुरूआत की है ?

†**श्री आबिद अली** : इस मामले की विस्तृत व्याख्या सरकार के नीति संकल्प में की गई है । इन बातों पर हम औद्योगिक समितियों और सम्मेलनों में, जहां कहीं इन पर चर्चा करना सम्भव हो, चर्चा करते हैं ।

†**श्री कामत** : क्या निकट भविष्य में सरकार, प्रबन्ध और मजदूरों की कोई त्रिदलीय कांफ्रेंस होगी ?

†**श्री आबिद अली** : त्रिदलीय कांफ्रेंस होती हैं ।

†**श्री कामत** : इस विशिष्ट प्रयोजन के लिये ?

†**श्री आबिद अली** : हम इस प्रकार की केवल एक मद के लिये त्रिदलीय कांफ्रेंस नहीं बुलाते ।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : इन प्रबन्ध परिषदों के प्रयोजन और क्षेत्राधिकार के संबंधी अन्तिम विनिश्चय, जैसा कि योजना आयोग ने विनिश्चय किया है, कब घोषित किया जायेगा ?

†**श्री आबिद अली** : मैं पहिले ही बता चुका हूं कि इस मामले की जांच हो रही है ।

†**श्री म० कु० मैत्र** : सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रबन्ध में भाग लेते समय मजदूर कारखाने चलाने के संबंध में विनिश्चय कर सकते हैं या वे केवल मजदूर-मालिका सम्बन्धों पर विचार करते हैं ?

†**श्री आबिद अली** : मैं कह चुका हूं कि इस प्रकार सम्बन्ध की ठीक सीमा व ढंग पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी मे

रेलवे दुर्घटना दावे

†*१४०५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या रेलवे मंत्री १४ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७०९ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जलगांव में हुई रेलवे दुर्घटना में कुछ लोगों ने जो बोगस दावे किये थे उनकी जांच के क्या परिणाम रहे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जांचों से प्रकट हुआ है कि तीन मामले में दावेदारों ने झूठे आधार पर प्रतिकर प्राप्त किया है। ये सारे मामले अग्रेतर जांच के लिये पुलिस को दे दिये गये हैं।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : कुल कितना धन सन्निहित है ?

†**श्री अलगेशन** : इन तीनों दावों में ११,१५० रु० सन्निहित है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : यह जांच किसने की थी ?

†**श्री अलगेशन** : दावा आयुक्त पहिले प्रतिकर संबंधी पंचाट निर्णय देता है। दावा आयुक्त हैदराबाद का निवृत्त सत्र न्यायाधीश था। बाद में विदित हुआ कि कुछ लोग जीवित नहीं है। अब, वे मामले जांच पड़ताल के लिये पुलिस को दे दिये गये हैं।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या धन वापस लेने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री अलगेशन** : जी हां। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैंने यही कहा है।

†**श्री ह० ग० वैष्णव** : मृत्यु संबंधी कितने दावे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इन तीन मामलों में ?

†**श्री ह० ग० वैष्णव** : केवल इन तीन मामलों में ही नहीं। कुल दावों में ?

†**श्री अलगेशन** : केवल मृत्यु संबंधी कुल २८ दावे थे। मृत्यु व संपत्ति संबंधीं ९४ दावे थे।

भारतीय लाख उपकर समिति

†*१४०७. **श्री जयपाल सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय लाख उपकर समिति के कौन कौन सदस्य हैं ;

(ख) १९५२ से लेकर इस समिति की कुल कितनी बैठकें हुई हैं ; और

(ग) समिति में प्रतिनिधान में सुधार करने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३१**]

(ख) शासी निकाय की ७ और मंत्रणा बोर्ड की ८ बैठकें हुई। मंत्रणा बोर्ड और शासी निकाय की एक संयुक्त बैठक भी हुई है।

(ग) संसद् ने हाल में ही उत्पादकों के प्रतिनिधियों की संख्या को बढाने तथा संसद् और कुछ अन्य रुचि लेने वालों के प्रतिनिधियों का, पहिले जिनके प्रतिनिधित्व नहीं होते थे, उपबन्ध करने वाला एक विधेयक पारित किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री जयपाल सिंह** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम अब स्वतंत्र हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार विदेशी फर्मों को अब क्यों गुरुभार दे रही है ? उदाहरण के लिये मैं इस विधेयक में देखता हूं कि चपड़ा लाख बनाने वालें उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिये तीन सदस्य हैं और वे सब विदेशी हैं। उनमें से एक पाकिस्तानी है एक निर्यात के लिये और एक दलालों के लिये है। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी और यह व्यवस्था करेगी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विदेशी फर्मो को कोई गुरुभार न दिया जाये ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मुझे खेद है कि मेरे माननीय मित्र ने सभा में हुई चर्चा को अथवा जिस वास्तविक रूप में इस सभा में पारित किया गया था उसे समझा नहीं है। यह चीज अब नहीं है। उसे हमने अब कम कर दिया है और सभी उत्पादकों के लिये चार प्रतिनिधि रखे हैं। किसी विशिष्ट उद्योग के लिये कोई विशिष्ट प्रतिनिधान नहीं है। हम छोटे और बड़े उद्योगों को प्रतिनिधान को बदल सकते हैं।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : क्या यह सच है कि लाख उपकर का अन्तिम शेष प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है और यदि हां तो उसे उन कार्यों के लिये उपयोग में क्यों नहीं लाया जाता जिनके लिये वह रखा गया है?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यह सच है कि कुछ शेष इकट्ठा हो गया है। हम इस बात की व्यवस्था करेंगे कि वह अधिक समय तक न रहे।

†**श्री जयपाल सिंह** : लाख पैदा करने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है। सरकार के पास यह देखने के लिये क्या साधन हैं कि वास्तव में लाख पैदा करने वालों को ही प्रतिनिधित्व प्राप्त हो और दूसरों को नहीं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यही एक ऐसी समिति नहीं है , जहां हम लाख पैदा करने वाले लोगों के प्रतिनिधियों को मनोनीत करते हैं। मोटे तौर पर हम यह अवश्य कह सकते हैं कि विभिन्न वस्तुओं संबधी समितयों में वास्तव में ऐसे लोग हैं जिन्हें उत्पादन में दिलचस्पी है और जो उत्पादन करने वालों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य को उस समय उपस्थित रहना चाहिये था और विधेयक में दिलचस्पी लेनी चाहिये थी और विधेयक को अपनी इच्छा के अनुसार रूप देना चाहिये था। उन्होंने ऐसा तो किया नहीं किन्तु अब प्रश्न पूछ रहे हैं । अब प्रश्न पूछने का क्या लाभ है ?

†**श्री जयपाल सिंह** : माननीय मंत्री ने कहा कि वास्तविक उत्पादक ....

†**अध्यक्ष महोदय** : एक ही सप्ताह पूर्व विधेयक सभा में प्रस्तुत किया गया था। माननीय सदस्य को उपस्थित होना चाहिये था और वह इसके उपबन्धों को जैसा चाहते थे, बना सकते थे।

†**श्री जयपाल सिंह** : यह तो ठीक है। मेरा नम्र निवेदन है कि इस संशोधित विधेयक के कारण अभ्यावेदन किये गये हैं। उत्पादक करने वाले अधिकांशतया आदिवासी हैं। क्या कारण है कि समिति में एक भी आदिवासी नहीं है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : विधेयक में संशोधन कर दिया गया है। हम उसके अनुसार मनोनयन करने जा रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : आदिवासी भी मनोनीत किये जा सकते हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : उन्हें भी मनोनीत किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मोटर परिवहन कर्मचारी

*१४०९. **श्री बाल्मीकी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मोटर परिवहन कर्मचारियों की कार्य-दशा का विनियमन करने के लिये एक विस्तृत कानून बनाना चाहती है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : जी हां ।

श्री बाल्मीकी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन राज्यों में मोटर ट्रांसपोर्ट (परिवहन) का राष्ट्रीयकरण भी हो गया है उनमें इस दिशा में क्या कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री आबिद अली : जो स्टैन्डिंग लेबर कमेटी (स्थायी श्रम समिति) पिछली अप्रैल में हुई थी उसमें इस बारे में भी विचार किया गया था और यह फैसला हुआ है कि एक कानून मोटर ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों के बारे में लाया जाय । उसको मस्विदा बना कर स्टेट (राज्य) गवर्नमेंट्स (सरकारों) को भेज दिया गया है । उन की राय के आने के बाद हम उसको बहुत जल्द एक छोटी कमेटी के सामने पेश करेंगे । उस के बाद कानून यहां पेश करने का विचार है । जिन स्टेट्स में मोटर ट्रांसपोर्ट का राष्ट्रीयकरण हो गया है, वहां पर कर्मचारियों के लिये जो मोटर वेहिकल्स ऐक्ट (मोटर गाड़ी अधिनियम) है वह तो लागू होता ही है, और उसके अनुसार आपस में काफी समझौते हो चुके हैं जिन पर अमल किया जाता है ।

श्री बाल्मीकी : सरकारी और गैर-सरकारी मोटर ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले मजदूर कहां तक इससे प्रभावित होंगे ?

श्री आबिद अली : जहां तक कमर्शल मोटर ट्रांसपोर्ट एम्प्लायीज (कर्मचारी) का सवाल है, उन पर यह कानून लागू किया जायेगा, ऐसा निश्चय किया गया है ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : विधेयक का प्रारूप राज्य सरकारों को कब भेजा गया था ?

†**श्री आबिद अली** : लगभग एक मास पहले भेजा गया होगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या मैं जान सकता हूं कि इतना विलम्ब होने के क्या कारण हैं जब कि अप्रैल में स्थायी श्रम समिति की बैठक हुई थी और वह इस बात पर सहमत हुई थी कि ऐसा विधान बनाया जाये और उसे पांच महीने गुजर जाने के बाद राज्य सरकारों को भेजा जाता है ?

†**श्री आबिद अली** : यह निश्चय अप्रैल में किया गया था । उसके बाद हमें काफी जानकारी एकत्रित करनी थी । यह जानकारी इस देश में उपलब्ध नहीं है । हमें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और ऐसे देशों से यह जानकारी प्राप्त करनी पड़ी जहां ऐसे अधिनियम लागू हैं । इसके बाद प्रारूप बनाया जाता है । उसमें समय लगता है । यह किसी के मस्तिष्क की बहक नहीं जिसे एक कागज पर लिखा जा सकता है ।

†**श्री अच्युतन** : क्या सरकार यह बताने की स्थिति में है कि मोटर परिवहन उद्योग में सारे भारत में कुल कितने कर्मचारी हैं ।

†**श्री आबिद अली** : १९५१ के जनगणना प्रतिवेदन में बताया गया है कि परिवहन कर्मचारी ३८९,००० हैं । मोटर परिवहन के कर्मचारियों के लिये अलग आंकड़े नहीं हैं ।

†**पंडित च० ना० मालवीय** : जो कानून बनाया जायेगा उसमें क्या कोई ऐसी तजवीज है कि कोई ऐसी बाडी (निकाय) बनाया जाय जिसमें कि एम्प्लायीज की यूनियन्स के रिप्रेजेन्टेटिव भी शामिल हों ?

†**श्री आबिद अली** : जी हां, जो कमेटी (समिति) हम नियुक्त करेंगे उसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय पत्तन

†*१४१०. **श्री गिडवानी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पत्तनों में जहाजों को अत्यधिक समय तक रोके रखने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३१**]

†**श्री गिडवानी** : विवरण में कहा गया है कि जहाजों का इकट्ठा होना एक ऐसी बात है जिसके बारे में पत्तन के अधिकारी कुछ नहीं कर सकते। क्या माल को कांडला और भावनगर जैसे बीच के पत्तनों को नहीं भेजा जा सकता जिससे कि बड़े पत्तनों में जहाज इकट्ठे न होने पायें ?

†**श्री अलगेशन** : हां। माल को कांडला भेजने का प्रश्न हमारे विचाराधीन है। यह भी किया जा रहा है। इस प्रश्न के बारे में विदेशी नौवहन समवायों के साथ हमारी बातचीत हो रही है ताकि किसी विशिष्ट पत्तन पर जहाज इकट्ठे न होने पायें।

†**श्री गिडवानी** : कलकत्ता पत्तन में काम में लाने के लिये जर्मनी से जो २०० टन का क्रेन आयात किया गया है क्या वह इस समय काम कर रहा है ?

†**श्री अलगेशन** : यह तो मैं नहीं कह सकता। क्रेनों की संख्या अपर्याप्त है। अतिरिक्त यातायात को निबटाने के लिये सभी बड़े पत्तनों ने और क्रेन प्राप्त करने के लिये आर्डर दिये हैं।

†**श्री गिडवानी** : मैं जर्मनी से आयात किये गये २०० टन के क्रेन के बारे में पूछ रहा हूं।

†**श्री अलगेशन** : मेरे पास इस संबंध में जानकारी नहीं है।

†**श्री कासलीवाल** : माननीय मंत्री को स्मरण होगा कि गत वर्ष कुछ नौवहन समवायों ने यह शिकायत की थी कि भारतीय पत्तनों में माल उतारने में काफी विलम्ब होता है और इस कारण वे भाड़ा बढ़ाने का विचार रखते हैं। क्या वे सब कारण दूर किये गये हैं जिनके परिणामस्वरूप इन समवायों ने भाड़ा बढ़ाने की धमकी दी थी ?

†**श्री अलगेशन** : कुछ समय पहले पत्तनों में जो विलम्ब हुआ करता था उसे काफी घटा दिया गया है और मेरा ख्याल है कि नौवहन समवाय मौजूदा स्थिति से संतुष्ट है। अधिकार की धमकी भी वापिस ले ली गई है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या विलम्ब का एक मुख्य कारण यह है कि माल को जहाज से उतारने के बाद गोदामों में रखने के लिये पर्याप्त स्थान नहीं होता और इसका कारण यह है कि डिब्बे कम होने के कारण माल को शीघ्रता से नहीं ले जाया जा सकता ?

†**श्री अलगेशन** : इसके संबंध में भी हमने कई उपाय किये हैं। रेल यातायात निदेशक, कलकत्ता को समन्वय अधिकारी नियुक्त किया गया है। और वह लोहा और इस्पात, सीमेन्ट और अन्य खाद्यान्नों के आयात पर दृष्टि रखेगा। वह समन्वय करने वाला अधिकारी होगा। जहां तक स्थान ढूंढ़ने का संबंध है बम्बई और कलकत्ता के पत्तनों में माल रखने के लिये बड़े गोदाम बनाये गये हैं जहां उसे लोहा और इस्पात को जो परेषगी न ले गये हों, वहां भेजा जा सकेगा।

†**श्री मात्तन** : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि कोचीन पत्तन के प्रशासक ने यह शिकायत की है कि पत्तन में माल पर्याप्त नहीं आता और बहुत सा स्थान खाली पड़ा हुआ है और यदि हां तो क्या दक्षिण भारत के लिये प्रेषित माल के कुछ भाग को वे वहां भेजने की कृपा करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अलगेशन** : अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जहाजों को कोचीन बन्दरगाह भेजा जा रहा है। यह संतोष की बात है कि इन तीनों वर्षों में कोचीन पत्तन में कोई भीड़ भाड़ नहीं हुई और उसका कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का निवेदन यह है कि कोचीन बन्दरगाह में इतना स्थान खाली पड़ा है और माल को कोचीन भेजकर अन्य बन्दरगाहों में होने वाली भीड़ को कम किया जाये।

†**श्री अलगेशन** : केवल उसी बात को आधार नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिये जिस माल को उत्तर भारत भेजना है वह कोचीन नहीं ले जाया जा सकता .....

†**श्री मात्तन** : मैंने यह सुझाव तो नहीं दिया।

†**श्री अलगेशन** : इसके लिये उन्हें रेलगाड़ियों की व्यवस्था करनी होगी और संभव है कि इससे मामला और जटिल हो जाये।

†**श्री मात्तन** : मैंने दक्षिण भारत का उल्लेख किया था।

†**श्री अलगेशन** : इसीलिये मैंने यह कहा है कि अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए जहाजों को कोचीन होकर भेजने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

किताबों के पैकेटों पर डाक व्यय

†*१४११. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किताबों के पैकटों के डाक व्यय में वृद्धि के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर विचार किया गया है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। यह अभी विचाराधीन है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह समिति कब नियुक्त की गई थी और उसने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर में इतनी देर क्यों की है ?

†**श्री राज बहादुर** : समिति अगस्त, १९५५ में नियुक्त की गई थी और सरकार ने यह निर्धारित किया था कि उसे अपना प्रतिवेदन छः महीने के अन्दर प्रस्तुत कर देना चाहिये। उन्होंने दो बार इस अवधि को बढ़ाने की मांग की थी और प्रत्येक बार अवधि दो दो मास बढ़ा दी गई थी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यह समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पहले इंग्लैंड और सोवियत संघ जैसे देशों में डाक व्यय की मौजूदा दरों की जांच करेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : उसने यह कार्य समाप्त कर लिया है और जून के मध्य में उसने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। मेरा ख्याल है कि उसने अन्य देशों के तुलनात्मक दरों की जांच की होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस तरह के कई प्रश्न देखता हूं : "क्या प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है"? "नहीं"। "उसमें कितना समय लगेगा"? "दो महीने"। ये बातें ऐसी हैं जिनको यथासंभव छोड़ देना चाहिये। और बहुत सी ठोस बातें हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मैं पचास प्रतिशत प्रश्न भी निबटा नहीं पाता हूं और इसके अतिरिक्त प्रश्न पूछने वाले सदस्यों में से बहुत से अनुपस्थित होते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

हज को जाने वाले यात्री

*१४१२. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री कामत :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बम्बई-कलकत्ता मेल गाड़ी के, जो जून के अन्तिम सप्ताह में हज को जाने वाले यात्रियों को जबलपुर से बम्बई ले जा रही थी, इंजन पर पाकिस्तानी झंडा लगाया गया था ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : शायद किसी तीर्थ यात्री ने जबलपुर स्टेशन पर हरे रंग का एक तिकोना रेशमी झंडा गाड़ी के इंजन पर लगा दिया था। इसके किनारों पर चमकीला गोटा लगा हुआ था। अगले स्टेशन पर जहां गाड़ी खड़ी हुई यह झंडा उतार लिया गया।

यह झंडा पाकिस्तानी झंडा नहीं था।

†**श्री कामत** : क्या यह सच है कि जबलपुर रेलवे स्टेशन पर जब यह हरा झंडा लगाया गया था तब स्टेशन मास्टर और उसी रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले रेलवे के कुछ अन्य अधिकारी देख रहे थे और कुछ यात्रियों ने इस तरह झंडा लगाने का विरोध किया था और इसके बावजूद यह झंडा स्टेशन मास्टर और जबलपुर के रेलवे पदाधिकारियों ने हटाया नहीं था ?

†**श्री अलगेशन** : मेरे पास जो जानकारी है वह इस प्रकार है : मुसलमान हज के यात्रियों का एक दल बम्बई जा रहा था। जबलपुर में उनके लिये तीसरे दर्जे की एक अतिरिक्त बोगी लगाई गई थी। वहां से जा रहे मुख्य पुजारी के सम्मान में इंजन को माला पहनाने की अनुमति किसी ने मांगी थी और यह दे दी गई थी। इंजन को माला पहनाई गई थी। रेलगाड़ी के चलने के बाद किसी ने यह देखा—यह मेरी जानकारी है—कि इंजन पर एक हरा झंडा भी लगा हुआ है। इसलिये अगले स्टेशन को, जहां यह गाड़ी रुकती है, इस बात की सूचना एकदम दी गई और उस स्टेशन पर उन्होंने झंडा उतार लिया था। इसके बाद यह ज्ञात हुआ है कि वह पाकिस्तानी झंडा नहीं था बल्कि हरे रंग का एक और झंडा था।

†**श्री कामत** : क्या यह सच है कि बम्बई जाने वाली यह कलकत्ता मेल जब नरसिंहपुर पहुंची, जहां जबलपुर के बाद यह रेलगाड़ी रुकती है—इसके बारे में मुझे स्वयं ज्ञान है कि क्योंकि यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है ....

†**अध्यक्ष महोदय** : तब भी आपको स्वयं ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि आप यहां पर बैठे हुए हैं।

†**श्री कामत** : श्रीमान्, हाल ही में मैं वहां गया था। मुझे प्रत्यक्ष साक्षियों से मालूम हुआ है। क्या यह सच है कि नरसिंहपुर पहुंचने के बाद भी कुछ यात्रियों ने स्टेशन मास्टर से पुनः शिकायत की और हज के जो यात्री उस रेलगाड़ी में थे उन्होंने कुछ समय तक हरे झंडे के, चाहे आप उसे पाकिस्तानी कहें अथवा हरा कहें, हटाये जाने का विरोध किया और काफी समयोपरांत—लगभग आधा या पौन घंटे के बाद—नरसिंहपुर का स्टेशन मास्टर झंडे को इंजन से उतार पाया था ?

†**श्री अलगेशन** : मेरे पास इतनी विस्तृत जानकारी तो नहीं है। माननीय सदस्य ने जो जानकारी अभी दी है वह सही है या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। मेरे पास केवल इतनी ही जानकारी है कि रेलगाड़ी के अगले स्टेशन पर रुकने पर जब इस बात की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया, तो झंडे को शीघ्र ही हटा दिया गया था।

†**श्री कामत** : क्या माननीय मंत्री के पास यह जानकारी है कि हमारे देश के विभिन्न स्थानों में हरा झंडा लगाने की कई घटनायें विशेषकर आम चुनाव के बाद हुई हैं और क्या मंत्री महोदय हमें इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि सरकार इस सम्पूर्ण मामले की उपेक्षा नहीं कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या रेलवे मंत्री सारी सरकार की ओर से उत्तर देंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : माननीय मंत्री कुछ तो कर सकते हैं ।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस बात का सरकार ने पूरा पता लगा लिया है कि जबलपुर और नरसिंहपुर स्टेशन पर जो यह झंडे की घटना हुई उसमें किन लोगों का हाथ है और इस संबंधमें जबलपुर और नरसिंहपुर के जो रेलवे कर्मचारी हैं उनका भी किसी प्रकार का संबंध है या नहीं ?

†**श्री अलगेशन** : ऐसा प्रतीत होता है कि साफ सफाई करने वाले एक मुसलमान लड़के ने इंजन चलाने वालों से इंजन को माला पहिनाने की अनुमति मांगी थी और यह दे दी गई थी । संभवतः इस मामले को बहुत महत्व नहीं दिया गया था । इसके बाद जब यह झंडा देखा गया तो इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया था और उसे हटा दिया गया था । इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई जानकारी नहीं है और मेरा ख्याल है कि इस छोटी सी घटना के बारे में इतनी अधिक चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री कामत** : मेरे माननीय मित्र सेठ गोविन्द दास ने जो गंभीर आरोप लगाया है उसे ध्यान में रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह एक मामूली बात नहीं है, क्या माननीय मंत्री इस मामले की औपचारिक रूप से जांच करेंगे ?

†**श्री चट्टोपाध्याय** : वह उतना हरा नहीं है जितना कि दिखता है ।

†**श्री कामत** : माननीय मंत्री को अधिक गंभीरता से सोचना चाहिये ।

†**श्री अलगेशन** : अब हमने ये आदेश जारी कर दिये हैं कि इंजन आदि को सुशोभित करने के लिये अनुमति जल्दी से न दी जाये तथा अधिकारियों को अधिक सतर्क रहना चाहिये । सामान्यतया ऐसी अनुमति जिला अथवा विभागीय अधिकारियों से प्राप्त की जानी होती है । इस घटना में अनुमति इंजन चलाने वालों ने दे दी थी और उन्होंने कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं किया । मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि यह बात बिलकुल गलत थी किन्तु इंजन चलाने वाले कर्मचारियों को अनुमति नहीं देनी चाहिये थी । भविष्य में इंजन आदि को सुशोभित करने के लिये विभागीय अथवा जिला अधिकारियों से अनुमति मांगी जायेगी और वही अनुमति देंगे ।

†**श्री कामत** : श्रीमान्, औचित्य के प्रश्न के हेतु, जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि इस घटना में कुछ रेलवे कर्मचारियों का हाथ है, यदि यह सच है तो जांच अवश्य की जानी चाहिये और उन्हें दंड दिया जाना चाहिये । यही मैं चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय मंत्री एक बार फिर लिखकर जानकारी प्राप्त करें, तो उसमें क्या हानि है ? इन वक्तव्यों को देखते हुए कि एक स्टेशन पर झगड़ा हुआ था, माला पहिनाने की अनुमति का लाभ उठाकर झंडा लगाया गया था और वहां सफाई करने वाला एक लड़का था जो एक कर्मचारी था, यदि माननीय मंत्री यह कह दें कि हां मैं लिखूंगा और सही स्थिति जानने का प्रयत्न करूंगा, तो उसमें क्या हानि है ? इसमें क्या कठिनाई है, यह मेरी समझ में नहीं आता ।

माननीय सदस्यों और मंत्रियों को चाहिये कि वे सदन को संतुष्ट करें । मंत्रीगण यहां एक ही पक्ष के लिये नहीं होते, वे यहां संसद की ओर से होते हैं । संसद् उच्चतम निकाय है ।

मैं देखता हूं कि ऐसे प्रश्न बारबार आते हैं । यदि माननीय मंत्री यह कहें कि हां, मैं इस मामले की जांच करूंगा और इन तथ्यों का पता फिर से लगाऊंगा तो उसमें क्या हानि है ?

†**श्री अलगेशन** : यदि आपकी इच्छा है तो मैं पता लगाऊंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मेरी और सभा की इच्छा है ।

†**श्री अलगेशन** : मैं पता लगाऊंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : सभी मंत्रियों से मेरा अनुरोध है कि वे इस प्रकार की भावना उत्पन्न न होने दें कि किन्हीं बातों को तो छिपाया जा रहा है और किन्हीं बातों की अनुमति दी जा रही है। यदि उनके ध्यान में कोई बात ऐसी लाई जाती है जिसके बारे में उनके पास पूरी जानकारी न हो तो उन्हें जांच करनी चाहिये। यह देश के और संसद् की प्रतिष्ठा के हित में है।

†**श्री कामत** : मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

देहात में ऋण सम्बन्धी सर्वेक्षण

†***१४१५. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि तथा अन्य संबंधित धंधों को देहात में ऋण संबंधी सर्वेक्षण के आधार पर रुपया देने के लिये, भारत के रिजर्व बैंक की निदेशक समिति की सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अधीन, क्या पंजाब और पेप्सू की सरकारों ने १९५६-५७ के लिये केन्द्रीय सरकार और रिजर्व बैंक से कितना अनुदान, ऋण तथा अग्रिम धन मांगा है और किस रूप में;

(ख) क्या इस विषय में केन्द्रीय सरकार और रिजर्व बैंक ने कोई निश्चय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो वह निश्चय किस प्रकार का है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) केन्द्रीय सरकार अथवा रिजर्व बैंक से पंजाब सरकार ने अभी तक कोई प्रार्थना नहीं की ।

पेप्सू सरकार ने रिजर्व बैंक से कोई ऋण नहीं मांगा है। उसने केन्द्रीय सरकार से २·५ लाख रुपये का ऋण और १·५५ लाख रुपये का अनुदान मांगा है।

(ख) पंजाब के बारे में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। पेप्सू के जो प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुए हैं उन पर राष्ट्रीय सहकारी विकास और गोदाम बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**सरदार इंकबाल सिंह** : इस संबंध में कितने राज्यों ने योजनायें बनाई हैं। क्या इस नीति को क्रियान्वित करने के लिये, जो सभा द्वारा अनुमोदित की गई है, सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी हां, हम इस नीति को क्रियान्वित करना चाहते हैं और देहात में ऋण संबंधी सर्वेक्षण की विभिन्न सिफारिशों को भी क्रियान्वित करना चाहते हैं। हमने एक विधेयक प्रस्तुत किया था जो पारित हो चुका है और इस अधिनियम के अधीन अधिकांश राज्य अपनी योजनायें प्रस्तुत कर रहे हैं।

†**सरदार इकबाल सिंह** : केन्द्रीय सरकार के पास कौन कौन से और कितने राज्यों ने अपनी योजनायें भेजी हैं और उनमें से अब तक कितनी अनुमोदित की गई हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : माननीय सदस्य की प्रश्न पंजाब और पेप्सू के बारे में था। मेरे पास और जानकारी नहीं है। जहां तक पेप्सू का संबंध है, उसने २ लाख रुपये का ऋण मांगा है और यदि आवश्यक हो, तो मैं इसका ब्योरा दे सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसकी आवश्यकता नहीं है।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या सरकार को विदित है कि कृषि तथा अन्य सम्बन्धित धंधों के लिये रुपया देने के लिये पेप्सू में अब तक ग्रामीण ऋण देना जारी नहीं किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि जो अधिनियम हाल ही में किया गया है उसमें सहकारी विकास गोदाम बोर्ड स्थापित करने का उपबन्ध किया गया है जो नीति निश्चित करने तथा कृषि संबंधी राशियों के लिये उत्तरदायी होगा। उस बोर्ड के संविधान को अन्तिम रूप दे दिया गया है। वह शीघ्र ही स्थापित कर दिया जायेगा और ये सब प्रश्न मुख्यतया बोर्ड द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : क्या ग्रामों में कृषि संबंधी ऋण की सुविधा देने के बारे में राज्य सरकारी बैंकों से सरकार को कोई आमदनी होती है और यदि हां, तो क्या सरकार को विदित है कि इन उद्देश्यों के लिये विभिन्न राज्यों के सहकारी बैंकों को जो अग्रिम धन दिये गये थे उनका पूरा उपयोग नहीं किया गया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है किन्तु आम तौर पर उनका पहले से अधिक उपयोग किया जाता है।

बीड़ी पर उपकर

*१४१८. **श्रीमती अनसूयाबाई बोरकर** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों को बीड़ी पर लगाये गये उपकर से प्रति वर्ष कितनी राशि प्राप्त होती है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान में सभी जगह बीड़ी के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को बराबर मजदूरी दी जाती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) बम्बई, कच्छ, पैप्सू, मध्य प्रदेश, भोपाल, त्रिपुरा, त्रावनकोर-कोचीन और विन्ध्य प्रदेश में ऐसा कोई कर नहीं लिया जाता है। बाकी राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त की जा रही है जो सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) राज्य सरकारों ने विभिन्न स्थानों के लिये अलग अलग वेतन निश्चित किए हैं। देश के सब भागों में रहन-सहन और जीवन का तरीका एक समान नहीं है। इस वजह से सबके लिये समान वेतन निश्चित करना सम्भव नहीं है।

श्रीमती अनसूयाबाई बोरकर : क्या मैं जान सकती हूं कि "क", "ख" और "ग" श्रेणी के के राज्यों में न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

श्री आबिद अली: अलग अलग जगहों पर अलग अलग वेतन निश्चित किये गये हैं। अजमेर में १,००० बीड़ी के लिये १ रुपया दो आने हैं। त्रावनकोर-कोचीन में १,००० बीड़ी के लिये १ रुपया १४ आने हैं। भोपाल में १ रुपया से १ रुपया ६ आने है। त्रिपुरा में १,००० बीड़ी के लिये १ रुपया १२ आने हैं। विन्ध्य प्रदेश में १ रुपया २ आने से १ रुपया १४ आने १,००० बीड़ी के लिये है। मध्य प्रदेश में .....

श्रीमती अनसूयाबाई बोरकर : जिन कारखानों में ५० से अधिक मजदूर काम करते हैं क्या उनको फैक्टरी एक्ट के अन्तर्गत लाने का विचार किया जा रहा है ?

श्री आबिद अली : मैं मध्य प्रदेश में मजदूरी की दर भी बता रहा था। वहां पर १,००० बीड़ी के लिये १ रुपये से १ रुपया ८ आने है।

जिस कारखाने में पावर का उपयोग नहीं होता है और वहां अगर २० कामगर हैं तो वह फैक्टरी एक्ट के अन्तर्गत आ जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंडित च० ना० मालवीय: अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि मजदूरी अलग अलग है लेकिन बीड़ी के भाव सब जगह एकसा हैं, क्या यह सही है ?

श्री आबिद अली : बीड़ी के भाव भी अलग अलग हैं। बीड़ियों के अलग अलग मार्के होते है और भाव भी अलग अलग होते हैं। मैं बीड़ी तो नहीं पीता हूं लेकिन ऐसा मुझे मालूम हुआ है।

खाद्यान्नों का निर्यात

*१४१९. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : जनवरी से ३० जून, १९५६ तक भारत से किन किन खाद्यान्नों का कितनी-कितनी मात्रा में और किन किन देशों को निर्यात हुआ ?

कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख) : सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३३**]

श्री खू० चं० सोधिया : इस विवरण से ज्ञात होता है कि गेहूं का आटा, चावल, ज्वार और मक्का जो कि विदेशों को निर्यात किया गया है उसकी क्वांटिटी अंदाजन ४५,००० टन होती है। क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस निर्यात से देश के अन्दर इन खाद्यान्नों की कीमतों पर क्या असर पड़ा है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : इस वर्ष के प्रारम्भ में जब यह देखा गया कि कीमतें कुछ बढ़ रही हैं तो इन चीजों का निर्यात बन्द कर दिया गया। लेकिन इस बात का लिहाज रखा गया कि जिन लोगों ने वादे कर लिये हैं इन चीजों को बाहर भेजने के और जिन्होंने मुआहिदे कर लिये हैं उनको इजाजत दे दी जाय। चावल १९ जनवरी को बाहर भेजना बन्द कर दिया गया था। गेहूं से जो चीजें बनती हैं उनका निर्यात ३१ जनवरी को बन्द कर दिया गया। मक्का ३१ दिसम्बर के बाद बाहर भेजना बन्द कर दिया गया और ज्वार २३ जनवरी के बाद भेजनी बन्द कर दी गई। हो सकता है कि इस निर्यात से थोड़ा बहुत फर्क पड़ा हो लेकिन जो कुछ भी मुमकिन हो सकता है वह किया गया है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : अनाज देश से बाहर भेजने से पहले क्या सरकार ने देश में उपलब्ध रक्षित स्टाक का हिसाब लगाया था क्योंकि अनाज के भाव आज से नहीं बल्कि कई महीनों से बढ़ रहे हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : निर्यात संबंधी नीति वर्ष में दो बार निश्चित की जाती है, प्रारम्भ में और मध्य में। इन वस्तुओं के संबंध में नीति १९५५ के मध्य में निश्चित की गई थी और उसके लिये अनुमति दे दी गयी थी। ज्यों ही यह पता लगा कि भाव बढ़ रहे हैं, त्यों ही निर्यात बन्द कर दिया गया था। केवल उन्हीं लोगों को, जिन्होंने निर्यात के लिये निषेध से पहले करार किया था, उसके बाद करार पूरा करने की अनुमति दी गई थी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खाद्य और कृषि संगठन विशेषज्ञ

† *१३९९. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन ने भारत सरकार को सलाह देने के लिये किसी रूसी विशेषज्ञ को मनोनीत किया है ;

(ख) यदि हां तो वह क्या काम करेगा; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) वह भारत में कितने दिन ठहरेगा ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा एक विशेषज्ञ नाम निर्देशित किया गया है ।

(ख) वह बंगाल पशु चिकित्सा विद्यालय के भैषजिकीय विभाग के संगठन के बारे में पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार को सलाह देगा।

(ग) प्रारम्भ में १२ महीने।

वी० पी० पी० आदि का पहुंचाया जाना

***१४०६. श्री विभूति मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न डाकघरों को इस आशय का निदेश दिया है कि वी० पी० पी० रजिस्टर्ड पत्रों और मनीआर्डरों को एक निश्चित समय के भीतर अवश्य पहुंचा दिया जाया करे; और

(ख) यदि हां तो वे निदेश क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) डाक-तार निदशिका, संस्करण अक्तूबर '५४ के खंड ३२, १४२-क, ११३-क तथा २७७ में दिये गये अनुदेशों में निर्धारित अवधि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) उक्त डाक-तार निर्देशिका के खंड ११३-क तथा २७७ में दिये गये अनुदेशों का इस विचार से संशोधन किया गया है कि चाहे रजिस्ट्री की हुई वस्तु की एड्रेसी या मनीआर्डर के पाने वाला व्यक्ति न मिल—फिर भी उन वस्तुओं को निर्धारित अवधि तक रोक रक्खा जाय। ऐसे मामलों में पूर्व अनुदशों के अनुसार ऐसी वस्तु को या मनीआर्डर को तत्काल ही उसके भेजने वाले या प्रेषक को वापिस कर दिया जाता था।

रेलगाड़ियों की टक्कर

†***१४०८. श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९ अक्तूबर १९५५ को पश्चिम रेलवे की मुख्य छोटी लाइन पर दो मोटर ट्रालियों में टक्कर हो गई थी ;

(ख) उनके ऊपर किन अफसरों का नियंत्रण था ;

(ग) क्या टक्कर के कारण की जांच की गई थी ;

(घ) क्या किन्हीं अफसरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३४]**

भोजन व्यवस्था

†**१४१३. श्री अ० क० गोपालन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय-रेलवे के कितने स्टेशनों पर स्पेन्सर्स द्वारा भोजन की व्यवस्था की जाती है ;

(ख) क्या इन स्टेशनों से आमदनी होती है ; और

(ग) सरकार इन स्टेशनों पर भोजन व्यवस्था को अपने हाथ में क्यों नहीं लेती ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) चार।

(ख) जी हां, जहां तक मालूम हो सका है।

(ग) सरकार समस्त गैर-सरकारी व्यवस्था को हटाना नहीं चाहती।

---

†मूल अंग्रेजी में

डूंगरपुर-रतलाम लाइन

†*१४१४. { **श्री भीखा भाई :**
श्री बलवन्त सिंह मेहता :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गई डूंगरपुर-रतलाम लाइन के सर्वेक्षण को प्रारम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) इस सर्वेक्षण को प्रारम्भ करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है ।

(ख) सर्वेक्षण के सितम्बर १९५६ में प्रारम्भ किये जाने की आशा है और वह छः महीने में समाप्त हो जायेगा ।

बारमेढ में पीने के पानी की सुविधा का अभाव

***१४१६. श्री बादशाह गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थार रेगिस्तान में भारत-पाकिस्तान (पश्चिमी) सीमा पोस्ट बारमेढ़ पर पीने का पानी प्राप्त करने में कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये अब तक सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) बारमेढ में पीने के पानी की कुछ सुविधाएं मौजूद हैं, पर वे काफी नहीं हैं ।

(ख) राजस्थान सरकार बारमर में एक पानी की योजना पर विचार कर रही है जिस पर ४·२० लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है । योजना स्वीकृत हो जाने पर राष्ट्रीय पानी व सफाई प्रोग्राम के मातहत इस काम के लिये राज्य सरकार को आवश्यक केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ।

पानागढ़ हवाई अड्डे के कर्मचारी

†*१४१७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पानागढ़ हवाई अड्डे के कितने कर्मचारियों को दूसरा काम दिया गया है ; और

(ख) क्या यह सच है कि वे असैनिक उड्डयन के महानिदेशक के स्थायी रूप से काम करनेवाले कर्मचारी घोषित किये गये हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तीन ।

(ख) हवाई अड्डे के प्रभारी अधिकारी के अतिरिक्त, जो असैनिक उड्डयन विभाग का नियमित कर्मचारी है, अन्य सब कर्मचारी स्थायी रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति समझे जाते हैं ।

सड़क विकास

†*१४२०. **श्री संगण्णा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सड़क विकास के लिये विभिन्न राज्य सरकारों की नीति और कार्यक्रम १९४३ की नागपुर योजना की अनुसूची के अनुसार हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : हां श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खानों में सुरक्षितता

†*१४२१. **श्री चट्टोपाध्याय** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों में सुरक्षितता के एक प्रश्न की जांच करने के लिये उच्च शक्ति वाले आयोग की नियुक्ति के बारे में अब तक क्या निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब तक बनाया जायेगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). अब तक प्राप्त अनुभव एवं जांच की अदालतों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कोयला खान विनियमों का, जिनमें कोयला खानों में सुरक्षितता का उपबन्ध है, पुनरीक्षण किया जा रहा है। उन पर कोयला खानों की औद्योगिक समिति द्वारा, जो एक त्रिदलीय समिति है, विस्तार पूर्वक विचार किया जा चुका है। यह देखा जायेगा कि संशोधित विनियम आवश्यकताओं की कहां तक पूर्ति करते हैं। अतः आयोग की नियुक्ति आवश्यक नहीं समझी जाती।

बिहार में डेरी विकास योजना

†*१४२२. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना की डेरी विकास योजना से बिहार को क्या लाभ पहुंचेगा ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : वर्तमान सहकारी डेरियों के विकास के अतिरिक्त , बिहार की डेरी विकास योजना के अन्तर्गत तीन सहकारी दुग्ध संघ, दो मक्खन निकालने के कारखाने और एक दुग्ध चूर्ण कारखाना खोला जायगा। कुल लागत ५७·९ लाख रुपये होगी जिसमें से ४६.०५ लाख रुपये की सहायता केन्द्रीय सरकार देगी। इससे जो लाभ होंगे, वे इस प्रकार हैं :—(१) गांवों में दूध का संगठित रूप में उत्पादन और सहकारी दुग्ध संघों द्वारा शहरों में दुग्ध वितरण में सुधार;

(२) सहकारी मक्खन निकालने के कारखानों द्वारा और दुग्ध चूर्ण कारखाने के द्वारा उन ग्रामों में जो दूध के बाजारों से बहुत दूर हैं दूध का लाभप्रद उपयोग;

(३) प्रत्यक्ष रूप से लगभग १,३०० लोगों को काम देना।

मनीपुर का परिवहन विभाग

†*१४२३. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार के परिवहन विभाग के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या मनीपुर परिवहन विभाग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में मनीपुर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १६६।

(ख) और (ग). अभ्यावेदन में दी गई मुख्य बातों और उनके संबंध में सरकार द्वारा किये गये निश्चयों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब को गेहूं का संभरण

†*१४२४. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाहौल और स्पीति के बर्फील क्षेत्रों के लिये पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से गेहूं की मांग की है ; और

(ख) यदि हां तो कितना गेहूं मांगा गया है और इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). पंजाब सरकार यह आश्वासन लेना चाहती थी कि उसे कूलू उप-विभाग के लिये और लाहौल तथा स्पीति क्षेत्रों के लोगों के लिये केन्द्रीय सरकार ५,००० टन गेहूं और २,९०० टन चावल देगी । यह आश्वासन दे दिया गया है ।

नर्मदा नदी पर पुल

*१४२५. **श्री अमरसिंह डामर** : क्या **परिवहन** मंत्री १३ दिसम्बर, १९५५ को तारांकित प्रश्न संख्या ७९३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत में बड़वानी के निकट राजघाट पर नर्मदा नदी पर पुल के निर्माण के संबंध म अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उसके कब तक तैयार हो जाने की आशा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पुल को बनाने का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है । क्योंकि इसकी बनावट के बारे में अभी तक राज्य सरकार के साथ बातचीत चल रही है ।

(ख) काम शुरू होने की तारीख से लगभग तीन साल में ।

रेलवे कम्पाउण्डर

†*१४२६. **मुल्ला अब्दुल्ला भाई** : क्या **रेलवे** मंत्री १६ अप्रैल १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४७८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कम्पाउण्डरों के वेतन के बारे में सरकार ने भेषजीय जांच आयोग तथा भारत की भेषजालय परिषद् की सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके संबंध में क्या निश्चय किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). यह विषय विचाराधीन हैं ।

नल कूप

†*१४२७. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई के लिये नल-कूप चलाने के हेतु बिजली लेने की जिन लोगों की इच्छा है, उन्हें क्या कोई सुविधायें दी गई हैं और यदि हां तो वे क्या हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकारों से कहा गया है कि जो लोग तेल चालित इंजिनों के स्थान पर बिजली की मोटरें लगाना चाहते हैं उन्हें ऐसी सुविधा दी जाये ; और

(ग) यदि हां तो बिजली लगाने और तेल चालित इंजिनों को बदलने के व्यय के लिये क्या कोई आर्थिक सहायता दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) भारत का संबंध मुख्यतया सरकारी नल कूप बनाने की बड़े पैमाने की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने और उनके लिये रुपया देने से है। जिन गैर-सरकारी नल कूपों को बिजली से चलाने का विचार है उनके लिये राज्य सरकारों द्वारा अधिक अन्न उपजाओ योजना के अधीन ऋण के रूप में सहायता दी जा रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

यात्री-सुविधायें

†*१४२९. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिलूवूर रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर रेलवे विभाग द्वारा जल संभरण का अलग प्रबन्ध कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां तो कब और कितनी लागत से ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). उस स्टेशन पर अलग से जल संभरण की व्यवस्था करने के प्रस्ताव रेलवे के विचाराधीन हैं।

चाय श्रमिकों के लिये बोनस

†*१४३०. **श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी १९५६ में उत्तर भारत के चाय श्रमिक और उद्योग के बीच जो बोनस करार हुआ था, क्या उसमें यह कहा गया है कि १९५४ के लिये बोनस की दूसरी किस्त राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों के रूप में दी जायेगी ;

(ख) क्या उसमें परिवर्तन करने की कोई प्रस्थापनाएं विचाराधीन है ताकि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र खरीदने की बजाय उनकी भविष्य निधि में भुगतान किया जा सके ; और

(ग) यदि हां तो क्या कोई विनिश्चय किया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) हां।

(ख) इस आशय का एक सुझाव प्राप्त हुआ है।

(ग) जी नहीं।

कोसी परियोजना प्राधिकार

†*१४३१. **श्री ल० ना० मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री २० अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५९४ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेन्ट, कोयला और इस्पात के परिवहन के लिये कोसी परियोजना को दिये गये माल के डिब्बे उसकी आवश्यकताओं के लिये अपर्याप्त थे ;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) कितने माल के डिब्बे मांगे गये थे और कितने दिये गये थे ; और

(घ) क्या कोसी परियोजना को अन्य नदी घाटी परियोजनाओं की तरह माल के डिब्बों के विषय में एक जैसी प्राथमिकता दी जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३६**]

(घ) राज्य सरकारों अथवा संघ सरकार द्वारा आयोजित और रेलवे द्वारा स्वीकृत वहन कार्यक्रमों के अतिरिक्त, अन्य नदी घाटी परियोजनाओं के लिये कोई विशेष प्राथमिकता नहीं है। तथापि अधिमान्य प्रशुल्क अनुसूची के पद 'ग', के अधीन कोसी परियोजना को विशेष प्राथमिकता प्राप्त है।

रेलवे वायरलेस आपरेटर्स

†*१४३२. **श्री रघुबीर सहाय** : क्या **रेलवे** मंत्री ७ मई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १८४३ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर रेलवे के वायरलेस आपरेटरों की संयुक्त वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: ३०-९-१९५६ तक तैयार हो जायेगी।

रासायनिक खाद

*१४३३. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रासायनिक खादों के उत्पादन, आयात और उपयोग के संबंध में अपनी नीति पर फिर से विचार कर रही है या कर चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो इस पुनर्विचार की पृष्ठभूमि क्या है और किन विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जा रहा है ;

(ग) क्या किसी नई पद्धति पर इन खादों के उपयोग संबंधी प्रयोगों के फलस्वरूप फसलों की लागत में विशेष कमी की जा सकती है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रयोग के परिणामों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). विविध प्रकार के नाइट्रोजन वाले उर्वरकों की क्रिया शक्ति (Performance) देर तक रखने और विभिन्न गुणों के विषय में प्राप्त अन्तिम जानकारी के आधार पर विभिन्न फैक्टरियों में बनाये जाने वाले उर्वरकों की किस्मों और उनकी मात्राओं के संबंध में पुनः विचार किया जा रहा है और देश में बनाये जाने वाले नये उर्वरकों के इस्तेमाल को लोकप्रिय करने के लिए आयात कार्यक्रम में परिवर्तन किया जाता है।

(ग) और (घ). यूरिया, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जैसे नये उर्वरकों में इसलिये कम खर्च होता है क्योंकि इनमें अमोनियम सल्फेट की निस्बत प्रति इकाई नाइट्रोजन की लागत कम है। यूरिया और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट के परिवहन और प्रबन्धन में खर्च कम होता है क्योंकि ये अधिक संकेन्द्रित हैं। कृषि प्रयोगों ने यह दिखाया है कि इन नये उर्वरकों में आम तौर पर नाइट्रोजन के स्रोत और अमोनियम सल्फेट का सा असर होता है।

छोटी लाइन के डिब्बे बनाने का कारखाना

†*१४३४. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **रेलवे** मंत्री ३ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११४० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी लाइन के डिब्बे बनाने का कारखाना स्थापित करने की प्रस्थापना का परीक्षण समाप्त हो चुका है ;

(ख) यदि हां तो क्या विनिश्चय किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यह कहां स्थापित किया जायगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) छोटी लाइन के, इस्पात वाले हल्के सवारी डिब्बे बनाने के लिये एक कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया गया है।

(ग) यह मामला विचाराधीन है।

आयुर्वेद

†*१४३५. **श्री झूलन सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों द्वारा नये आयुर्वेदिक कालेज और आयुर्वेदिक गवेषणा संस्थाओं की स्थापना के लिये सरकार आवर्तक और अनावर्तक अनुदान देने के लिये तैयार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मद पर प्रति वर्ष खर्च की जाने वाली धन राशि की कोई सीमा रखी गयी है ; और

(ग) इस अनुदान को देने के लिये क्या कोई शर्तें रखी गयी हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) राज्यों की योजनाओं में ऐसे व्यय के लिये व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार की सहायता शिक्षा संस्थाओं का दर्जा बढ़ाने और गवेषणा योजनाओं के लिये अनुदान देने तक सीमित है।

(ख) इस पद के अधीन केन्द्र के लिये योजना में ६०·५० लाख रुपये की व्यवस्था है। १९५६-५७ के आय-व्ययक में ११.५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ग) कोई अनुदान मंजूर करने के पूर्व मंत्रणा समिति का अनुमोदन आवश्यक होता है।

खाद्य और कृषिसंगठन को भारत का अंशदान

†*१४३६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य और कृषि संगठन के संयुक्त राष्ट्रों के विशेष अधिकरण के सदस्य के नाते भारत का १९५५ में क्या अंशदान रहा ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : खाद्य और कृषि संगठन के लिये १९५५ में भारत का अंशदान २६७,९९५ डालर था। इसमें से १०,८५० डालर खाद्य और कृषि संगठन की चालू पूंजीनिधि में से भारत को दिये थे। शेष २५७,१४५ डालर, जो १२,२४,५०० रुपये के बराबर है, संगठन को दिये जा चुके है।

विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र और बुनियादी कृषि-स्कूल

†*१४३७. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों और बुनियादी कृषि-स्कूलों के आचार्यों की एक गोष्ठी शिमला में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां।

(ख) विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों और बुनियादी कृषि-स्कूलों के आचार्यों की शिमला में हुई गोष्ठी की मुख्य सिफारिशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३७]**

(ग) सम्मेलन की कार्यवाही आवश्यक कार्यवाही के लिये राज्य सरकारों को परिचालित की जा रही है। राज्य सरकारों से उत्तर मिलने पर और आगे कार्यवाही की जायगी।

रेलवे फाटक

†*१४३८. **श्री गिडवानी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन रेलवे फाटकों पर कर्मचारी नियुक्त नहीं होते, वहां पर रेल-गाड़ियों और अन्य गाड़ियों के बीच टक्कर को रोकने के लिये, बम्बई राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष ने भारत में जापानी तरीका अपनाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) जापान में अपनाया गया तरीका क्या है जिससे ऐसे फाटकों पर टक्कर रोकी जायगी; और

(ग) क्या सरकार ने उस पर विचार किया है और क्या वह अपनाया जा सकता है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां, एक प्रेस नोट म।

(ख) जापान में यह तरीका बताया जाता है कि जब कभी मोटर गाड़ी ऐसे रेलवे फाटक पर पहुंचती है जहां कोई कर्मचारी न हो, तब वह रुक जाती है, उसका कंडक्टर उतर जाता है और दोनों ओर रेलवे लाइन को देखता है और निश्चय कर लेता है कि रास्ता साफ है। तब वह मोटर गाड़ी को रेलवे लाइन पार करने के लिये संकेत देता है।

(ग) इस ओर राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया जायेगा।

डाक-तार निदेशालय, उड़ीसा

†*१४३९. **श्री संगण्णा** : क्या **संचार** मंत्री डाक तार के उड़ीसा निदेशालय का दर्जा ऊंचा करने के संबंध में २ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विनिश्चय किया गया है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा सर्किल का दर्जा बढ़ाने के लिये कोई औचित्य नहीं पाया गया।

बेजवाडा–नेलौर लाईन

†*१४४०. **श्री चट्टोपाध्याय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के बेजवाड़ा और नेल्लोर सेक्शन के बीच २५ मील की रेलवे लाइन को डबल लाइन बनाने के विषय में जुलाई, १९५६ के अन्त तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या काम की गति बढ़ाने का सरकार का विचार है ; और

(ग) काम कब तक समाप्त हो जाने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) चिराला और वेटापलेमू के बीच ५ मील तक डबल लाइन बनाने का काम पूरा हो गया है और उस पर ४-६-५६ से यातायात शुरू हो गया है। चिराला और स्तुअर्तपुरम् के बीच (५ १/४ मील) काम पूरा होने के करीब है।

(ख) काम यथा संभव शीघ्र से शीघ्र हो रहा है।

(ग) क्रमानुसार काम किया जा रहा है और १९५६-५७ में ४० मील तक डबल लाइन बनाने का काम शुरू हो जायेगा। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि बेजवाड़ा-नेल्लोर सेक्शन में डबल लाइन बनाने का काम कब पूरा हो जायगा।

मनीपुर राज्य परिवहन

†*१४४१. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर राज्य परिवहन के ऐसे कितने ड्राइवर और कंडक्टर हैं जो अब तक नागा शत्रुओं द्वारा उन पर आक्रमण के परिणामस्वरूप मारे गये हैं या आहत हुए हैं ; और

(ख) मृत व्यक्तियों के परिवारों को और आहत व्यक्तियों के इलाज के लिये क्या सहायता दी गयी है ;

(ग) जब यातायात पुनः जारी होगा, तो क्या तब असैनिक ट्रक और बसों के लिये सशस्त्र गारद की व्यवस्था की जायेगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). मनीपुर राज्य परिवहन का कोई ड्राइवर या कंडक्टर नहीं मारा गया। एक आहत कंडक्टर की इम्फाल के सरकारी अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा की गयी थी।

(ग) सशस्त्र सैनिक गारद के साथ मोटर गाड़ियां इम्फाल-दीनापुर सड़क पर सैनिक टुकड़ियों में चल रही हैं।

भूमिहीन श्रमिकों को बिहार में बसाना

†*१४४२. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५६-५७ के लिये बिहार राज्य के लिये भूमिहीन श्रमिकों को फिर से बसाने के लिये कितना अनुदान और ऋण मंजूर किया गया है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : अभी तक कुछ नहीं। राज्य सरकार से योजना की प्रतीक्षा की जा रही है।

गन्ना उपकर

†*१४४३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में विभिन्न राज्यों को गन्ना उपकर से कुल कितनी आमदनी हुई है ; और

(ख) क्या भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को गन्ना उपकर का उपयोग करने के संबंध में कोई हिदायतें दी हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों से इकट्ठा की जायगी और सभा पटल पर रखी जायगी।

(ख) चूंकि उपकर लगाना, इकट्ठा करना, और उसका उपयोग करना पूर्णतः राज्यों का विषय है, अतः ऐसी कोई हिदायत देने का केन्द्रीय सरकार को कोई अधिकार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मजूरी भुगतान अधिनियम

†*१४४४. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **श्रम** मंत्री ९ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५९१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मजूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ में संशोधन करने वाला विधेयक प्रस्तुत करने में, जैसा कि पहले उत्तर में बचन दिया गया था, विलंब के क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : संशोधन की प्रस्थापनाओं को अंतिम रूप देने में कुछ समय लगा है क्योंकि राज्य सरकारों, नियोजक मंत्रालयों और मालिकों तथा श्रमिकों के अखिल भारतीय संगठनों से परामर्श करना था। उनके उत्तर अब प्राप्त हो चुके हैं और उनका परीक्षण हो रहा है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†*१४४५. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना पंजाब और पेप्सू में लागू की गयी है ; और

(ख) यदि हां तो कब और कहां ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) यह योजना पंजाब में पहले ही लागू की जा चुकी है और पेप्सू में उसे लागू करने की प्रस्थापना का विचाराधीन है।

(ख) अम्बाला, जमना नगर, भिवानी, लुधियाना, जालन्धर, बटाला और अमृतसर में (छिराट्टा को सम्मिलित करके) १७ मई, १९५३ से योजना लागू है। और ८ नगरों में अर्थात् धारीवाल, सोनीपत, शिमला, हिसार, खन्ना, खासा, फरीदाबाद और रेवाड़ी में उसे लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है।

रेलवे के अधीनस्थ कर्मचारी

†*१४४६. **श्री चट्टोपाध्याय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के अधीनस्थ कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिये ऊंचे वेतन क्रमों की संख्या बढ़ाने के विषय में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इसे कब तक अन्तिम रूप दिया जायगा ; और

(ग) उसमें शीघ्रता लाने के लिये क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). रेलवे बोर्ड के निदेशकों की एक समिति अभी स विषय पर विचार कर रही है और उसमें समय लग रहा है क्योंकि विस्तृत अनुसंधान आवश्यक है। काम में शीघ्रता लाई जा रही है।

रेलवे डाकसेवा, उड़ीसा सर्किल के मुख्यालय का स्थानांतरण

†*१४४७. **श्री संगण्णा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सर्किल के रेलवे डाक सेवा "एन" डिविजन का मुख्यालय कलकत्ता से कटक ले जाने का निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह विषय किस अवस्था पर है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**संचार मंत्रालय मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) रेलवे डाक सेवा के अधीक्षक के कार्यालय के लिये कटक में स्थान प्राप्त किया जा रहा है।

कृषि संबंधी उत्पादों को श्रेणीबद्ध करना

†***१४४८. श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि संबंधी उत्पाद (श्रेणीबद्ध करना और निशान लगाना) अधिनियम, १९४७ के अधीन, निर्धारित स्तर के अनुसार, निर्यात से पहले, मुख्य कृषि संबंधी तथा अन्य संबद्ध उत्पादों की किस्म के अनिवार्य विनियमन के लिये तीन प्रादेशिक प्रयोगशालायें और केन्द्रीय निमंत्रण प्रयोगशाला के निर्माण कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : नागपुर में केन्द्रीय नियंत्रण प्रयोगशाला की इमारत बनाने के लिये नकशे तैयार हैं। कलकत्ता और बंबई में दो प्रादेशिक प्रयोगशालाएं बनाने के लिये जमीन प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। कोचीन में प्रादेशिक प्रयोगशाला के लिये पत्तन न्यास प्राधिकारियों से पट्टे पर जमीन ली गयी है।

तंबाखू खाना

†***१४४९. श्री विभूति मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ३ अगस्त १९५६ को इंडियन एक्सप्रेस में छपे उस समाचार के संबंध में कि तेज़ तम्बाकू के साथ पान सुपारी खाने से मुख का केंसर हो जाता है यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पान सुपारी खाने वालों को तेज़ तबाकू खाने से रोकने के लिये चेतावनी देने के संबंध में कोई कार्यवाई करना चाहती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर)** : भारतीय केंसर गवेषणा संस्था बम्बई में पान सुपारी तथा तेज तम्बाकू खाने से मुख में केंसर होने के संबंध में गवेषणा हो रही है। प्रारम्भिक विवरण से यही लगता है कि इसकी बड़ी सम्भावना हो सकती है, मगर अभी तक इस विषय का अध्ययन पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिल जाता है हम कोई चेतावनी आदि नहीं जारी कर सकते हैं।

भारतीय केंद्रीय कपास समिति

†**९३४. श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय केन्द्रीय कपास समिति की सिफारिश के अनुसार कपास में अनुसन्धान कार्य की प्रगति के लिये ४ क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्र खोलने की योजना तैयार की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण तथा इस कार्य के लिये चुने गये स्थानों के नाम ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय केंद्रीय सुपारी समिति

†**९३५. श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री उन स्थानों के नाम बताने की कृपा करेंगे जहां पर कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति के तत्वावधान में केन्द्रीय प्रौद्योगिक प्रयोगशाला तथा अन्य तीन क्षेत्रीय संस्थान खोले जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : अभी तक केन्द्रीय औद्योगिक प्रयोगशाला का स्थान निश्चित नहीं किया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में निम्नलिखित राज्यों में ६ क्षेत्रीय केन्द्र खोले जानेका प्रस्ताव है :—

(क) आसाम

(ख) पश्चिमी बंगाल

(ग) बम्बई

(घ) मैसूर

(ङ) मद्रास

(च) त्रावणकोर-कोचीन ।

कचहरी स्टेशन पर मालगाड़ी के डिब्बे का पटरी से उतरना

९३६. श्री रघुनाथ सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ११ जुलाई, १९५६ को पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा कचहरी स्टेशन पर ८१४ डाउन मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतर कर उलट गये, जिसके परिणामस्वरूप सारा यातायात बद हो गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का कारण क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ११-७-५६ को रात के १२ बजकर २० मिनट पर जब पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा-बरौनी मुख्य लाइन सेक्शन पर नं० ८१४ डाउन माल गाड़ी छपरा कचहरी स्टेशन से छुट रही थी, तो उस इंजन से ४७ वां माल-डिब्बा पटरी से उतर कर उलट गया और इंजन से ४८ वें से लेकर ५२ वें तक के पांच डिब्बे स्टेशन की सीमा में प्वाइंट नं० टी-७ पर पटरी से उतर गये। इसकी वजह से मुख्य और शाखा लाइनों पर गाड़ियों का आना जाना रुक गया।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।

खाद्य समन्वय समिति त्रिपुरा

†**९३७. श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रिपुरा की खाद्य समन्वय समिति ने उन व्यक्तियों की सूची मांगी है जिन्हें बाढ़ के पश्चात् सहायता के लिये निःशुल्क ७,५०० मन चावल दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां। किन्तु वास्तव में ६,२२० मन चावल का वितरण किया गया था।

(ख) क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या लगभग २ लाख है, अतः राज्य सरकार ने उसकी सूची भेजना सम्भव नहीं समझा।

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में डेरी विकास

†**९३८. श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्र ने त्रावनकोर-कोचीन राज्य को पशुओं के सुधार अथवा डेरी विकास के लिये कोई सहायता दी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या राज्य के पास द्वितीय पंच वर्षीय योजना में पशुओं की नसलों का सुधार करने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण तथा उसके लक्ष्य ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) उसे १९५२-५३ से १९५५-५६ तक पशुओं के सुधार के लिये मुख्य गांव योजना के लिये लगभग १,०८,७०० रुपया दिया गया है, वहां पर डेरी विकास की कोई योजना नहीं थी।

(ख) जी हां।

(ग) १. वर्तमान पांच कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में से प्रत्येक केन्द्र में दो दो अतिरिक्त मुख्य गांवों को मिलाना ताकि उन में १,००० और दूध देने वाले पशु सम्मिलित किये जा सकें।

२. ५ नये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को खोलना, उनके साथ ३० मुख्य गांव होंगे जिसमें कि १५,००० दूध देने वाले अतिरिक्त पशु सम्मिलित होंगे।

३. डेरी विकास परियोजनाओं के साथ साथ ६ मुख्य गांवों की स्थापना, १ और नये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र का खोला जाना जिसमें ३,००० दुधारू पशु आयेंगे।

४. ५०० बछड़ों का पोषण।

५. ५०० दुधारू पशुओं के लिये एक मुख्य गांव विस्तार केन्द्र की स्थापना।

६. ५०० पुराने तथा अनुपयोगी पशुओं के लिये एक गोसदन की स्थापना।

७. दो गोशालाओं का विकास।

८. चलाकुडी और न्यायंतिकारा में दो संकरण अनुसन्धान एककों की स्थापना।

त्रावणकोर-कोचीन में पशु

†९३९. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत त्रावणकोर-कोचीन राज्य में सुधरी हुई नस्लों के कितने पशु उत्पन्न किये गये हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** :

पशु	२३,७४७
भैंसें	१,८४५

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र

†९४०. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री प्रथम पंच वर्षीय योजना के दौरान में त्रावणकोर-कोचीन में हुए कृत्रिम गर्भाधान के कार्य का विस्तृत विवरण तथा उनके परिणामों के संबंध में बताने की कृपा करेंगे ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : प्रथम पंच वर्षीय योजना के दौरान अखिल भारतीय मुख्य गांव योजना के अनुसार त्रावनकोर-कोचीन राज्य में ६ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले गये थे। इस अवधि में विभिन्न केन्द्रों में १५,२४५ पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की गई थी। अभी इसके परिणाम देखे जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस

†९४१. **श्री फीरोज गांधी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ग्रांडट्रंक एक्सप्रेस जुलाई १९५६ में कितने दिन ठीक समय पर दिल्ली पहुंची ; और

(ख) इसी अवधि में वह मद्रास में कितने दिन ठीक समय पर पहुंची ?

†**रलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १२ दिन।

(ख) ११ दिन।

मुर्गी पालन

†९४२. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५५-५६ में त्रावणकोर-कोचीन राज्य में मुर्गी पालन से अनुमानतः कितना उत्पादन हुआ ?

(ख) प्रथम पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ के वर्ष के उत्पादन की तुलना में यह कितना है ; और

(ग) विभिन्न देसी किस्म की मुर्गियों द्वारा दिये गये अंडों की वार्षिक औसत तथा उसकी तुलना में विदेशी किस्म जैसे "राड आइलैंड", "मिनॉरका" अथवा "लेगहॉरन" मुर्गियों के अंडों की औसत ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) तथा (ख). १९५१ में मुर्गियों की संख्या २७६ लाख थी और १९५६ में ५३० लाख। १९५१-५२ में अंडों का वार्षिक उत्पादन ७० करोड़ ८० लाख था। १९५५-५६ में अंडों के उत्पादन के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग)	देशी किस्मों के—	५०	प्रति वर्ष
	व्हाईट लेगहॉरन—	१८९.५२	,,
	'रोडी आइलेंड रेड'—	१७५.७६	,,

राज्य में 'मिनारका' मुर्गियों को नहीं लाया गया है।

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में जपानी ढंग की खेती

†९४३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) त्रावणकोर-कोचीन सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने त्रावणकोर-कोचीन में जापानी प्रकार की खेती पर कितनी राशि व्यय की है ;

(ख) जापानी प्रकार की खेती में एक एकड़ भूमि पर खेती करने का क्या व्यय आता है ; और

(ग) जापानी ढंग की खेती के उस राज्य में नंजीनाद और कुट्टानाद के प्रथम श्रेणी के खेतों के मुकाबले में प्रति एकड़ औसतन कितनी उपज होती है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा वहां पर जापानी ढंग की खेती के लिये विशेष रूप से कोई व्यय नहीं किया गया है।

(ख) २५० से ३०० रुपये प्रति एकड़।

(ग) जापानी ंग से धान की प्रति एकड़ औसतन उपज ३,५०० पौंड है जो नंजीनाद के प्रथम श्रेणी के खतों की औसत उपज के लगभग बराबर है। कुट्टानाद में धान के प्रथम श्रेणी के खेतों की औसत उपज २,५०० से २,८०० पौंड के बीच है।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में काजू की खेती

†९४४. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०-५१ की तुलना में १९५५-५६ में त्रावणकोर-कोचीन में कितने क्षेत्रफल भूमि पर काजू की खेती हो रही है ;

(ख) प्रति वर्ष काजू की लकड़ी से कितनी जलाने की लकड़ी बनाई जाती है ;

(ग) क्या काजू परिष्करण उद्योग की मांग को पूरा करने के लिये त्रावणकोर-कोचीन अथवा अन्य राज्यों में बड़े पैमाने पर काजू के पेड़ लगाने की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क)

१९५०-५१	१९५५-५६
६१,१३३ एकड़	उपलब्ध नहीं है।

(ख) ज्ञात नहीं है।

(ग) तथा (घ). जी हां। मध्य भारत में पहले से ही एक काजू विकास योजना चल रही है। अन्य राज्यों तथा त्रावणकोर-कोचीन के राज्य में इसके संबंध में अभी कोई योजना अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुई है। मध्य भारत की योजना की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३८**]

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में वाणिज्यिक लकड़ी

†९४५. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) त्रावणकोर-कोचीन राज्य में वाणिज्यिक लकड़ी की कौन कौन सी मुख्य किस्में हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक किस्म की त्रावणकोर-कोचीन राज्य में कितनी खड़ी लकड़ी है ; और

(ग) प्रति वर्ष कितनी लकड़ी काटी जाती है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) मुख्य मुख्य किस्में नीचे दी जाती हैं :

	सामान्य नाम	**वानस्पतिक नाम**
१.	सागवान	टेक्टोना ग्रेंडिस
२.	प्रशिशया (रोज़वुड)	डालबर्गिया लेटिफोलिया
३.	आबनूस	डायोसपाइरोस एबनम
४.	मारुती	टरमीनालिया पेनिकुलेटा
५.	घरबनू	टरमीनालिया टोगेंटोसन
६.	इरुल	क्साइलिया ज़ाइलोकारया
७.	करबागम	होपिया परवीफलोरा
८.	बेनटीक	लेगरसट्रेमिया लेंसीलाटा
९.	वेनाग	पटेसेकारपस मारसुपियम
१०.	अंजिली	आरटोकारपस हीरसुटा
११.	नांगू	मेसुआ फेरिया

†मूल अंग्रेजी में

१२. गनावल	इयुजेनिया जम्बोलामा
१३. मुल्लुवेनगा	वरिडेलिया रेटुसा
१४. करांजिलि	डिपटेरोकारपस बारडिललोनी
१५. कुलाबू	हारविषिया पिलुएटा
१६. उन्नम	गरीविया तिलिया लोओ्रा
१७. वाहा	आलबिज़िया
१८. मंजाकंदम्बु	एडिरा कोरडीफोलिया
१९. इलाबू	वरबाक्स मालबेरिकम
२०. वेलापीने	वेटेरिया इंडिका
२१. कुलामालू	मेखिलस मेख्रान्था
२२. पाला	आलसरोनिया सकालोरिस
२३. मात्ती	एलान्थस मालबेरिका
२४. सफेद देवदार	डाइसोक्साइलम मालबेरिकम
२५. लाल देवदार	सेडरेला टूना
२६. कानालई	टरपीनिया नेपालिनसिस
२७. चीनी	टेटरामेलिस नूडीफलोरा आदि ।

(ख) अभी सूचना उपलब्ध नहीं हुई है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों में तीन किस्मों की काटी गई लकड़ी की कुल मात्रा नीचे दी जाती है:—

१९५२-५३	३३,२८,५६५	घन फुट
१९५३-५४	३१,४४,१४४	,,
१९५४-५५	४०,७२,४८९	,,

सागवान के वृक्ष लगाना

†९४६. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत सागवान के वृक्ष लगाने के लिये कितने क्षेत्र का विकास किया गया था ; और

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) प्रथम पंच वर्षीय योजना में यदि कोई सागवान के वृक्ष लगाने का कार्य यदि हुआ है तो वह राज्य सरकारों द्वारा ही किया गया है । इसके क्षेत्रफल के संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ख) ६०,००० एकड़ ।

लघु वनोत्पादों से राजस्व

†९४७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) त्रावणकोर-कोचीन राज्य में लघु वनोत्पादों से अनुमानत: कुल कितना राजस्व प्राप्त होता है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या त्रावणकोर-कोचीन के जंगलों में पैदा होने वाले औषधियों के पौदों को संग्रह करने तथा उनका परिष्करण करने के लिये कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) इस संबंध में १९५६-५७ में प्राक्कलित राजस्व की राशि २,७५,००० रुपये है।

(ख) औषधियों संबंधी पौदों के संग्रह का अधिकार प्रति वर्ष अन्य लघु वनोत्पादों के संग्रह पट्टे के साथ ही दिया जाता है। त्रावणकोर में जो औषध संबंधी पौदे होते हैं सरकार उनका परिष्करण नहीं करती है।

त्रावणकोर कोचीन राज्य में खेती के अन्तर्गत भूमि

†**१४८. श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५५-५६ में त्रावणकोर-कोचीन में निम्नलिखित वस्तुओं के अन्तर्गत कितने एकड़ भूमि में खेती हो रही थी तथा प्रथम पंच वर्षीय योजना के पहले वर्ष में कितनी भूमि पर :

(१) टोपियोका
(२) काली मिर्च
(३) छोटे केले
(४) बड़े केले
(५) काजू
(६) अदरक
(७) लेमन ग्रॉस
(८) धान ; और

(ख) इस राज्य में प्रथम पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष की तुलना म १९५५-५६ में कृषि उत्पादन कितना हुआ ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना संबंधी दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३९**]

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में दूध की खपत

†**१४९. श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि इस समय त्रावणकोर-कोचीन में दूध तथा दूध की बनी हुई वस्तुओं की प्रति व्यक्ति खपत सब स्थानों से कम है ;

(ख) यदि हां, तो यह (१) मद्रास (२) मैसूर (३) उत्तर प्रदेश और (४) पंजाब से तुलना में कितनी है ; और

(ग) क्या इसको अखिल भारतीय औसत तक लाने के लिये कोई विशेष प्रयत्न किया जा रहा है तथा इस कार्य के लिये (१) राज्य सरकार और (२) केन्द्रीय सरकार ने कितनी कितनी राशि निर्धारित की है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां, मणीपुर राज्य को छोड़ कर जहां कि इससे भी कम खपत है।

(ख)	त्रावणकोर-कोचीन .	०·८१ औंस
	मद्रास	२·३८ औंस

†मूल अंग्रेजी में

मैसूर	. २·८९ औंस
उत्तर प्रदेश	. ६·९८ औंस
पंजाब	१२·५८ औंस

(ये आंकड़े पशुओं की तथा मनुष्यों की १९५१ की गणना पर आधारित हैं)

(ग) राज्य सरकार को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में डेरी विकास के लिये निम्नलिखित योजनाएं प्रारम्भ करने की सलाह दी गई है। इससे राज्य में उत्पादन तथा खपत दोनों में वृद्धि होगी।

(रुपया लाखों में)

योजना का नाम	राज्य का भाग	केन्द्रीय सहायता		कुल लागत
		अनुदान	ऋण	
(१) ऊंचे क्षेत्रों में डेरी उद्योग का विकास	५·००	..		५·००
(२) वर्तमान डेरी फार्म में सुधार	२·४८	०·३८	१·१६	४·०२
(३) सूखा घास भूसा आदि जमा करने की फार्म की स्थापना	१·३७	०·१७५	०·५२५	२·०७
(४) सहकारी दूध यूनियन की स्थापना	१·९०	२·९१	१·९४	६·७५
कुल जोड़ .	१०·७५	३·४६५	३·६२५	१७·८४

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में दूध का उत्पादन

†१५०. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि अन्य राज्यों की तुलना में त्रावणकोर-कोचीन राज्य में पशुओं के दूध का औसतन उपज सब से कम है ; और

(ख) यदि हां, तो त्रावणकोर-कोचीन में एक गाय का प्रति वर्ष औसत दूध क्या है तथा (१) मद्रास (२) आन्ध्र (३) मैसूर, और (४) पंजाब में क्या है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। मगर इन सब स्थानों पर प्रति गाय का वार्षिक औसत दूध नीचे दिया जाता है :

त्रावणकोर-कोचीन	. २६०	पौंड
मद्रास	. ३९९	,,
आन्ध्र	. ४७३	,,
मैसूर	. १९१	,,
पंजाब	. १,०९६	,,

†मूल अंग्रेजी में

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में मीन क्षेत्र संबंधी गवेषणा

†९५१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावणकोर-कोचीन सरकार तथा त्रावणकोर विश्वविद्यालय के संरक्षण में कितने व्यक्ति त्रावणकोर-कोचीन राज्य में मीन क्षेत्र संबंधी गवेषणा कर रहे हैं ;

(ख) क्या त्रावणकोर-कोचीन के किसी कालिज में विशेषतया मीन क्षेत्र के अध्ययन का पाठ्यक्रम है तथा यदि हां तो उसमें कितने विद्यार्थी हैं ; और

(ग) क्या स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षाओं में प्राणी शास्त्र को मुख्य विषय बनाकर मीन क्षेत्र संबंधी विशेष पाठ्यक्रम को राज्य के कालिजों में लागू करने की कोई योजना सरकार के पास है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) त्रावनकोर-कोचीन सरकार . ७
त्रावनकोर विश्वविद्यालय ५

(ख) जी नहीं, कलामासेरी की सरकारी पोलिटेकनीक संस्था में विश्वविद्यालय का, मीन क्षेत्र का एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम है जिसमें प्रति वर्ष २५ विद्यार्थी प्रविष्ट किये जाते हैं तथा तीन वर्ष का कोर्स है ।

(ग) राज्य सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में, विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में, समद्रीय जीवविज्ञान तथा मीन क्षेत्र शिक्षा प्रारम्भ करने की व्यवस्था सम्मिलित की है ।

समुद्रीय उत्पाद

†९५२. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावणकोर-कोचीन राज्य में समुद्रीय उत्पादों संबंधी जानकारी को त्रावणकोर-कोचीन में लोकप्रिय बनाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां तो उसके ब्योरे क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उपयुक्त स्थानों पर समुद्रीय उत्पादों के स्थायी प्रदर्शिनी जिससे विद्यार्थियों में रुचि बढ़े, के औचित्य पर, विचार किया है तथा यदि हां, तो उसके ब्योरे क्या हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) मछुओं में अर्द्ध शुष्क झींगा मछली बनाने को लोक प्रिय करने का एक प्रस्ताव है । जो गत दस वर्षों में, समुद्रीय उत्पादों जैसे शार्क के जिगर का तेल, कछवे का तेल, बालिस्टिस के जिगर का तेल मत्स्य भोजन, मछली से बनाया गया गन्ध तथा स्वाद रहित प्रोटीन, अगर अगर बनाना, एलिनिगक एसिड, मैनिनटोल तथा समुद्रीय वीड्स से लैमीनैरीन तथा झींगा मछली की बकलों से विटामिन डी निकालना आदि के बारे में त्रावणकोर विश्वविद्यालय के समुद्रीय जीवन विज्ञान तथा मीन क्षेत्र विभाग में कुछ कार्य हुआ है । वैज्ञानिक पत्रिकाओं में, इन कुछ कार्यों के परिणाम प्रकाशित हुए हैं ।

(ग) अब तक नहीं ।

मछली पकड़ने की नावें

†९५३. **श्री वें० प० नायर** : **क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) त्रावणकोर-कोचीन राज्य में कितनी समुद्री नावें मछली पकड़ने के कार्य में लगी हैं ;

(ख) इनमें से कितनी नावे समुद्री मछुओं की हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अब तक कितनी नावें समुद्री मालिकों से समुद्री मछुवों ने किराये पर ली हैं ; और

(घ) किन शरतों पर ये नावें किराये पर ली जाती हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) ७,६००.

(ख) और (ग). सही सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) स्थान-स्थान पर शर्तों में विभिन्नता है । सामान्यत: पकड़ी गई मछलियों में से लगभग ४५–५० प्रतिशत नावों के मालिकों द्वारा ले ली जाती हैं ।

समुद्रीय मीन क्षेत्र

†**९५४. श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावणकोर-कोचीन राज्य में समुद्रीय मीन क्षेत्र में कितने करमारां, प्रयोग में लाये जाते हैं ; और

(ख) मछुवों को "करमारा" बनाने के लिये आवश्यक लकड़ी देने मे क्या कोई रियायत दी जाती है और यदि हां, तो क्या ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) १५,८६५.

(ख) कम की हुयी दर जो कि लगभग बाजार भाव से एक तिहाई होती है मछुवों को नरम लकडी दी जाती है राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नयी योजना के अधीन वन क्षेत्रों से लकड़ी के परिवहन के व्यय का एक अंश राज्य सरकार देगी, इसके लिये केन्द्र ने 'अधिक अन्न उप-जाओ' कार्यक्रम के अन्तर्गत धन स्वीकृत किया है ।

सामुदायिक रेडिओ

†**९५५. श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावणकोर-कोचीन राज्य में त्रावणकोर-कोचीन के तटीय मछली पकड़ने वाले ग्रामों में कितने सामुदायिक रेडियो हैं ;

(ख) समुद्र में जाने वाले मछुवों के लाभार्थ कितने चेतावनी टावर बनाये गये हैं ; और

(ग) उपरोक्त कार्य के लिये प्रथम पंच वर्षीय योजना में कुल कितना धन व्यय किया गया ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) राज्य के तटीय क्षेत्रों को लगभग १०० रेडियो दिये गये हैं परन्तु यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि इन सभी का उपयोग किया जा रहा है या नहीं ।

(ख) कोई नहीं । राज्य की द्वितीय पंच वर्षीय योजना में मार्ग दर्शक प्रकाश का प्रबन्ध करने का विचार है ।

(ग) रेडियो सेट लगाने के लिये लगभग ४५,००० रुपया राज्य सरकार ने व्यय किया है ।

मछुवों के गांवों में खेल के मैदान

†**९५६. श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावणकोर-कोचीन राज्य के मछुवों को गांवों म प्रथम पंच वर्षीय योजना में, कुछ खेल मैदानों की व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो वह कितने हैं ; और

(ग) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में मछुवों के गांवों में कितने खेलने के मैदानों की व्यवस्था करने का लक्ष्य है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) राज्य सरकार की द्वितीय पंच वर्षीय योजना में खेलने के मैदानों की कोई व्यवस्था नहीं है।

त्रावणकोर-कोचीन राज्य का परिवहन विभाग

†**९५७. श्री वें० प० नायर** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावणकोर-कोचीन राज्य के परिवहन विभाग में इस समय

(१) जांच करने वाले निरीक्षक

(२) कन्डक्टर

(३) ड्राइवर ; और

(४) मैकेनिक

कितने हैं ;

(ख) उपरिलिखित (१) तथा (२) में इस समय कितने स्नातक काम कर रहे हैं ; और

(ग) (१) से (४) के वर्तमान वेतन क्रम क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४०**]

त्रावणकोर-कोचीन राज्य का परिवहन विभाग

†**९५८. श्री वें० प० नायर** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावणकोर-कोचीन राज्य के परिवहन विभाग में इस समय कुल कितना धन लगा हुआ है;

(ख) अब तक कुल सकल तथा शुद्ध लाभ कितना हुआ है ;

(ग) १९५२ से विभाग के लिये कितने मरसेडीज़ तथा लेलैंड ट्रकें तथा बसें ली गयीं तथा प्रत्येक प्रकार के लिये कुल कितना मूल्य दिया गया ;

(घ) मरसेडीज़ तथा लेलैंड बसों से प्रति मील कितनी धन राशि प्राप्त हुई ; और

(ङ.) इन बसों को किन अभिधानों ने दिया ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ङ). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४१**]

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में मछुवे

†**९५९. श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावणकोर-कोचीन राज्य में कितने समुद्री मछुवे हैं ; और

(ख) इन मछुवों की औसतन प्रति व्यक्ति आय क्या थी तथा प्रथम पंच वर्षीय योजना में इनकी आय में कितनी बढ़ोतरी हुई ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) लगभग ७०,०००.

(ख) मछुवों की प्रति व्यक्ति आय की तथा प्रथम पंच वर्षीय योजना में इसकी बढ़ोतरी की जानकारी नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में मछुवों के बच्चे

†९६०. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावणकोर-कोचीन राज्य की जनता के अन्य भागों की तुलना में, मछुवों के स्कूल जाने वाले आने वाले, बच्चे कितने प्रतिशत हैं जो स्कूल जाते हैं ; और

(ख) प्रथम पंच वर्षीय योजना में मछुवों के बच्चों की शिक्षा के लिये विशेषतया कितना धन व्यय किया गया ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ख) प्रथम पंच वर्षीय योजना में मछवों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष रूप से कोई राशि व्यय नहीं की गई ।

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में सफाई की हालत

†९६१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि अंदरूनी गांवों की तुलना में त्रावणकोर-कोचीन राज्य के तटीय ग्रामों में सफाई की स्थिति बड़ी खराब है ;

(ख) यदि हां तो प्रथम पंच वर्षीय योजना में इनके सुधार के लिये क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) ऊपर (ख) के बारे में कुल कितना धन व्यय किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) जी हां ।

(ख) तटीय ग्रामों के लिये, राज्य सरकार की प्रथम पंच वर्षीय योजना में कोई अलग योजना नहीं थी परन्तु प्रथम पंच वर्षीय योजना में राज्य की सरकार की स्वास्थ्य तथा सफाई योजना का उनको भी लाभ हुआ है ।

(ग) तटीय क्षेत्रों के अलग लेखे उपलब्ध नहीं हैं ।

पीने का पानी (त्रावणकोर-कोचीन राज्य)

†९६२. **श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रावणकोर-कोचीन राज्य के कई तटीय ग्रामों में स्वच्छ पीने का पानी प्राप्य नहीं है ;

(ख) क्या प्रथम पंच वर्षीय योजना मे स्वच्छ पीने के पानी की प्राप्यता की कोई व्यवस्था की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो जितने धन की व्यवस्था की गई थी उसमें से कुल कितना धन व्यय किया गया ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । २५ लाख रुपये दिये गये थे जिसमे से त्रावणकोर-कोचीन राज्य को ६·२५ लाख रुपये दिये जा चुके हैं ।

(ग) ३.९२ लाख रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रावणकोर-कोचीन राज्य के मछुवों को ऋण

†९६३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में त्रावणकोर-कोचीन राज्य के कम काम वाले महीनों में कमी पूरी करने के लिये मछुवों को कुल कितना ऋण दिया गया ; और

(ख) क्या वे मीजन मासों में जब समुद्र में मछली पकड़ना संभव नहीं होता उस समय के लिये मछुवों को सहायता देने का कोई प्रस्ताव है ;

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) कम काम वाले महीनों में कमी पूरी करने के लिये कोई ऋण नहीं दिया जाता है परन्तु मछली पकड़ने के औज़ार खरीदने के लिये ऋण दिये गये हैं।

(ख) राज्य सरकार की द्वितीय पंच वर्षीय योजना में, सहायक उद्योगों तथा एक ब्रेक वाटर बनाने की व्यवस्था है जिससे मछुवे अधिक मानसून में भी मछली पकड़ सकें।

डाक के डिवीजन (राजस्थान)

†९६४. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में डाक के कितने डिवीजन हैं ;

(ख) वे किन स्थानों पर स्थापित हैं और किस आधार पर बनाये गये हैं ;

(ग) १९५३, १९५४ तथा १९५५ में क्रमशः कितने नये डाकखाने तथा तार और सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोले गये तथा वह कहां कहां हैं ; और

(घ) डाक तथा तार घर खोलने के कितने नये प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुये हैं तथा इस वर्ष में अब तक इनमें से कितने स्वीकृत हुए हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) इस समय नौ।

(ख) ये डाक डिवीजन इन स्थानों पर हैं :—

(१) भरतपुर
(२) जोधपुर
(३) बीकानेर
(४) अजमेर
(५) जयपुर
(६) इन्दौर
(७) उज्जैन
(८) लश्कर
(९) भोपाल

डाक डिवीजन निम्न प्रमाप के आधार बनाए जाते हैं :—

(१) द्वितीय श्रेणी डिवीजन

यदि वहां १५० क्लर्क तथा अधीक्षक के लिये १०० निरीक्षण करने के दिन हों।

(२) प्रथम श्रेणी जूनियर स्केल डिवीजन

यदि वहां ३०० क्लर्क हों।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) प्रथम श्रेणी सीनियर स्केल डिवीजन

यदि डिवीजन में एक ग्रेड 'क' का डाकखाना हो जिसका प्रभारी एक गजेटेड पोस्ट मास्टर हो ।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) डाकखाने खोलने के १३५ नये प्रस्तावों में से ५० स्वीकृत हो चुके हैं । जहां तक तार घरों का संबंध है, ४० प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमे से २१ स्वीकार किये जा चुके हैं ।

तार घर

†१९६५. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है उदयपुर, जिले में भूपला सागर तथा जवार खदानों में केवल दो ही ऐसे औद्योगिक स्थान हैं जहां तार घर नहीं हैं ; और

(ख) क्या सरकार वहां शीघ्र तार घर स्थापित करने का विचार कर रही है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). भूपाल सागर में एक तार घर है । जवार खदान-क्षेत्र में तार घर खोलने की अब तक मांग प्राप्त नहीं हुई है ।

तार घर (उदयपुर)

†१९६६. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर जिले के निम्नलिखित मुख्य कार्यालयों में अब भी तार घर नहीं हैं, यद्यपि प्रत्येक की जन संख्या पांच हजार से अधिक है :

(१) फतेह नगर
(२) बड़ी सदरी
(३) कानौर
(४) उन्थला वल्लभ नगर
(५) गोगुन्दा;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार वहां शीघ्र तार घर खोलने का विचार कर रही है ; और

(ग) उनके कब तक चालू हो जाने की आशा है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग).

फतेह नगर, बड़ी सदरी, कानौर } तार घर यहां पहले से मौजूद है ।

उन्थला (वल्लभनगर) : शीघ्र तार घर खोले जाने की आशा है ।

गोगुन्दा : प्रस्ताव स्वीकार किया जा चुका है । यदि सामग्री समय पर प्राप्त हुई तो मार्च, १९५७ तक कार्यालय खोले जाने की आशा है ।

जगाधरी-लुधियाना रेलवे लाईन

†१९६७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री १० मई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १९४४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के चन्डीगढ़ होकर जगाधरी-लुधियानां रेलवे लाइन के निर्माण के प्रश्न पर कोई अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किस प्रकार का है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) अभी नहीं। प्रस्ताव की अभी जांच हो रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंजाब में बेरोजगार लोग

†**९६८. श्री हेम राज** : क्या **श्रम** मंत्री २ अगस्त, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के काम दिलाऊ दफ्तरों में आवेदकों ने किन विभिन्न धन्धों को अधिक पसन्द किया है ;

(ख) उनमें से मैट्रीक्युलेट कितने हैं ; और

(ग) सरकार ने इन मैट्रीक्युलेटों को ऐसे धंन्धों में प्रशिक्षण देने के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है जिनकी द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में तथा इस समय भी पंजाब में बहुत मांग है जैसे ओवरसियर, नक्शानवीस, सर्वेक्षक, स्टेनोग्राफर, मिकेनिक, विद्युतकार तथा प्रविधिज्ञ आदि ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) १७,५७४

(ग) व्यावसायिक कार्यों में प्रशिक्षण देने के इच्छुक मैट्रीक्युलेट विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश के लिये आवेदन कर सकते हैं। द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में आधिक संख्या में कारीगरों को प्रशिक्षित करने का विचार है।

डीजेल रेलवे इंजन

†**९६९. श्री फीरोज गांधी** : क्या **रेलवे** मंत्री १ अगस्त, १९५६ को राज्य सभा में डीजेल रेलवे इंजनों के नौतल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के संबंध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संक्या ६९ के अपने वक्तव्य के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी लाइन के डीजेल रेलवे इंजन का नौतल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य ३१,३०० पौ० और बड़ी लाइन के डीजल इंजन का मूल्य १९,५०० पौ० क्यों है ;

(ख) बड़ी लाइन और छोटी लाइन के डीजल इंजन किस देश के बने हुए हैं और उनके निर्माता का नाम क्या है ; और

(ग) इन आर्डरों से बड़ी लाइन और छोटी लाइन के जो डीजेल इंजन आयात किये गये हैं उनकी खींचने की शक्ति कितनी होगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) छोटी लाइन के डीजेल इंजन मुख्य लाइन पर गाड़ी खींचने के लिये हैं जो ६२५ अश्व शक्ति के हैं जब कि बड़ी लाइन के इंजन, जिनका उपयोग शंटिग में किया जाता है, ४०० अश्व शक्ति के होते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तथा (ग).

	बड़ी लाइन के डीजेल इंजन (शंटिंग)	छोटी लाइन के डीजेल इंजन (सामान्य कार्य के लिये)
जिस देश के बने हुए हैं	जर्मनी	इंगलिस्तान
निर्माता का नाम	मेसर्स क्रॉस माफी	नार्थ ब्रिटिश लोकोमोटिव कं० लिमि०
*न्यूनतम खींचने की शक्ति	२७,५०० पाउण्ड	२०,००० पाउण्ड

*खींचने की शक्ति में गति के अनुसार परिवर्तन होता है, गति कम होने से अधिक माल खींचा जा सकता है।

डालमिया दादरी

†९७०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री १८ मई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २१९० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार को पेप्सू सरकार से कोई अभ्यावेदन इस संबंध में प्राप्त हुआ है कि डालमिया दादरी स्टेशन का नाम बदल कर चरखी दादरी कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) डालमिया दादरी स्टेशन का नाम बदल कर चरखी दादरी रखने के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

बेसिक प्रशिक्षण

†९७१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का प्रत्येक रेलवे पर शिल्पकार कर्मचारियों के बेसिक प्रशिक्षण के लिये केन्द्रों को संकठित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ४२**]

माली तथा अन्य औद्यानिक कर्मचारी

†९७२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में मालियों तथा अन्य औद्यानिक कर्मचारी-वर्ग को प्रशिक्षण देने की योजना का ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : मालियों को प्रशिक्षण देने की योजना बताने वाला एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४३**] द्वितीय पंच वर्षीय योजना में अन्य औद्यानिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की किसी योजना पर विचार नहीं किया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

पीने के जल की सुविधायें (पंजाब)

†९७३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों में पीने के जल के कुयें बनाने के लिये पंजाब के लिये अब तक कितनी राशि नियत की गई है ;

(ख) अब तक कितने कुयें बनाये गये हैं और इस वर्ष के अन्त तक कितने कुयें पूरे हो जायेंगे ; और

(ग) ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जिनमें पीने के जल की सुविधायें नहीं हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) :** (क) प्रथम पंच वर्षीय योजना में पंजाब के गांवों में जल संभरण करने तथा सफाई की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये २१·० लाख रुपये नियत किये गये थे जिसमें से १०·२५ लाख रुपये राज्य सरकार को दिये गये थे ।

(ख) राज्य सरकार ने अपनी योजनाओं में गांवों में कोई नल कूप बनवाने की व्यवस्था नहीं की थी ।

(ग) जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गांव के डाकिये

†९७४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में गांव के डाकियों की संख्या कितनी थी ;

(ख) वे कितने गांवों में डाक बांटते हैं ; और

(ग) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में गांव के डाकियों की संख्या में अनुमानतः कितनी वृद्धि की जायेगी ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) गांव के डाकियों की संख्या में वृद्धि करने के बजाय उल्टे कमी ही की जा सकती है ।

काम दिलाऊ दफ्तर, होशियारपुर

†९७५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होशियारपुर के काम दिलाऊ दफ्तर में १९५५ में कुल कितने व्यक्तियों को पंजीबद्ध किया गया था ; और

(ख) उनमें से कितने लोगों को काम दिलाया गया ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :**

(क) ६,००९

(ख) ७९८

वनस्पति

†९७६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की १९५६-५७ में अब तक कुल कितना वनस्पति तैयार किया गया है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** अप्रैल से जून, १९५६ तक ६५,६९४ टन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विश्व डाक यूनियन

†९७७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व डाक यूनियन के संगठन में १९५५ में भारत ने क्या भाग अदा किया ;

(ख) उक्त काल में संगठन की क्या मुख्य कार्यवाहियां रहीं ; और

(ग) क्या इन पर कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४४**]

मालगाड़ी के डिब्बों का पटरी से उतरना

९७८. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २८ जून, १९५६ की रात को मुगलसराय और काशी स्टेशनों के बीच एक माल गाड़ी के १२ डिब्बे पटरी से उतर गये ; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के कारण क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये वर्दी

†९७९. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकियों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रति वर्ष वर्दियां दी जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोचीन क्षेत्र (मद्रास सर्किल) से १९५५ में वर्दियां न दी जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) क्या इस बात की भी शिकायतें की गई थीं कि तब से जो वर्दियां दी गई थीं वे उनके लिये उपयुक्त नहीं थीं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां, गरम वर्दी उन्हें हर तीसरे वर्ष दी जाती है।

(ख) १९५५ की गर्मी की वर्दियां ठेकेदारों द्वारा समय पर सिलकर न देने के कारण विलम्ब से दी गई थीं।

(ग) कुछ शिकायतें इस बारे में प्राप्त हुई थीं कि उनकी सिलाई अच्छी नहीं हुई है। ऐसा ठेकेदार द्वारा असन्तोषजनक कार्य के परिणामस्वरूप हुआ। कुछ शिकायतें इस संबंध में भी थीं कि खादी कुछ मोटी थी।

सप्लाई तथा डिस्पोजल के डाइरेक्टर जनरल ने खादी की किस्मों के मामले पर पुनर्विचार किया था और अब खादी अच्छे किस्म की है। जहां तक खराब सिलाई का संबंध है, पोस्ट मास्टर जनरल ने अब यह कार्य जेल अधिकारियों को सौंप दिया है जहां अच्छी किस्म की सिलाई की आशा की जाती है।

---

†गूल अंग्रेजी में

मलेरिया विरोधी कार्य (राजस्थान)

†९८०. **श्री भीखा भाई** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में मलेरिया विरोधी कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : उक्त राज्य ने १९५३-५४ में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण परियोजना में भाग नहीं लिया था। उसने १९५४-५५ के कार्य क्रम में भाग लेने का विचार किया था जब कि इस राज्य को दो एकक आवंटित किये गये थे। किन्तु उन्होंने जून, १९५५ से कार्य करना प्रारम्भ किया। १९५५-५६ में तीन अतिरिक्त एकक आवंटित किये गये थे जिनमें से एक एकक नगरपालिका है। इन्होंने अभी कार्य करना आरम्भ नहीं किया है।

ये दो विद्यमान राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण परियोजनाओं संबंधी एकक उदयपुर और जोधपुर डिवीजनों में कार्य कर रहे हैं जिनके मुख्यालय उदयपुर और जालौर में हैं। प्रत्येक एकक में चार उप-एकक हैं जिनके अन्तर्गत क्रमशः उदयपुर के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले तथा जोधपुर डिवीजन में जालौर, पाली, संचोर, जसवंतपुरा, बाली, देसूरी, सिवाना, पचपाद्र तहसीलें और बारमेर का पूर्वी भाग आ जाता है। मलेरिया विरोधी कार्यों के अन्तर्गत प्रत्येक एकक में १०,००,००० जनता आ जाती है। निवारक उपाय के रूप में डी० डी० टी० छिड़का गया था। इन एककों के लिये स्वीकृत संख्या में चिकित्सा पदाधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारीगण नियुक्त किये गये हैं। इन एककों को अब तक के कार्य-कलाप निम्न हैं :—

१. कुल जितने गांवों में छिड़का गया . .	३,२२३
२. आवंटित क्षेत्र की कुल जन संख्या	२१,०६,४९६
३. प्रत्यक्ष संरक्षित की गई कुल जन संख्या	१२,७८,९८३
४. रोगी जिनका इलाज किया गया : —	
सभी प्रकार के मामले . . .	५,८६,५२३
केवल मलेरिया के	६५,१६८

आशा यह की जाती है कि इस राज्य को नियत किये गये पांचो एकक १९५६-५७ में कार्य करने लगें गे। चालू वर्ष में राजस्थान को ३ एकक और आवंटित करने का फिलहाल विचार है जिससे मलेरिया होने की सम्भावना वाली सारी जन संख्या की रक्षा की जा सके।

बेगार

†९८१. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेगार अब भी प्रचलित है और पंजाब के कुछ जिलों में, विशेषकर कांगड़ा घाटी में लोक निर्माण विभाग पदाधिकारियों द्वारा लोगों को कार्य करने के लिये विवश किया जाता है,

(ख) यदि हां, तो कुछ सरकारी पदाधिकारियों द्वारा अपनाई गई इस गैर कानूनी प्रथा पर तिबन्ध लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) वे स्थान कौन कौन से हैं जहां बेगार की प्रथा अब भी प्रचलित है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को गत वर्ष यह सूचना दी थी कि अनुसूचित और आदिम जाति क्षेत्रों में कुछ हद तक बेगार चालू है। राज्य सरकारों से निवेदन किया गया कि वे आदिम जाति मंत्रणा परिषदों के परामर्श से इस प्रथा का उन्मूलन करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही करें। यह प्रथा देश के अन्य भागों में नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति

†९८२. **सरदार इकबाल सिंह:**
सरदार अकरपुरी:

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २७ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के बारे में भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति द्वारा स्वीकृत योजना में क्या प्रगति हुई है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : पंजाब में बैसिरा तिलहन की फसल बढ़ाने की उपयुक्त प्रविधि के विकास करने की योजा को, जिसकी भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति ने सिफारिश की थी, भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसी प्रकार की एक योजना भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, नई दिल्ली में चल रही है।

दूसरी श्रेणी का हटाना

†९८३. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :
श्री ल० ना० मिश्र :
श्री राम दास :
ठाकुर युगल किशोर सिंह :
बाबू राम नारायण सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने जुलाई १९५६ में किन किन ब्रांच लाइनों पर दूसरी श्रेणी हटा दी है ;

(ख) किन किन लाइनों पर दूसरी श्रेणी के हटाये जाने पर प्रथम श्रेणी का स्थान बढ़ाया जाने को है ; और

(ग) द्वितीय श्रेणी को प्रथम श्रेणी में बदलने पर सरकार का कितना रुपया खर्च करने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४५]**

(ख) कुछ नहीं।

(ग) कुछ नहीं, क्यों कुछ ब्रांच लाइनों पर दूसरी श्रेणी के हटाये जाने पर दूसरी श्रेणी के डिब्बों को प्रथम श्रेणी के डिब्बों में परिवर्तन नहीं किया गया है।

डाक घर (गुरदासपुर)

†९८४. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत पंजाब में गुरदासपुर में डाक घर खोलने के निर्धारित लक्ष्य की कहां तक पूर्ति हुई है ; और

(ख) क्या उपरोक्त जिले के प्रत्यक ऐसे गांव में जिसकी जन संख्या एक हजार या इससे अधिक हो डाक घर खोलने का कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) प्रथम पंच वर्षीय योजना अवधि में जिला गुरूदासपुर के देहाती क्षेत्रों में १७ डाक घर खोले गये थे और लक्ष्य को पूर्ण रुप से प्राप्त कर लिया गया था।

(ख) एक हजार और इससे अधिक जन संख्या वाले प्रत्येक गांव में डाक घर खोलने की कोई योजना नहीं है। यदि कुछ ग्रामों को मिला कर वहां की जन संख्या २,००० हो जाये और उनके आस पास तीन मील के घेरे में कोई डाक घर न हो और वार्षिक हानि के ७५० रुपये से अधिक होने की आशा न हो और वह स्थान उस क्षेत्र के मध्य में हो तो डाक घर खोलने के बारे में विचार किया जायगा।

रेलवे के फाटक

†९८५. {**सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में पंजाब और पेप्सू में कितने रेलवे के फाटकों की व्यवस्था की जायेगी ; और

(ख) यह फाटक किन स्थानों पर लगाये जाते हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन):** (क) और (ख). इस प्रकार की जानकारी रलवे वार ही उपलब्ध हो सकती है। फिर भी यह ज्ञात हुआ है कि १९५६-५७ में पंजाब और पैप्सू में अबोहर और सुनाम के निकट दो फाटक पहले ही बनाये जा चुके हैं। १९५६-५७ में दिल्ली भटिंडा सैक्शन पर मील ३३६/१६–१७ और १९६/१५–१६ पर दो और रिवाड़ी-फाजिलका सैक्शन पर मील ५१ और ११७/१३–१४ पर दो फाटक और बनाने का विचार है।

पठानकोट-जम्मू सड़क

†९८६. {**सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पठानकोट-जम्मू सड़क पर कितने बड़े पुल बनाये जा रहे हैं ;

(ख) अब तक कितने बन चुके हैं ; और

(ग) अन्य कब बन कर पूरे होंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) दो।

(ख) चार

(ग) जो पुल बन रहे हैं वे मई, १९५७ तक बन कर पूरे हो जायेंगे। अभी दो पुलों पर काम आरम्भ किया जाना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिक अन्न उपजाओ योजनायें

†९८७. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ से १९५६ तक पंजाब राज्य को अधिक अन्न उपजाओ योजना और नल कूप योजनाओं को ऋण, सहायक अनुदानों अथवा आर्थिक सहायता के रूप में कितना रुपया दिया गया ;

(ख) क्या समस्त धन राशि काम में लाई जा चुकी है ; और

(ग) उपरोक्त प्रयोजनों के लिये १९५६-५७ में कुल कितनी राशि दी जाने को है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) और (ख). १९४७-४८ से १९५५-५६ तक पंजाब को अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं और नल कूप योजनाओं के लिये ऋणों और सहायता अनुदानों के लिये १,७७३·३४ लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं जिस में से राज्य सरकार द्वारा उसी अवधि में १,२०९·७७ लाख रुपया खर्च कर दिये गये हैं।

(ग) १९५६-५७ में ५९·७८ लाख रुपया पहले स्वीकृत किया जा चुका है और ६१·७९ लाख रुपये की और स्वीकृति दिये जाने की संभावना है।

टिप्पणी :—

१. योजनायें वित्तीय वर्षों के लिये स्वीकृत की जाती हैं न कि पत्ती वर्षों के लिये।

२. १९५५-५६ में हुए वास्तविक खर्च के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, राज्य को स्वीकृत की गई धन राशि को प्रयोग में लाया गया समझ लिया गया ह।

वनस्पति

†९८८. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में वनस्पति का उत्पादन उसी तीव्र गति से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो नये एककों को लाइसेंस न देने की नीति की सरकार द्वारा घोषणा किये जाने पर भी उत्पादन में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) हां श्रीमान परन्तु शीघ्रता से नहीं।

(ख) उत्पादन वर्तमान क्षमता को पूरी तरह प्रयोग में लाये जाने और निर्यात की मांग के बढ़ जाने से बढ़ गया है।

रिविलगंज में डाकघर की इमारत

९८९. **श्री म० ना० सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बिहार राज्य के सारन जिले में रिविलगंज का किराये का डाक तथा तार घर मकान-मालिक की लापरवाही के कारण खतरनाक हालत में है ; और

(ख) क्या सरकार इन डाक घरों को किसी अन्य सुरक्षित इमारत में ले जाना चाहती है, अथवा वह स्वयं अपनी विभागीय इमारत बनवाना चाहती है, या फिर वह इन किराये की इमारतों की ही आवश्यक मरम्मत करवा कर उनकी मरम्मत आदि की लागत को सम्बद्ध मकान मालिकों से वसूल करना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) रिविलगंज का किराये का डाक तथा तार घर पुराना है और उसकी ठीक से मरम्मत नहीं की गई है। मकान मालिक ने केवल गिरे हुए पलस्तर तथा टपकने वाली जगहों की मरम्मत कराई है।

(ख) विभाग की ओर से इस किराये के मकान में कोई आवश्यक मरम्मत या परिवर्तन करने का तथा मरम्मत की लागत मालिक-मकान से वसूल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस दफ्तर को किसी और उपयुक्त भवन में हटा कर ले जाने की काफी कोशिश की गई, परन्तु उस जगह किसी उपयुक्त भवन के न मिलने के कारण इस दफ्तर को हटाया न जा सका। तथापि, द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ऐसा प्रस्ताव है कि इस दफ्तरके लिये कोई जमीन ले ली जाय और एक विभागीय भवन बना दिया जाय।

छपरा तक रेलगाड़ी चलाना

९९०. श्री म० ना० सिंह : क्या **रेलव** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बिहार प्रदेश के लोगों और प्रतिनिधियों द्वारा बार बार मांग किये जाने के बावजूद भी पूर्वोत्तर रेलवे के इलाहाबाद और छपरा स्टेशनों के बीच चलने वाली ३८८, ३२२, ३८६ डाउन, और ३६७, ३२१, ३८७ और ३८५ अप रेलगाड़ियों में से कोई भी रेलगाड़ी ऐसी नहीं है, जो छपरा की अदालतों में उपस्थित होने वाले यात्रियों के लिये छपरा पर कचहरी के समय पहुंचती हो, अथवा वहां से छूटती हो ; और

(ख) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के शाहगंज और बलिया स्टेशनों के बीच चलने वाली ३८२ डाउन और ३८१ अप रेलगाड़ियों को छपरा तक बढ़ाने का विचार है ताकि यात्री छपरा ९–१० म० पू० पर पहुंच सकें और वहां से ४-५ म० प० पर रवाना हो सकें ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में जांच की जा रही है।

रेलगाडियों का चलाया जाना

९९१. श्री म० ना० सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पूर्वोत्तर रेलवे की ३६८ डाउन और ३६७ अप रेलगाड़ियों को बनारस छावनी तक बढ़ाना चाहती है ताकि उन गाड़ियों के यात्री औढ़ियार पर गाड़ी बदले बिना बनारस छावनी पर हावड़ा और दिल्ली के बीच चलने वाली ४८ डाउन और ४७ अप अपर इंडिया एक्सप्रैस में सवार हो सकें ?

रलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): जी नहीं, यद्यपि औड़ियार स्टेशन पर गाड़ी बदलनी पड़ती है फिर भी गाड़ियों के मौजूदा समय से लोगों को काफी सुविधा है। इसके अलावा खास तौर पर औड़ियार-बनारस कैण्ट सेक्शन की लाइन क्षमता की कमी के कारण उस पर एक और गाड़ी चलाना संभव नहीं है।

प्रादेशिक सभापति, एअर कारपोरेशन कर्मचारी संघ, दिल्ली

†**९९२. श्री सै० खां० रज़मी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ, दिल्ली के प्रादेशिक सभापति को अनिश्चित काल तक के लिये इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की सेवा से निलम्बित कर दिया गया है,

(ख) क्या उक्त संघ के अन्य चार कार्यकर्त्ताओं को सेवा से निकालने के नोटिस दे दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). दिल्ली के एयर कार्पोरेशन कर्मचारी संघ के प्रादेशिक सभापति को कदाचार के गंभीर आरोप में २४–५–१९५६ से विभागीय जांच किये जाने तक निलम्बित गिया गया है। विभागीय कार्यवाही के पश्चात, २९–६–१९५६ को उसे सेवामुक्त किये जाने के आदेश जारी किये गये थे। अपील करने पर सेवा मुक्त करने के आदेश को सेवा से हटाये जाने के आदेश में बदल दिया गया था।

चार अस्थायी कर्मचारियों को कदाचार के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया था। परन्तु अपील करने पर कर्मचारियों को पुनः नियुक्त कर लिया गया था।

पंचायतें

†९९३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री अस्थाना :
बाबू राम नारायण सिंह :
श्री देवगम :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) राज्यवार, पंचायतों के निर्वाचन की विभिन्न पद्धतियां ;

(ख) कौन सी पद्धतियां अधिक उपयुक्त पाई गई हैं ; और

(ग) प्रत्येक राज्य का कितना क्षेत्र और कितनी जन संख्या ग्राम पंचायतों के अधीन हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायगी।

चीनी

†९९४. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री अस्थाना :
बाब राम नारायण सिंह :
श्री देवगम :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून १९५६ तक बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न कारखानों से कितनी चीनी भेजी गई;

(ख) यह आंकड़े गत वष भी इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं ;

(ग) भारत में विभिन्न कारखानों में इस समय चीनी का कितना स्टाक है ;

(घ) भारत के विभिन्न कारखानों में गत वर्ष इसी अवधि में कितना स्टाक था ; और

(ङ) जुलाई और नवम्बर १९५६ के बीच कितनी मांग होने का अनुमान है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). सभा पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४६**] नवम्बर, १९५५ से जून १९५६ तक उत्तर प्रदेश और बिहार के कारखानों से कुल ७·७९ लाख टन चीनी भेजी गई जब कि पिछले वर्ष इसी अवधि में ४·५३ लाख टन चीनी भेजी गई थी।

(ग) और (घ). सभा पटल पर रखे गये विवरण [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४६**] के अनुसार १ जुलाई, १९५६ को कारखानों के पास ११·५७ लाख टन चीनी बची हुई थी और गत वर्ष इसी तिथि को ९·११ लाख टन थी।

(ङ) लगभग ८ लाख टन।

---

†मूल अंग्रेजी में

क्षय रोग अस्पताल, इम्फाल (मनीपुर)

†९९५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल, मनीपुर के वर्तमान क्षय रोग अस्पताल में केवल एक कम्पाउंडर और एक नर्स नियुक्त किय गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अस्पताल में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, सामान बढ़ाने और क्षय रोगियों को अधिक सुविधायें देने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) क्षय रोग अस्पताल इम्फाल में एक नर्स, एक कम्पाउंडर और चार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी (अर्थात् एक रसोइया, एक औषधियां लानें ले जाने वाला और पानी भरनेवाला,एक भंगी और एक वार्ड असिस्टेंट) एक असिस्टेंट सर्जन, ग्रेड दो, जो कि एक मैडिकल सनातक है, नियुक्त किये गये हैं।

(ख) और (ग). द्वितीय पंच वर्षीय योजना में क्षय रोग विरोधी योजना के अन्तर्गत अस्पताल के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, इमारतों का निर्माण करने और उपकरणों में सामान वृद्धि करने के लिये ५,७६० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

रेगर मिट्टी गवेषणा केंद्र

†९९६. **श्री टी० सुब्रह्मण्यम्** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के बेल्लारी स्थान पर स्थित रेगर मिट्टी गवेषणा केन्द्र के लिये सारे कर्मचारी नियुक्त कर लिय गये हैं ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये अर्जित की गई भूमि पर इमारतों के न होने के कारण कर्मचारियों को अपना कार्य करने में कई कठिनाइयों का सामना करना होता है ; और

(ग) इमारतें बनाने का काम कब आरम्भ किया जायेगा और वे कब पूरी होंगी ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) हां।

(ग) इमारतें बनाने का काम इसी वर्ष आरम्भ करने का विचार है। और पूरा होने में सात मास लगेंगे।

कांगड़ा घाटी रेलवे सेक्शन कर्मचारी

†९९७. **श्री हेमराज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे की कांगड़ा घाटी रेलवे पर स्थित पालमपुर (पंजाब) और जोगिन्दर नगर के अतिरिक्त अन्य स्टेशनों के कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक भत्ता देने का प्रश्न अब किस स्थिति पर है ; और

(ख) कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इस मामले पर पंजाब सरकार से बातचीत हो रही है जिसे कुछ आंकड़े भेजने के लिये कहा गया है। वह उनके प्राप्त होने के पश्चात् निर्णय किया जायेगा।

(ख) राज्य सरकार से उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात, केन्द्रीय सरकार के अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों से परामर्श करके कोई निश्चय किया जायेगा। इसमें कुछ समय लगने की संभावना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भोजन का डिब्बा

†९९८. **श्री म० ना० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोजन के डिब्बों का निजी प्रबन्ध हटाये जाने के पश्चात ग्रांड ट्रेक एक्सप्रैस के भोजन डिब्बों में पहले मैसर्ज बल्लभ दास ईश्वर दास के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को किन शर्तों पर सरकारी सेवा में लिया गया ; और

(ख) क्या सरकारी सेवा में कर्मचारियों के वेतन सुरक्षित किये गये थे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) निर्दिष्ट कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतन क्रम पर सरकारी सेवा में रखा गया है और इसके अतिरिक्त वे यात्रा और अन्य ऐसे भत्तों को प्राप्त करने के अधिकारी हैं जो रेलवे सेवा के इसी वर्ग के कर्मचारियों को मिलते हैं।

(ख) यद्यपि कर्मचारियों का वेतन इस प्रकार सुरक्षित नहीं किया गया था, तथापि दो व्यक्तियों के अतिरिक्त शेष सभी को वही अथवा उस से अधिक वेतन मिल रहा है जो वे ठेकेदारों के पास काम करते समय पाते थे।

बीज फार्म

†९९९. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **खाद्य और कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६-५७ में बिहार राज्य में अब तक कितने बीज फार्म खोले गये हैं और कितने और खोलने का विचार है ,

(ख) वे किन किन स्थानों पर हैं; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये बिहार राज्य को कितना अनुदान दिया गया है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) अब तक खोले गये बीज फार्मों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। १९५६-५७ में बिहार राज्य में २५ एकड़ के ७५ फार्म बनाने का विचार है।

(ख) बिहार सरकार द्वारा अभी तक जानकारी नहीं भेजी गई है।

(ग) इस प्रयोजन के लिये बिहार सरकार को ११,७१,८७५ रुपये का ऋण और १२ ६५,६२५ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

कृषि प्रशिक्षण

†१०००. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ से लेकर ३१ जुलाई, १९५६ तक भारत सरकार के खर्च पर कितने व्यक्तियों को कृषि प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेशों को भेजा गया ;

(ख) उनमें से कितनें भारत लौट आये हैं ; और

(ग) उनके प्रशिक्षण से भारतीय कृषकों को कहां तक सहायता मिली है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रसूति भत्ता

†१००१. **श्री दशरथ देव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमालपुर (त्रिपुरा) के महावीर चाय बागान की महिला श्रमिकों के लिये प्रसूति भत्ते की व्यवस्था की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी अवधि के लिये ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अ ी)** : (क) जी हां।

(ख) १२-९-५५ को लागू किये गये त्रिपुरा बागान श्रम नियमों के अनुसार १२ सप्ताह की अवधि के लिये।

दूसरे दर्जे का हटाना

†१००२. **श्री वीरस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरे दर्जे के डिब्बों का निर्माण रोक देने के लिये आदेश दे दिये गये हैं ; और

(ख) भारतीय रेलवेज़ की सभी लाइनों से दूसरे दर्जे के डिब्बों को पूर्ण रूप से हटा लेने के लिये कौन सी तिथि, यदि कोई तिथि निर्धारित की गई है तो, निर्धारित की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) दूसरे दर्जे के डिब्बों को पूर्ण रूप से हटा लेने के लिये अभी तक कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। उनको उपयुक्त अवस्थाओं में हटाने का प्रस्ताव है।

सहकारिता

†१००३. **श्री भीखा भाई** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में सहकारिता को प्रोत्साहित करने के संबंध में सलाह देने के लिय राज्य स्तरों पर मंत्रणा समितियों का गठन हो चुका है ;

(ख) यदि हां; तो क्या सरकार ने राज्य सरकारों को अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों को जिनमें, कि सहकारिता की भावना पैदा करनी है, प्रतिनिधित्व देने के लिये निदेश जारी कर दिये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वितीय पंच वर्षीय योजना में वनीय आदिम जातियों के बीच विकसित की जाने वाली बनीय सहकारी समितियों में वनीय आदिम जातियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने की प्रस्थापना करती है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जहां तक हमें जानकारी है, मद्रास, आंध्र, बम्बई, हैदराबाद और दिल्ली राज्यों में मंत्रणा समितियां कार्य कर रही हैं।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली से नंगल तक सीधा जाने वाला डिब्बा

†१००४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से नांगल तक के लिये तीसरे दर्जे के कितने टिकट रोजनां औसत से जारी किये जाते हैं ;

(ख) क्या कालका मेल में जोड़ा जाने वाला दिल्ली से नंगल तक सीधे जाने वाले डिब्बे में सभी टिकट वालों को पर्याप्त स्थान मिल जाता है ;

---

†मूल अंग्रजी म

(ग) यदि नहीं, तो यात्रियों को बैठने के पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) क्या यह वांछनीय समझा गया है कि उस डिब्बे को दूर की यात्रा करने वालों, जैसे अम्बाला कैण्ट के आगे तक यात्रा करने वालों के लिये ही सीमित कर दिया जाये ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) २०.

(ख) २० जुलाई, १९५६ से इस ट्रेन में दिल्ली और नंगल के बीच नित्य ही दो सीधे जाने वाले डिब्बे, एक मिला-जुला डिब्बा और तीसरे दर्जे का एक अन्य डिब्बा भी लगाया जाता है ! और उनमें पर्याप्त स्थान होता है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) ऐसा कोई प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

गन्ना

†**१००५. श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार वर्ष १९५६ में तीव्र उत्पादन के तरीके से गन्ने की पैदावार बढ़ाने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये क्षेत्र चुन लिये गये हैं ; और

(ग) ऐसे क्षेत्रों को चुनने की कसौटी क्या है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां।

(ख) लोक सभा पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार इसके लिये १५ लाख एकड़ भूमी चुन ली गई है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४७**] ।

(ग) सिंचाई सुविधाओं की सुलभता, चीनी कारखानों और महत्वपूर्ण गुड़ तथा खाण्डसारी केन्द्रों का सामीप्य।

अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन

†**१००६. श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५०-५१ और १९५५-५६ में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन पर कुल कितना व्यय किया गया और इस आन्दोलन के फलस्वरूप कुल कितना उत्पादन किया गया ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : इन वर्षों में, इस पर कुल ११२·६३ करोड़ रुपया व्यय किया गया था ; और इस आन्दोलन के फलस्वरूप खाद्यान्नों की ५२·२८ लाख टन अतिरिक्त मात्रा प्राप्त की गई थी।

टिप्पणी : (१) व्यय के इन आंकड़ों में १९५०-५१ से १९५४-५५ तक के वर्षों का वास्तविक व्यय और वर्ष १९५५-५६ में राज्यों को भुगतान के लिये मंजूर किया गया व्यय भी सम्मिलित है। वर्ष १९५५-५६ में हुए वास्ताविक व्यय के आंकड़े पूरी तौर पर उपलब्ध नहीं हैं।

(२) अतिरिक्त उत्पादन के आंकड़ों में १९५०-५१ से १९५४-५५ तक के वर्षों में प्राप्त की गई सफलतायें और वर्ष १९५५-५६ के अनुमित लक्ष्य भी सम्मिलित है, क्योंकि वर्ष १९५५-५६ के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

परिवार आयोजन क्लिनिकस

†१००७. **श्री अच्युतन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या त्रावणकोर-कोचीन राज्य में परिवार आयोजन क्लिनिको या केन्द्रों के खोले जाने को कोई प्राथमिकता दी गई है, और इस वर्ष में कब और कितने खोले जाने को हैं ; और

(ख) उन केन्द्रों की ओर इच्छुक व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करने के लिये क्या प्रचार-कार्य किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) त्रावणकोर-कोचीन राज्य में परिवार आयोजन क्लिनिकों या केन्द्रों के खोले जाने को कोई भी प्राथमिकता नहीं दी गई है। १ जनवरी, १९५६ को १० केन्द्र खोले गये थे। चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले १५ और केन्द्र खोले जायेंगे।

(ख) वर्तमान परिवार आयोजन केन्द्रों से संलग्न स्वास्थ्य-निरीक्षकों द्वारा बड़े जोरों से घर-घर प्रचार किया जा रहा है और जनता को परिवार आयोजन की आवश्यकता, उद्देश्यों और प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों से संलग्न स्वास्थ्य अधिकारी भी शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं।

गैर-सरकारी रेलवेज्

†१००८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर-सरकारी रेलवेज़ की कुल मील संख्या कितनी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : ३१ अगस्त, १९५५ को गैर-सरकारी रेलवेज़ को कुल मार्ग मील संख्या ५५३.४३ मील थी।

रेलों में भीड़ भाड़

†१००९. **श्री हेमराज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी रेलवे के कांगड़ा घाटी सेक्शन के लिये कितने यात्री डिब्बों का स्टाक आवंटित किया गया है ;

(ख) कितने यात्री डिब्बे अभी वास्तव में काम में लाये जा रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि जुलाई और अगस्त के महीनों में पठानकोट और पालमपुर (पंजाब) के बीच चलने वाली यात्री रेलगाड़ियों में बड़ी भीड़ रहती है और यात्री डिब्बों के पायदानों और छतों तक पर यात्रा करते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ४३ यात्री डिब्बे।

(ख) २८ यात्री डिब्बे।

(ग) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

बागानों को हानी

†१०१०. **श्री व० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में त्रावणकोर-कोचीन राज्य के बागानों को काफी हानि पहुंची है ;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या पौधों को नष्ट करने के लिये उत्तरदायी नाशक कीटों के संबंध में कोई ब्योरेवार अध्ययन किया गया है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां; केवल नारियल बागानों को ।

(ख) कोई निश्चित कारण बताना सम्भव नहीं है, लेकिन वह हानि या तो रोपे गये नारियल के पौधों की किस्मों में परिवर्तन किये जाने के कारण हो सकती है, या जड़ों और पत्तियों में लगने वाली बीमारियों के फैलने के लिये अनुकूल जलवायु संबंधी परिस्थितियों के पैदा होने के कारण, या पौधों में बीमारी पैदा करने वाले अधिक विनाशकारी कीटों की उत्पत्ति के कारण, या इन सभी कारणों के मिलने, या इनमें से किसी एक ही कारण के फलस्वरूप हो सकती है ।

(ग) इस संबंध में नारियल गवेषणा केन्द्र, क्यांगुलम, त्रावनकोर-कोचीन में अध्ययन किया गया है । उससे पता यह चला है कि यदि प्रति वर्ष तीन बार तांबे के फुंगी-नाशक घोल को नियमित रूप से फसलों पर छिड़का जाये और साथ ही पोटाश की खादों का भी काफी मात्रा में प्रयोग किया जाये, तो बड़े प्रभावशाली परिणाम निकल सकते हैं ।

टेलीफोन से आय

१०११. श्री खू० चं० सोधिया : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५५६ में टेलीफोन विभाग से कुल कितनी आय हुई ;

(ख) अभी इस आय की कितनी राशि बकाया है और सरकारी पदाधिकारियों, विभागों और जनता से क्रमशः कितनी कितनी रकम वसूल करनी बाकी है ;

(ग) क्या पिछले वर्ष का भी कुछ बकाया है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष की कितनी-कितनी रकम बकाया है और (१) विभिन्न सरकारी विभागों (२) सरकारी पदाधिकारियों, और (३) जनता से कितनी कितनी रकम वसूल होनी बाकी है ?

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १,३३५ लाख रुपये टेलीफोन का किराया तथा ट्रंक कॉल की फीस से ।

(ख) १ अप्रैल, १९५६ को बकाया कुल रकम २५९ लाख रुपये थी, जिसमें से ६१ लाख रुपये, जिसका ब्योरा नीचे दिया हुआ है—जारी किये गये बिलों पर बाकी थे, जो कि ३० सितम्बर, १९५५ तक भेजे जा चुके थे ।

(१) सरकारी ग्राहकों (रक्षा विभाग को सम्मिलित कर) तथा भूतपूर्व रियासत	४१ लाख रुपये
(२) ग़ैर सरकारी .	२० लाख रुपये
योग .	६१ लाख रुपये

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी हां।

(घ) ३१ मार्च, १९५५ तक जारी किये हुए बिलों पर जो रकम १ अप्रैल, १९५५ को बकाया थी उसका अलग अलग वार्षिक ब्यौरा निम्नलिखित है :—

वर्ष	बकाया किराया	बकाया ट्रंक काल फ़ीस	योग
१९३७–३८	३०	३४०	३७०
१९३८–३९	३०	४५८	४८८
१९३९–४०	३	१,५८५	१,५८८
१९४०–४१	६७	२,७४५	२,८१२
१९४१–४२	११५	४,३१८	४,४३३
१९४२–४३	२०	२,६३२	२,६५२
१९४३–४४	८५७	४,६८४	५,५४१
१९४४–४५	१,०००	३,०५३	४,०५७
१९४५–४६	४,७१९	४,५८१	९,३००
१९४६–४७	२४,६४२	२५,७३०	५०,३७२
१९४७–४८	१,०९,४३५	२,१८,१२७	३,२७,५६२
१९४८–४९	१,९५,०८५	३,३५,५८८	५,३०,६७३
१९४९–५०	७,९७,८०२	३,५३,३२७	११,५१,१२९
१९५०–५१	५,०३,०४६	२,२७,५०४	७,३०,५५०
१९५१–५२	२,७५,१४२	१,९३,२३१	४,६८,३७३
१९५२–५३	५,१९,५९७	२,००,४५७	७,२०,०५४
१९५३–५४	९,०९,४५१	३,६५,१३२	१२,७४,५८३
१९५४–५५	१,४४,८३,२५१	३०,१६,३६७	१,७४,९९,६१८
कुल योग	१,७८,२४,२९६	४९,५९,८५९	२,२७,८४,१५५

उक्त रकम में से कितनी रकम सरकार के विभिन्न विभागों, सरकारी अफसरों तथा जन-साधारण से वसूल की जानी है, इसकी सूचना सुलभ नहीं है।

जनता एक्स्प्रेस में भोजन व्यवस्था

†१०१२. **श्री काजरोलकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और कलकत्ता के बीच चलने वाली जनता एक्सप्रैस में कोई भी भोजन-डिब्बा नहीं लगाया जाता है ; और

(ख) क्या सरकार दूर की यात्राओं के लिये जनता रेलगाड़ियों में भोजन के डिब्बों की व्यवस्था करने की प्रस्थापना करती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) इन रेलगाड़ियों में हर पांचवे दिन जब कि गलियारे वाली गाड़ियां चलती हैं, भोजन-डिब्बे की व्यवस्था की जाती है ।

(ख) जी, हां ; यथा समय आवश्यकतानुसार भोजन-डिब्बों और गाड़ियों में पर्याप्त स्थान सुलभ हो जाने पर ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शनिवार, २५ अगस्त, १९५६]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर १३०९–२८

तारांकित प्रश्न

संख्या	विषय	पृष्ठ
१३९८	रेलवे में प्रोत्साहन और बोनस	१३०९–१०
१४००	उपनगरीय रेलवे सेवायें	१३११–१३
१४०१	विमाज मुख्यालय	१३१३
१४२८	रेलवे मुख्यालय	१३१३–१५
१४०२	पर्यटन	१३१५–१६
१४०३	अल्युमिनियम के यात्री व माल डिब्बे	१३१६–१७
१४०४	प्रबन्ध से मजदूरों को हिस्सा देना	१३१७–१८
१४०५	रेलवे दुर्घटना दावे	१३१८
१४०७	भारतीय लाख उपकर समिति	१३१९–२०
१४०९	मोटर परिवहन कर्मचारी	१३२१
१४१०	भारतीय पत्तन	१३२२–२३
१४११	किताबों के पैकटों पर डाक-व्यय	१३२३
१४१२	हज को जाने वाले यात्री	१३२४–२६
१४१५	देहात में ऋण संबंधी सर्वेक्षण	१३२६–२७
१४१८	बीड़ी पर उपकर	१३२७–२८
१४१९	खाद्यान्नों का निर्यात	१३२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर १३२८–७०

१३९९	खाद्य और कृषि संगठन विशेषज्ञ	१३२८-२९
१४०६	वी० पी० पी० आदि का पहुंचाया जाना	१३२९
१४०८	रेलगाड़ीयों की टक्कर	१३२९
१४१३	भोजन व्यवस्था	१३२९
१४१४	डूंगरपुर-रंतलाम लाइन	१३३०
१४१६	बारमेढ़ में पीने के पानी की सुविधा का अभाव	१३३०
१४१७	पानागढ़ हवाई अड्डे के कर्मचारी	१३३०
१४२०	सड़क विकास	१३३०

[दैनिक संक्षेपिका]

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१४२१	कोयला खानों में सुरक्षितता	१३३१
१४२२	बिहार में डेरी विकास योजना	१३३१
१४२३	मनीपुर का परिवहन विभाग	१३३१
१४२४	पंजाब में गेहूं का संभरण	१३३२
१४२५	नर्मदा नदी पर पुल	१३३२
१४२६	रेलवे कम्पाउंडर	१३३२
१४२७	नल कूप	१३३२–३३
१४२९	यात्री सुविधायें	१३३३
१४३०	चाय श्रमिकों के लिये बोनस	१३३३
१४३१	कोसी परियोजना प्राधिकार	१३३३–३४
१४३२	रेलवे वायरलैस आपरेटर्स	१३३४
१४३३	रासायनिक खाद	१३३४
१४३४	छोटी लाइन के डिब्बे बनाने का कारखाना	१३३४–३५
१४३५	आयुर्वेद	१३३५
१४३६	खाद्य और कृषि संगठन को भारत का अंशदान	१३३५
१४३७	विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र और बुनियादी कृषि स्कूल	१३३५–३६
१४३८	रेलवे फाटक	१३३६
१४३९	डाक तार निदेशालय उड़ीसा	१३३६
१४४०	बेजवाड़ा नेल्लोर लाइन	१३३६–३७
१४४१	मनीपुर राज्य परिवहन	१३३७
१४४२	भूमिहीन श्रमिकों को बिहार में बसाना	१३३७
१४४३	गन्ना उपकर	१३३७
१४४४	मजूरी भुगतान-अधिनियम	१३३८
१४४५	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	१३३८
१४४६	रेलवे के अधीनस्थ कर्मचारी	१३३८
१४४७	रेलवे डाक सेवा उड़ीसा सर्किल के मुख्यालय का स्थानान्तरण	१३३८–३९
१४४८	कृषि संबंधी उत्पादों को श्रेणीबद्ध करना	१३३९
१४४९	तम्बाकू खाना	१३३९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(**क्रमशः**)

अतारांकित प्रश्न

संख्या	विषय	पृष्ठ
९३४	भारतीय केन्द्रीय कपास समिति	१३३९
९३५	भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति	१३३९–४०
९३६	कचहरी स्टेशन पर मालगाड़ी के डिब्बे का पटरी से उतरना	१३४०
९३७	खाद्य समन्वय समिति, त्रिपुरा	१३४०
९३८	त्रावणकोर-कोचीन राज्य में डेरी विकास	१३४०–४१
९३९	त्रावणकोर-कोचीन में पशु	१३४१
९४०	त्रावणकोर-कोचीन राज्य में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	१३४१
९४१	ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस	१३४२
९४२	मुर्गी पालन	१३४२
९४३	त्रावणकोर-कोचीन राज्य में जापानी ढंग की खेती	१३४२
९४४	त्रावणकोर-कोचीन राज्य में काजू की खेती	११४३
९४५	त्रावणकोर-कोचीन राज्य में वाणिज्यिक लकड़ी	१३४३–४४
९४६	सागवान के वृक्ष लगाना	१३४४
९४७	लघु बनोंत्पादों से राजस्व	१३४४–४५
९४८	त्रावणकोर-कोचीन राज्य में खेती के अन्तर्गत भूमि	१३४५
९४९	त्रावणकोर-कोचीन राज्य में दूध की खपत	१३४५–४६
९५०	त्रावणकोर-कोचीन राज्य में दूध का उत्पादन	१३४६
९५१	त्रावणकोर-कोचीन राज्य में मीन क्षेत्र संबंधी गवेषणा	१३४७
९५२	समुद्रीय उत्पाद	१३४७
९५३	मछली पकड़ने की नावें	१३४७–४८
९५४	समुद्रीय मीन क्षेत्र	१३४८
९५५	सामुदायिक रेडियो	१३४८
९५६	मछुवों के गावों में खेल के मैदान	१३४८–४९
९५७	त्रावणकोर-कोचीन राज्य का परिवहन विभाग	१३४९
९५८	त्रावणकोर-कोचीन राज्य का परिवहन विभाग	१३४९
६५६	त्रावणकोर-कोचीन राज्य में मछुवे	१३४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न

संख्या	विषय	पृष्ठ
९६०	त्रावणकोर-कोचीन राज्य में मछुवों के बच्चे	१३५०
९६१	त्रावणकोर-कोचीन राज्य में सफाई की हालत	११५०
९६२	पीने का पानी (त्रावणकोर-कोचीन राज्य)	१३५०
९६३	त्रावणकोर-कोचीन राज्य के मछुवों को ऋण .	१३५१
९६४	डाक के डिवीजन (राजस्थान) . .	१३५१–५२
९६५	तार घर	१३५२
९६६	तार घर (उदयपुर) . . .	१३५२
९६७	जगाधरी-लुधियाना रेलवे लाइन . .	१३५२–५३
९६८	पंजाब में बेरोजगार लोग	१३५३
९६९	डीजल रेलवे इंजन	१३५३–५४
९७०	डालमिया दादरी . .	१३५४
९७१	बेसिक प्रशिक्षण	१३५४
९७२	माली तथा औद्यानिक कर्मचारी	१३५४
९७३	पीने के जल की सुविधायें (पंजाब)	१३५५
९७४	गांव के डाकिये . . .	१३५५
९७५	काम दिलाऊ दफ्तर, होशियारपुर .	१३५५
९७६	वनस्पति	१३५५
९७७	विश्व डाक यूनियन . .	१३५६
९७८	माल गाड़ी के डिब्बों का पटरी से उतरना . .	१३५६
९७९	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये वर्दी . .	१३५६
९८०	मलेरिया विरोधी कार्य (राजस्थान) . .	१३५७
९८१	बेगार	१३५७
९८२	भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति .	१३५८
९८३	दूसरी श्रेणी का हटाना . . .	१३५८
९८४	डाक घर (गुरदासपुर)	१३५८–५९
९८५	रेलवे के फाटक	१३५९
९८६	पठानकोट जम्मू सड़क . . .	१३५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर --(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न

संख्या	विषय	पृष्ठ
९८७	अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन	१३६०
९८८	वनस्पति	१३६०
९८९	रिविलगंज में डाक घर की इमारत	१३६०–६१
९९०	छपरा तक रेलगाड़ी चलाना	१३६१
९९१	रेल गाड़ियों का चलाया जाना	१३६१
९९२	प्रादेशिक सभापति कार्पोरेशन कर्मचारी संघ दिल्ली	१३६१–६२
९९३	पंचायतें	१३६२
९९४	चीनी	१३६२
९९५	क्षय रोग अस्पताल, इम्फाल (मनीपुर)	१३६३
९९६	रेगर मिट्टी गवेषणा केन्द्र	१३६३
९९७	कांगड़ा घाटी रेलवे स्टेशन के कर्मचारी	१३६३
९९८	भोजन का डिब्बा	१३६४
९९९	बीज फार्म	१३६४
१०००	कृषि प्रशिक्षण	१३६४
१००१	प्रसूति भत्ता	१३६५
१००२	दूसरे दर्जे का हटाना	१३६५
१००३	सहकारिता	१३६५
१००४	दिल्ली से नंगल तक सीधा जाने वाला डिब्बा	१३६५–६६
१००५	गन्ना	१३६६
१००६	अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन	१३६६
१००७	परिवार आयोजन क्लिनिक्स	१३६७
१००८	गैर-सरकारी रेलवेज़	१३६७
१००९	रेलों में भीड़ भाड़	१३६७
१०१०	बागानों को हानि	१३६८
१०११	टेलीफोन से आय	१३६८–६९
१०१२	जनता एक्सप्रैस में भोजन व्यवस्था	१३७०

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ७, १९५६

(६ से २५ अगस्त, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Parliament Library

तेरहवां सत्र १९५६

(खण्ड ७ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

231 L. S./57

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद दिनांक, ६ से २५ अगस्त, १९५६]

अंक १६, सोमवार, ६ अगस्त, १९५६ — **पृष्ठ**

स्वेज नहर के मामले पर वक्तव्य के सम्बन्ध में . ६९५–९६

स्थगन प्रस्ताव—

त्रिपुरा में बाढ़े . ६९६–९८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ६९८–९९

राज्य सभा से सन्देश . . . ६९९

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक . ७००

राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ७००–३९

खंड २ से १५ . . . . . ७००–०२

खंड १६ से ४९ और अनुसूचि १ से ३ ७०२–१९

खंड ५० से ७० . . . ७१९–३२

खंड ७१ से ११४ और अनुसूची ४ से ६ ७३२–३९

दैनिक संक्षेपिका ७४०–४१

अंक १७, मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का सारांश (१९५५–५६) खंड ५, अंक ४ और ५ ७४३

बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक ७४३

राष्ट्रीय राजपथ विधेयक ७४३

राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . ७४४–८६

खंड २ से १५ . . . . ७४४–६३

खण्ड ७१ से ११४ और अनुसूची ४ से ६ . . ७६३–६६

खण्ड ११५ से १३१ . . . ७६६–८६

दैनिक संक्षेपिका . . ७८७

अंक १८, बुधवार, ८ अगस्त, १९५६

डा० ह० कु० मुकर्जी का निधन . ७८९–९०

स्वेज नहर के प्रश्न के बारे में वक्तव्य . . . ७९०–९५

दैनिक संक्षेपिका . ७९६

अंक १९ ,गुरुवार, ९ अगस्त, १९५६ — पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७९७–९८
राज्य सभा से सन्देश ७९८
सभा का कार्य ७९८
स्थगन प्रस्तावों के संबंध में ७९९
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . ७९९–८५२
खण्ड २ से १३१, अनुसूची १ से ६ और खण्ड १ . . . . . ७९९–८५०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८५१
नदी बोर्ड विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में— ८५२–६३
विचार करने का प्रस्ताव ८५२
दैनिक संक्षेपिका . . ८६४–६५

अंक २०, शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
अहमदाबाद की स्थिति . . ८६७–६८
कार्य-मंत्रणा समिति—
उनतालीसवां प्रतिवेदन . . ८६८
प्राक्कलन समिति—
कार्यवाही का सारांश (१९५५–५६) खण्ड ५ संख्या ६ . ८६८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
नेकोवाल दुर्घटना के संबंध में पाकिस्तान द्वारा क्षतिपूर्ति . ८६८–६९
नदी बोर्ड विदेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ८६९–७४
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ८७४–९८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८९४
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ८७–ख का हटाया जाना) . ८९८
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)—
विचार करने का प्रस्ताव . . . ८९८–९११
बेकारी सहायता विधेयक—
परिचालित करने का प्रस्ताव . . ९११
स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . ९१८

पृष्ठ

मोटरों के पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क के बारे में आधे घंटे की चर्चा ९१९–२४

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक ९२४–२५

दैनिक संक्षेपिका . . ९२६–२७

अंक २१, शनिवार, ११ अगस्त, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश ९२९

सभा का कार्य ९२९–३०

नदी बोर्ड विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में— ९३०–४१

खण्ड २ से २९ और १ . . . . . ९३०–४०

पारित करने का प्रस्ताव ९४०

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन ९४४

अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ९४१–४४, ९४५–५४

खण्ड २ से १३ और १ . . . ९५३–५४

पारित करने का प्रस्ताव . . . ९५४

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . ९५४–७४

दैनिक संक्षेपिका . . . ९७५

अंक २२, सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में सूखा . . . ९७७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९७७–७८

राज्य सभा से सन्देश ९७८

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन)

विधेयक के बारे में याचिका . ९७८

आधीनस्थ विधान संबंधी समिति—

पांचवां प्रतिवेदन . . . ९७९

वाद-विवाद से अंश निकाले जाने के बारे में .

कार्य मंत्रणा समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन ९७९–८०

पृष्ठ

तोल और माप मानदण्ड विधेयक . . ९८०

राष्ट्रीय राज पथ विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . ९८०–१०२४

खण्ड २ से १०, अनुसूची और खण्ड १ . १०१५–२४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १०२४

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों के बारे में प्रस्ताव . १०२४–३७

दैनिक संक्षेपिका १०३८–३९

अंक २३, मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०४१

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ . १०४२

अतिरेक अनुदानों की मांगें, १९५१–५२ . . . १०४२

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ (त्रावनकोर-कोचीन) १०४२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अट्ठावनवां प्रतिवेदन . १०४२

विद्युत (सम्भरण) संशोधन विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . १०४२–६८

बहु-एकक सहकारी संस्थाएं (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०७५–८०

खण्ड १ और २ . १०८०–८१

पारित करने का प्रस्ताव . १०८०

भारतीय खाल उपकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०८१–९०

खण्ड १ से ५ . १०९०

पारित करने का प्रस्ताव . . १०९०

भारतीय कपास उपकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १०९०–९२

अगरतला में बाढ़ पीड़ित विस्थापित व्यक्तियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . १०९३–९७

दैनिक संक्षेपिका . १०९८–९९

अंक २४, गुरुवार, १६ अगस्त, १९५६

श्री शिवदयाल उपाध्याय का निधन ११०१

सदस्य का बन्दीकरण ११०१

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११०१–०२

नियम समिति—

पांचवां प्रतिवेदन ११०२

लोक-लेखा समिति—

अट्ठारहवां प्रतिवेदन ११०२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में फसलों पर सूखे का प्रभाव ११०३–०४

बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ११०४–५२

विचार करने का प्रस्ताव . ११०४

खण्ड २ से ४ और नया खण्ड ४ क ११४६–४८

दैनिक संक्षेपिका ११५३

अंक २५, शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

पटल पर रखे गये पत्र . . . ११५५

राज्य सभा से सन्देश ११५५

भारतीय रेलवे अधिनियम तथा उसके अधीन नियमों के बारे में याचिका . ११५६

सभा का कार्य ११५६,१२०६

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक . ११५६–८८

खण्ड ३ से ५१, अनुसूची तथा खण्ड १ . ११७७–८६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ११८६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अठावनवां प्रतिवेदन ११८८

चलचित्रों के उत्पादन तथा प्रदर्शन के नियंत्रण और विनियमन के बारे में प्रस्ताव . ११८८–१२०५

राज्य नीति के निदेशक तत्वों की कार्यान्विति संबंधी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प १२०५

दैनिक संक्षेपिका . १२०७–०८

अंक २६, सोमवार, २० अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

अहमदाबाद की स्थिति १२०९–१०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२१०

	पृष्ठ
राज्यसभा से सन्देश . . .	१२१०
समाचार-पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक .	१२११
सदस्यों का नन्दीकरण .	१२११
सदस्य द्वारा पदत्याग . .	१२११
भारतीय रुई उपकर (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	१२११–१५
खण्ड २ से ५ और १ . . .	१२१५
पारित करने का प्रस्ताव	१२१५
भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१२१५–२४
खण्ड २ से ४ और १ . . .	१२२३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव .	१२२३
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	१२२४–३४
खण्ड १ और २ . . .	१२३४
पारित करने का प्रस्ताव	१२३४
जम्मू तथा काश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक—	
विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव . . .	१२३५
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१२३५–३९
खण्ड १ से ३ .	१२३९
पारित करने का प्रस्ताव . . .	१२३९
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ .	१२४०–५६
सभा का कार्य .	१२३९
दैनिक संक्षेपिका .	१२५७–५८

अंक २७, बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

नियम समिति—	
बैठक की कार्यवाही का सारांश . . .	१२५९
सभा पटल पर रखा गया पत्र	१२६०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
उनसठवां प्रतिवेदन	१२६०

पृष्ठ

मोटर गाड़ी अधिनियम के बारे में याचिका १२६०

सदस्य का निरोध १२५९
१२६०–६२

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे, १९५१–५२ . . . . १२६२–७३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम के बारे में प्रस्ताव .१२७३–१३०३

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में १३०३–१५

विचार करने का प्रस्ताव १३०३

दैनिक संक्षेपिका १३१६–१७

अंक २८, गुरुवार, २३ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र १३१९

विनियोग (संख्या ३) विधेयक १३१९

विनियोग (संख्या ४) विधेयक १३२०

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव १३२०–६०

खण्ड २ से ६, और खण्ड १ . . . . . १३५७–६०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३६०

नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में प्रस्ताव १३६०–७८

दैनिक संक्षेपिका १३७९

अंक २९, शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र. १३८१

विनियोग (संख्या ३) विधेयक १३८१–८२

विनियोग (संख्या ४) विधेयक १३८२

सभा का कार्य १३८२–८३

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक . . . १३८३–९८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३८३

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक . . .१३९८–१४०५

विचार करने का प्रस्ताव . . १३९८

पृष्ठ

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १४०५–१५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन १४१५–१६

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी (अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में सम्मिलित होने का विकल्प) विधेयक १४१६

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक— १४१६-२०,

विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . १४२७–२८

संविधान (छठी अनुसूची का संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १४२०–२२

दण्ड विधि संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १४२२–३४

दैनिक संक्षेपिका . . १४३५–३६

अंक ३०, शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

सभा का कार्य १४३७–३८

राज्य सभा से सन्देश १४३८

भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक १४३८

कार्य मंत्रणा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन १४३८

सदस्य द्वारा त्याग-पत्र १४३९

स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिकरण दमन विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४३९–४०

बाल विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४४०–४१

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक १४४१

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में . १४४१–५३

खण्ड २ और १ . . . . . १४५२–५३

पारित करने का प्रस्ताव १४५३

भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था (खड़गपुर) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १४५३–८१

खण्ड २ से ३१ और १ . . . . . १४७५–८०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १४८०

पृष्ठ

ेल और माप मापदण्ड विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४८१–८२
निक संक्षेपिका १४८३–८४

भा०स०मु०ना०—वि०३—२३१ लोक सभा/५६—२८–३–५८—१६०.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजें समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ मध्यान्ह

सभा का कार्य

†**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं, २७ अगस्त, १९५६ को आरम्भ होने वाले सप्ताह में, इस सभा में होने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं।

(१) वर्ष १९५६-५७ के लिये त्रावनकोर-कोचीन राज्य की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर मतदान।

(२) आज की कार्य सूची में रखा गया तथा असमाप्त कार्य।

(३) राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना विधेयक (विचार तथा पारित करना)

(४) समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक (विचार तथा पारित करना)

(५) राज्य वित्तीय निगम विधेयक पर और आगे विचार

(६) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९४८ की धारा ७(२) के अधीन बनाये गये तथा २२ अगस्त, १९५६ को सभा-पटल पर रखे गये खनन पट्टा (निबन्धनों का रूपभेद) नियम, १९५६ के प्रारूप पर विचार।

(७) हैदराबाद का राज्य बैंक विधेयक।

(८) अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग विधेयक (विचार तथा पारित करना)

(९) हिन्दू दत्तक-ग्रहण और भरण पोषण विधेयक (सहमति का प्रस्ताव कि विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपा जाय)

(१०) भारतीय डाक घर (संशोधन) विधेयक

(११) लोक ऋण (संशोधन) विधेयक।

अन्तिम दो विधेयकों को अगले सप्ताह में पुरस्थापित किये जाने की संभावना है तथा समय मिलने पर वे विचार करने तथा पारित करने के लिये पुरस्थापित किये जायेंगे।

†मूल अंग्रेजी में

1—231 L. S. (56).

[श्री सत्य नारायण सिंह]

मैं यह भी घोषित करना चाहता हूं कि ८, १०, ११, १२ तथा १३ सितम्बर की तिथियां द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर और आगे विचार करने के लिये फिलहाल निश्चित की गई हैं। सभा को यह जानकारी है कि संविधान (नवां संशोधन) विधेयक पर ३ सितम्बर को विचार आरंभ होगा।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : कल माननीय मंत्री ने बताया था कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक सेना विधेयक को कार्यावलि से निकाल दिया था। इसके क्या कारण हैं कि सरकार ने इसको कार्यावलि से निकाल कर फिर इस पर विचार करने का निर्णय किया।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब माननीय प्रधान मंत्री यहां थे तब उन्हें पता लगा कि इसको कार्यावलि में रखने के अधिकतर सदस्य पक्ष में है। इसीलिये उन्होंने घोषित किया था कि इसको समय दिया जाये।

†**श्री जांगड़े** (बिलासपुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या अनुसूचित जातियां आर्डर (संशोधन) विधेयक तथा पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन पर इस सत्र में चर्चा होगी ?

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : मेरी अनुपस्थिति में यह घोषणा कि जा चुकी है कि अनुसूचित जाति आर्डर (संशोधन) विधेयक के लिये ६ तथा ७ तारीख निर्धारित की गई है।

†**श्री मात्तन** : प्रशासन पर एपलबी प्रतिवेदन पर चर्चा का अवसर भी मिलना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर कार्य मंत्रणा समिति निर्णय कर चुकी है। इसको दो घंटे दिये गये है। इस में से एक घंटा योजना के लिये निर्धारित समय में से लिया जायेगा। क्योंकि मूलतः यह सुझाव दिया गया था कि एपलबी प्रतिवेदन के लिये समय आवंटित न किया जाये क्योंकि योजना पर विचार करते समय ही इसे भी विचार के लिये लाया जा सकता है। परंतु बाद में यह सोचा गया कि इस पर विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिये। इसलिये योजना के समय में से एक घंटा ले लिया गया तथा इसमें कुछ विशेष बातें होने के कारण इसे एक घंटा और दे दिया गया। योजना पर चर्चा समाप्त हो जाने पर ५ बजे इस पर चर्चा आरंभ होकर ७ बजे समाप्त होगी।

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा के सचिव से यह संदेश प्राप्त हुआ है :—

"मैं भारतीय चिकित्सा परिषद विधेयक, १९५६ जिसको राज्य सभा ने २ अगस्त, १९५६ को हुई अपनी बैठक में पारित किया है, की एक प्रति संलग्न करता हूं।"

भारतीय चिकित्सा परिषद विधेयक

† **सचिव** : श्रीमान्, मैं भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक १९५६, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति

चालिसवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला–भटिंडा) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का चालीसवां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य का त्यागपत्र

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभा को यह सूचना देता हूं कि श्री चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख ने २७ अगस्त, १९५६ से लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है।

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : श्री दातार की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि न्यूयार्क में ९ मई, १९५० को हस्ताक्षरित अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुसरण में स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य के दमन की व्यवस्था करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसके निम्न सदस्य हों :—

हर हाईनेस राजमाता कमलेन्दुमति शाह, श्रीमती जयश्री रायजी, श्रीमती उमा नेहरू, श्री राम चन्द्र रेड्डी, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, श्री नि० बि० चौधरी, श्रीमती अम्मू स्वामी नाथन, श्री अ० म० थामस, श्री जयपाल सिंह, सरदार अ० सिं० सहगल, श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन, श्री फूल सिंह जी भ० डाभी, श्रीमती अनुसूया बाई बोरकर, श्रीमती मिनी माता, श्री दी० चं० शर्मा, पंडित चतुर नारायण मालवीय, श्री मु० ला० अग्रवाल, श्री मोहनलाल सक्सेना, श्री ह० वि० पाटस्कर, श्रीमती शिवराजवती नेहरू, श्रीमती सुषमा सेन, श्री राधारमण, श्री रघुवीर सहाय, श्री भक्त दर्शन, पंडित ठाकुर दास भार्गव, डा० मन मोहन दास और श्री ब० ना० दातार

और उसे अनुदेश दिया जाये कि अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक अपना प्रतिवेदन दे।"

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समिति में प्रजा समाजवादी दल का कोई व्यक्ति नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रवर समिति को इसे भेजे जाने के पूर्व इस पर चर्चा होनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो माननीय महिला सदस्य इस विधेयक की प्रभारी थीं वह इसको प्रस्तुत करना चाहती थीं। इस धारणा पर कि इसे वापस ले लिया जायेगा, इसको केवल आधा घंटा दिया गया था। परन्तु सभा वापस लेने की अनुमति के पक्ष में नहीं है। साथ ही साथ आधा घंटा बहुत अपर्याप्त था। विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि उन्हें सैद्धांतिक तौर पर इसका कोई विरोध नहीं है, परन्तु उन्होंने बताया कि दो अन्य विधेयक भी निलम्बित हैं। इसलिये मैं ने सुझाव दिया कि यह विधेयक भी प्रवर समिति को सौंप दिया जाये। मेरा विचार है कि सभा की सर्व सम्मति थी कि यह सभी विधेयक सभा के समक्ष आने चाहिये। इसीलिये मैंने सुझाव दिया कि प्रभारी मंत्री इनको पटल पर रख दे। प्रजा समाजवादी दल के प्रतिनिधि को इस समिति में रखने के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मैं चाहता हूं कि श्री अमजद अली का नाम सम्मिलित किया जाए।

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : जी हां।

†**डा० म० मो० दास** : जी हां यह सम्मिलित किया जा सकता है।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती को भी इसमें रखा जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : मेरा यह निवेदन है कि राजमाता के विधेयक के संबंध में कल १० सितम्बर, १९५६ की तिथि प्रवर समिति के प्रतिवेदन के लिये स्वीकार की गयी थी। परन्तु विधि मंत्रालय में जांच करने के पश्चात् यह ज्ञात हुआ कि राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में आने वाले विधेयकों पर राज्यों का परामर्श लिया जाता है। अब हम तीनों विधेयक एक साथ ले रहे हैं और यदि ये राज्यों को भेजे गये तो निश्चित तिथि को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा। यदि निश्चित तिथि को प्रतिवेदन प्रस्तुत न हो तो सभा को समय बढ़ाना होगा अर्थात् अगले सत्र का द्वितीय सप्ताह। आप जैसा चाहें करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित अवधि में राज्यों की राय लेना संभव नहीं होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां। प्रत्येक राज्य में इसी प्रकार का विधान है। मद्रास में विधान है। इसलिये राज्यों की सम्मति लेना उचित होगा। मुझे इसमें कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती यदि प्रतिवेदन अगले सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत हो। सरकार शीघ्र कार्यवाही करे जल्दी ही रिपोर्टें मंगा ले।

†**श्रीमती जयश्री** (बम्बई–उपनगर) : ये विधेयक दो वर्षों से सभा के समक्ष है। क्या अब तक राज्यों का परामर्श नहीं लिया गया ?

†**श्री विश्वास** : इस विधेयक के संम्बध में राज्य सभा ने एक प्रवर समिति नियुक्त की थी। इसलिये हमें अब कोई चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि न्यूयार्क में ९ मई, १९५० को हस्ताक्षरित अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुसरण में स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य के दमन की व्यवस्था करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसके निम्न सदस्य हों :—

हर हाईनेस राजमाता कमलेन्दुमति शाह, श्रीमती जयश्री रायजी, श्रीमती उमा नेहरू, श्री रामचन्द्र रेड्डी, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, श्री नि० बि० चौधरी, श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन, श्री अ०म० थामस, श्री जयपाल सिंह, सरदार अ०सिं० सहगल, श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन, श्री फूल सिंह जी भ० डाभी, श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर, श्रीमती मिनीमाता, श्री दी० चं० शर्मा, पंडित चतुर नारायण मालवीय, श्री मु० ला० अग्रवाल, श्री मोहनलाल सक्सेना, श्री ह० वि० पाटस्कर, श्रीमती शिवराजवती नेहरू, श्रीमती सुषमा सेन, श्री राधा रमण, श्री रघुवीर सहाय, श्री भक्त दर्शन, पंडित ठाकुर दास भार्गव, डा० मन मोहन दास, श्री अमजद अली, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती और श्री ब० ना० दातार

और उसे अनुदेश किया जाये कि अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन दे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बाल विधेयक

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भाग 'ग' राज्यों में उपेक्षित और अपचारी बालकों की देखभाल, रक्षा, पालन पोषण, कल्याण, प्रशिक्षण, शिक्षा और पुनर्वास का उपबन्ध करने वाले विधेयक को राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसमें निम्न सदस्य हों :—

हर हाईनेस राजमाता कमलेन्दुमति शाह, श्रीमती जयश्री रायजी, श्रीमती उमा नेहरू, श्री रामचन्द्र रेड्डी, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, श्री नि० बि० चौधरी, श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन,

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अ० म० थामस, श्री जयपाल सिंह, सरदार अ० सिं० सहगल, श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन, श्री फूल सिंह जी भ० डाभी, श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर, श्रीमती मिनी माता, श्री दी० चं० शर्मा, पंडित चतुर नारायण मालवीय, श्री मु० ला० अग्रवाल, श्री मोहनलाल सक्सेना, श्री ह० वि० पाटस्कर, श्रीमती शिवराजवती नेहरू, श्रीमती सुषमा सेन, श्री राधा रमण, श्री रघुवीर सहाय, श्री भक्त दर्शन, पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री ब० ना० दातार, श्री अजमंद अली, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती तथा प्रस्तुत कर्ता

और उसे अनुदेश दिया जाये कि अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन दे।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो स्वीकृत हुआ

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञप्ति विधेयक

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** (जिला गढ़वाल–पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल, व जिला बिजनौर उत्तर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि २४ अगस्त, १९५६ को पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा, मेरे, महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञप्ति विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव में—

(१) क्रम संख्या २६ के पश्चात् रखिये :—

(१) '27. Shri Amjad Ali,28, Shrimati Renu Chakravarti' [२७. श्री अमजद अली, २८. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती] (२) '27' [२७] के स्थान पर '29' [२९] रखिये।

(३) 'with instruction to report by the 10th September, 1956' [अनुदेश दीया जाय कि १० सितम्बर, १९५६ तक प्रतिवेदन दे] के स्थान पर 'with instruction to report by the last day of first week of the next session' [अनुदेश दिया जाये कि अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन दे]

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक

खण्ड २ (अध्याय ६क के स्थान पर नवीन अध्याय रखा जाना)

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : मैं संशोधन संख्या ३, ४, ५, ६ तथा ७ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (आंग्ल–भारतीय–नाम निर्देशित) : मैं संशोधन संख्या ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४ तथा १५ प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब संशोधन सभा के सम्मुख प्रस्तुत हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** : कल मैं यह कह रहा था कि मैं यह चाहता हूं कि इस उप खंड में लगातार काम करने वाले कर्मचारी के काम के घंटे सप्ताह में ५४ से अधिक नहीं होने चाहिये। मैं "औसतन किसी मास में" शब्दों पर आपत्ति कर रहा था। मेरा निवेदन यह था कि न्यायाधिकरण की सिफारिश के अनुसार काम का निर्धारण सप्ताह से किया गया है इसलिये ओवरटाईम काम की गणना सप्ताह के अनुसार ही होनी चाहिये। मुझे खेद है कि उपमंत्री के उत्तर से मुझे संतोष नहीं हुआ। यह विधेयक, रेलवे कर्मचारियों के लिये बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है परन्तु फिर भी स्वंय मंत्री महोदय ने यहां आकर इस विधेयक को प्रस्तुत करने का कष्ट नहीं किया।

इस विधेयक पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि इसे रेलवे बोर्ड ने जैसा बना दिया है उसी दशा में रेलवे उपमंत्री ने प्रस्तुत कर दिया है तथा वह इसमें कोई परिवर्तन करने को अधिकारी नहीं हैं मैं रेलवे के पदाधिकारियों के व्यवहार के सम्बन्ध में कई बार बता चुका हूं। रेलवे में कर्मचारियों को प्राथमिक अधिकार भी नहीं दिये जाते हैं। रेलवे मंत्री स्वंय भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं तथा उनकी इसी कमजोरी का लाभ पदाधिकारी उठाते हैं। सर्वदा जो वह चाहते हैं कराते रहते हैं। संक्षेप में कार्याधिकरण का पंचाट क्या है? वह यह है कि मानवीय शक्ति का मापदण्ड एक सप्ताह है। कोई भी समझदार व्यक्ति ओवरटाईम करने का निर्धारण भी सप्ताह के आधार पर करेगा। परंतु मेरे मित्र इसको स्वीकार करनें पर तत्पर नहीं हैं। मैंने कारखाना अधिनियम के बारे में बताया कि इसमें भी यही व्यवस्था है। परन्तु वह कहते हैं कारखाना अधिनियम किसी और उद्देश्य से बनाया गया था। परन्तु रेलवे के सम्बन्ध में थोड़ा भी जानने वाले व्यक्ति यह जानते हैं कि कारखाना अधिनियम कुछ रेलवे कर्मचारियों पर भी लागू होता है। मेरे विचार से दोनों के एक ही उद्देश्य हैं और काम क घंटों का नियम भी एक ही प्रकार का होता है। परन्तु उपमंत्री दोनों में भेद मानते हैं तथा कारखाना अधिनियम और काम के घंटों के विनियमन को दो बातें मानते हैं।

रेलवे मंत्रालय ने आज ऐसी सुदृढ़ स्थिति बना ली है की वह रेलवे कर्मचारियों की यथोचित प्रार्थनांओ को भी ठुकरा देतें हैं। ऐसा करनें में वह सही रास्ते पर हैं या नही, इसका ध्यान नहीं रखता। यहां तक कि वह न्यायाधीश राजाध्यक्ष के तर्कों को भी टरका देता है। मैं उनकी सारी बातों को तो यहां नहीं बता सकता, किन्तु वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि उन्होंने "किसी मास के औसत" शब्दों का प्रयोग किया था। अधिकांश प्रगतिशील देशों में ओवरटाईम कार्य की गणना सप्ताह के आधार पर की जाती है। हम इस मामले में बेल्जियम, नार्वे जैसे पिछड़े देशों की श्रेणी में आते हैं और यह कहते हैं कि हम भी ओवरटाईम कार्य के लिये वेतन देगें। कुछ मामलों में हम अन्य राष्ट्रों के अगुवा बनना चाहते हैं किन्तु जब ऐसे किसी मामले में न्याय करने का अवसर आता है तो हम फिर से संसार के साथ पीछे ही रहने में गर्व समझने लगते हैं। हमको चाहिये कि हम नार्वे और बेल्जियम के बजाय इंग्लिस्तान या अमेरिका जैसे उन्नत देशों से शिक्षा लें।

न्यायाधीश राजध्यक्ष ने अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फेडरेशन की मांग इसलिये ठुकरा दी थी कि यदि हम सप्ताहवार ओवरटाइम की गणना करते हैं तो मासिक विवरण तैयार करने में जो अतिरिक्त कार्य करना होगा उसकी व्यवस्था नहीं कर सकेगें। गाड़ी के साथ चलने वाले हजारों अन्य रेलवे कर्मचारी ऐसे हैं जो ओवरटाईम कार्य करते हैं किन्तु मासिक विवरण बनाने से उनको कोई मतलब नहीं है।

मैं चाहता हूं कि ओवरटाईम कार्य का भुगतान मासिक किया जाना चाहिये।

आज रेलों की स्थिति पिछले दस वर्षों की अपेक्षा बिल्कुल भिन्न है क्योंकि न्यायाधीश राजाध्यक्ष ने अपने पंचाट में कहा था कि गाड़ी के साथ चलने वाले कर्मचारी जैसे ड्राइवर और गार्डों को लगातार

---

†मूल अंग्रेजी में

१४ से १८ घंटे कार्य करना पड़ता है। यदि उपमंत्री से पूछा जाये कि आज स्थिति क्या है, तो वह कहेंगें कि दस वर्ष पहले भले ही ओवरटाईम कार्य करना पड़ता हो, किन्तु अब ऐसी बात नही है। मैं तो कहता हूं कि आज उनकी ड्यूटी इस प्रकार लगायी जाती है कि गाड़ी के साथ चलने वाले कर्मचारियों को ५४ घंटे के बजाय ८० या १०० घंटे काम करना पड़ता है। इस प्रकार की बेईमानी उनके साथ जानबूझ कर दी जा रही है। यदि इस बारे में मत लिया जाये तो घंटी बजते ही सदस्य आ कर बिना कुछ सोच विचारे मैं क्या बात कह रहा हूं, अपना मत दे जायेगें। इसलिये मैं पूछता हूं कि यह सब क्या हो रहा है ?

मेरी समझ में इस बात का कोई भी कारण नहीं आता जो व्यक्ति कम परिश्रम वाला कार्य करता है उसे तो साप्ताहिक ओवरटाईम भुगतान दिया जाता है, किन्तु जो लगातार और कठोर परिश्रम करने वाले हैं उनको साप्ताहिक ओवरटाईम देने से मना किया जाता है।

क्या यह सच नहीं कि कारखाना अधिनियम कई इंजन शेडों में लागू होता है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि कुछ लोगों को साप्ताहिक और कुछ लोगों को दैनिक ओवरटाईम क्यों दिया जाता है? इसका कारण मेरी समझ से झूठी प्रतिष्ठा ही कहा जा सकता है। इस देश में रेलवे प्रशासन औपनिवेशवाद का अन्तिम नमूना रह गया है। रेलवे के महाप्रबन्धक को रेल कर्मचारी महान मुगल कहते हैं। रेलवे बोर्ड का प्रत्येक सदस्य शाहन्शाह है। ऐसी अवस्था में मुझे कहना पड़ता है कि रेलवे मंत्री जैसे योग्य व्यक्ति रेलवे प्रशासन से उपनिवेशवाद की भावना को दूर करने में समर्थ नहीं हो सके हैं।

मैं रेलवे के उन कर्मचारियों की बात कर रहा हूं जों अपने कार्य के प्रति ईमानदार हैं और प्रशासन के प्रति वफादार हैं। जो अपना कर्त्तव्य पालन करने में गर्व अनुभव करते हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम ऐसे लोगों के साथ तो न्याय किया जाये। अब उनको अधिक समय तक डरा-धमका कर नहीं रखा जा सकेगा। अब वे यह समझने लगे हैं कि रेलवे प्रशासन वफादारी दिखाने के योग्य नहीं रहा और न वह आदर का पात्र ही रह गया है। आप उनसे दुगना काम लेते हैं और जब वह अतिरिक्त पैसा मांगते हैं तो आप देना नहीं चाहते। यह चीज अब नहीं चल सकती। मंत्रियों आदि का यह रूख ठीक नहीं है। क्या आप भीं बैन्थाल जैसा रूप अपनाना चाहते हैं। कम से कम आप को अपने देशवाशी होने के नाते उनकी कठिनाईयां समझनी चाहिये। गाड़ी के साथ चलने वाले कर्मचारियों की कठिनाईयों पर कुछ तो ध्यान दीजिये। दक्षिण-पूर्व रेलवे के ड्राइवरों को ओवरटाईम वेतन दिये बिना उनसे १८, २०, २२ और कभी तो २४ घंटे तक काम लिया जाता है और उस पर आप कहते हैं कि विधान प्रगतिशील है। मैं कहता हूं कि यह सरासर बेइंसाफी है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव**: मेरे मित्र श्री फ्रेंक एन्थनी ने जो कुछ कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। ओवरटाईम मज़दूरी उस अवस्था में दी जाती है जब कि कसी व्यक्ति को निश्चित काम के घंटों से अधिक समय तक लगातार काम करना पड़े। किन्तु दूसरी और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासन को यह चाहिये कि सामान्य काम के घंटों से अधिक कार्य न लें। यही कारण है कि कारखाना अधिनियम आदि में इसका उपबन्ध किया गया है।

मैं माननीय उपमंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा अधिनियम पारित किया गया है कि जिस में ओवरटाईम कार्य का भुगतान मासिक दर पर करने की व्यवस्था हो। विभिन्न अधिनियमों में साप्ताहिक ओवरटाईम के भुगतान का ही उपबन्ध है। इस पर भी अनेक बार चर्चा की जा चुकी है।

अभी हाल ही में हमने श्रम मंत्री से यह कहा कि खान के मज़दूरों, चाहे वे खान के भीतर काम करते हों अथवा बाहर, की मज़दूरी में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं रखा जाना चाहिये। उन्होंनें इस विधेयक को अस्वीकार कर दिया और एक संशोधन रखा गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त० ब० विठ्ठल राव]

अब मेरी समझ में यह नहीं आता कि रेलवे अधिनियम में इस प्रकार का विभेद करके उसे क्यों बिगाड़ा जा रहा है ? अत: यदि आप द्वितिय योजना को सफल बनाना चाहते हैं तो इसमें यह विभेद न आने दीजिये ।

रेलकर्मचारियों के पास आवश्यकता से अधिक कार्य है । आज अनेक प्रकार की उन्नति हो जाने से उनका कार्य बढ़ गया है । उदाहरण के लिये ड्राइवर को लीजिये । आपको पता लगेगा कि उसे अब कहीं बड़े इंजन को संभालना पड़ता है । क्या ओवरटाईम कार्य लेने से रेलवे को अधिक लाभ हो जायेगा ? आगणन से पता लगेगा कि लाभ अधिक नहीं होगा ।

रेलवे प्रशासन का कर्त्तव्य है कि व कुछ अतिरिक्त कर्मचारी रखे । आज यदि कोई कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य की बिमारी के कारण छुट्टी मांगता है तो कहीं दस दिन के बाद उसको छुट्टी मिल पाती है । यह भला कहां तक उचित है ? क्या हम इस स्थिति में सुधार नहीं कर सकते ?

आज हम चारों ओर यही समाचार सुनते हैं कि रेलवे बोर्ड के सदस्यों और मुख्य प्रबन्धकों की संख्या बढ़ रही है किन्तु रेलवे कर्मचारियों के साथ अब भी पहले जैसा व्यवहार किया जाता है । साप्ताहिक कार्य के घंटों की संख्या निश्चित कर देने से विभिन्न श्रेणी के ड्राइवरों में अब असमानता नहीं रह गयी है ।

ओवरटाईम भुगतान मासिक न रखिये क्यों कि संसार में कहीं भी वह मासिक नहीं दिया जाता । अत: मैं जो कुछ कह रहा हूं वह कोई असाधारण चीज नहीं है । क्या समाज के समाजवादी ढ़ांचे को अपनाने का यही तरीका है ? क्या अब परिस्थितियों और मनोवृत्तियों में परिवर्तन नहीं हो गया है ? आपके रेलवे विभाग में इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, इस कारण आपको तो आदर्श नियोजक बनाना चाहिये मैं तो कहता हूं कि उन्हें कार्य के हिसाब से वेतन मिलना चाहिये और इस प्रकार व्यवस्था की जानी चाहिये कि वे भी मनुष्यों की भांति जीवन व्यतीत कर सकें ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : माननीय सदस्य श्री फ्रेंक एन्थनी ने इस सभा में जितनी वाक् स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त है, उसका पूरा उपयोग किया है । उन्होंने यहां तक कह डाला कि मंत्री नें जो कुछ कहा है वह असत्य है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनके भाषण के अंतिम शब्द यदि मैंनें ठीक सुने हों तो वे यह थे 'सत्य नहीं है'।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : मैंने यह नहीं कहा कि मंत्री असत्यवादी हैं अपितु मैंने तो यह उपबन्धों के बारे में कहा था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : विधेयक स्वंय असत्य न हो कर उसका बनाने वाला असत्यवादी हो सकता है । "असत्य" शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिये था । बात करने के बहुत से तरी के हैं फिर माननीय सदस्य तो बोलने में बड़े कुशल हैं । वे ऐसे शब्दों की शरण क्यों लेते हैं ?

†**श्री अलगेशन** : मैं समझता हूं कि आज जितना बुरा भला कहने की शक्ति उनमें थी उसका उन्होंने पूर्ण उपयोग किया है किंतु यदि ऐसा करने से उनकी आत्मा प्रसन्न होती है तो मैं उनके मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहूंगा । जिस हद तक वह कह चुके हैं मैं उतना कहने का लोभ संवरण कर लूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : "असत्य " के पहिले विनिर्णय के बारे में एक औचित प्रश्न है । आप "असत्य" शब्द को असंशदोचित ठहराते हैं अथवा इसका उपयोग "जो सत्य न हों " के अर्थ में किया जाना चाहिये । आपका विनिर्णय क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : 'झूठा' शब्द संसदोचित अथवा उपयुक्त नहीं है। मैं समझता हूं कि 'असत्य' शब्द भी लगभग उसी प्रकार का है। अतः जब आप 'असत्यता' शब्द कहते हैं तो उसमें कुछ अभिप्रेत रहता है अतः इसका जो तात्पर्य होता है उससे, कुछ अधिक हो जाता है अर्थात् इससे यदि मनुष्य की बुद्धि पर आक्षेप नहीं होता तो उसके चरित्र पर आक्षेप अवश्य होता है।

†**श्री कामत** : 'झूठा' शब्द सदस्य अथवा मंत्री के लिये नही प्रयोग करना चाहिये । विधेयकों के लिये 'काला विधेयक' अथवा 'गलत विधेयक' शब्द प्रयोग किये गये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : 'काला विधेयक' अथवा 'ग़लत विधेयक' ठीक हैं। किन्तु 'असत्य' कुछ इससे बढ़कर हो जाता है । दंड संहिता में 'असत्य' का तात्पर्य अनुचित लाभ अथवा अनुचित हानि है।

†**श्री कामत** : हाउस आफ कामन्स तथा अन्य देशों की पार्लियामेंटो में इससे भी कठोर शब्द प्रयोग किये जाते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य भी संसदो की जननी का पालन करना चाहते हैं ?

†**श्री अलगेशन** : मुझे इन निर्वचनों के लिये खेद है। मैं कोई कानूनी दृष्टिकोण का सहारा नहीं लेना चाहता किन्तु वक्ता को यह ध्यान रखना चाहिये कि वह किस सन्दर्भ में उसका प्रयोग कर रहा है और उसका नैतिक परिणाम क्या होगा । मैं समझता हूं कि कठोर विधिक अथवा टेकनिकल पहलू की अपेक्षा यह चीज अधिक आवश्यक है।

माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार वह कार्य कर रही है जिनकीं सिफारिश पंचाट में नहीं की गई है। उसी सन्दर्भ में मुझे वह उद्धरण देना पड़ा था। माननीय सदस्य कारण को टाल रहे थे और उन्होंने उन कारणों पर टीका-टिप्पणी की जिनके द्वारा मध्यस्थ निष्कर्ष तक पहुंच सके थे। यह दूसरा विषय है और इस पर उसके गुणावगुणों की दृष्टि से विचार किया जा सकता है।

माननीय सदस्य औपनिवेषिक युग के बारे में जो बीत चुका है, चिन्तित हैं। संभवतः औपनिवेशिक शासन तथा औपनिवेशिक प्रक्रियाओं से हम लोगों की अपेक्षा उनका अधिक संबंध रहा होगा मैं नहीं कह सकता हूं कि उस युग के समाप्त हो जाने का उन्हें वास्तविक खेद है। उन्होंने जो कहा उससे पता लगता है कि वह उस विगत औपनिवेशिक युग को बहुत चाहते हैं। ऐसे समय में जब कि हमने भारतीय स्वतन्त्रता की नवीं वर्षगांठ मनाई है माननीय सदस्य यह कहते हैं कि विगत शासन वर्तमान प्रशासन से कहीं अच्छा था।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** : मैं समझता हूं कि मंत्री जी मेरी बात को ग़लत ढंग से कह रहे हैं। मैंनें यह कहा था कि वह अंग्रेजों से आगे बढ़ रहे हैं। मैंने यह कभी नहीं कहा कि वे अच्छे थे। मैंने तो कहा था कि वे बहुत खराब लोग थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : मैं नहीं चाहता कि ये अन्तर्बाधायें उपस्थित हो। उन्होंने जो कुछ चाहा कहते गये और मैं शान्त होकर सुनता रहा। मैं आशा करता हूं कि वह भी धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनेंगे और कोई अन्तर्बाधा उपस्थित नहीं करेंगे। यह चीज ऐसी है जो उन्हें और इस सभा के सारे सदस्यों को स्मरण रखनी चाहिये। उन्होंने पूर्ण वाक-स्वातन्त्र्य का लाभ उठाया और बहुत बुरा भला कहा किन्तु मैं एक शब्द भी नहीं बोला और न अन्तर्बाधा ही प्रस्तुत की।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : वह शायद मेरी अंग्रेजी न समझ सके हों और मेरी बात को ग़लत समझ गये हों। मैं माननीय मित्र की इस बात पर आपत्ति करता हूं कि मैंने बहुत बुरी भली बातें कहीं। मैंने कड़े शब्द भले ही कह दिये हों। किन्तु बुरी बातें कभी नहीं कहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री अपना भाषण जारी रखें। प्रत्येक माननीय सदस्य को दूसरा माननीय सदस्य जो कुछ कहे उसे समझना चाहिये।

†**श्री अलगेशन** : यदि वह वर्तमान सरकार की तुलना पहले वाली सरकार से करते हैं और वर्तमान की तुलना में पहले वाली सरकार की प्रशंसा करते हैं तो मैं उनके मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहता। किन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि रेलवे बोर्ड अथवा रेलवे कर्मचारियों पर उन्होंने जो आक्षेप किये हैं वे या तो पूर्णतः ग़लत हैं या ग़लत धारणा से किये गये हैं। उनका इस वर्तमान स्थिति से कोई संबंध नहीं है। यह नहीं समझना चाहिये कि सरकारी तंत्र जिसे राष्ट्रीय सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करना है वह कम सहयोग पाने की अधिकारी की है अथवा वह किसी प्रकार इस देश की सरकार या संसद् से कम देश भक्ति की भावना रखती है। श्री फ्रैंक एंथनी जैसे व्यक्ति को यह कहना शोभा नहीं होता कि रेलवे बोर्ड पहले वाले शासन की नौकर शाही प्रथाओं को अपनाये हुये है। वर्तमान रेलवे बोर्ड समयोचित कार्य कर रहा है। यह वह कार्य कर रहा है जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। मैं सभा के सम्मुख यह तथ्य रखना चाहूंगा कि रेलवे प्रशासन व्यवस्था ने देशभक्ति की भावना से समयोचित कार्य कर दिखाया है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के महान कार्य को कार्यान्वित करने में जो समस्यायें उसके सामने आती हैं उनका सामना कर रहा है। मैं यदि प्रशंसा नहीं तो श्री फ्रैंक एंथनी जैसे सदस्य से कुछ प्रोत्साहन देने वाले शब्द सुनना चाहता था जिनको रेलवे की समस्याओं के बारे में काफी जानकारी है। किन्तु उन्हें मैंने सभा में कभी ऐसी एक भी बात कहते नहीं सुना है। मैं उनके भाषणों को उस समय से सुनता आ रहा हूं जब कि मैं मंत्री नहीं था। वह पिछले कई वर्षों से न केवल विधेयकों पर ही अपितु बजट पर भी बोलते आ रहे हैं। किन्तु वह सदैव एक ही बात कहते रहते हैं और प्रशासन पर आक्षेप ही करते रहते हैं।

मेरे विचार में उनको कुछ रोग सा हो गया है। वह जितनी ज़ल्दी इससे मुक्त हो सकें उतना ही अच्छा होगा। मुझे समझ नहीं आता है कि इसका क्या कारण है। क्या उन्हें इस चीज़ का पश्चाताप हो रहा है कि यहां से उपनिवेशवादी राज्य क्यों समाप्त हो गया है? माननीय सदस्य ने रेलवे मंत्रालय तथा रेलवे प्रशासन के सम्बंध में जो कुछ भी कहा है मेरे विचार में उससे इस सभा का कोई भी सदस्य सहमत नहीं होगा। उन्होंने रेलवे मंत्री के बारे में यह कहा कि वह एक अच्छे आदमी हैं, मगर वह प्रशासन का नियंत्रण करना नहीं जानते हैं, यह भी क्या खूब प्रशंसा है। आप को तथ्यों से बिल्कुल दूसरी ही बात विदित होगी। रेलवे मंत्री खूब अच्छी तरह जानते हैं कि किसी सिद्धांत पर कैसे दृढ़ता से हटा जा सकता है। यह दृढ़ता मनुष्य की लम्बाई-चौड़ाई पर नहीं निर्भर करती है। इस दृष्टि से तो मेरे मित्र ही अधिक भारी हैं। यदि वह अपने विचारों में भी ऐसे ही पुष्ट होते तो क्या अच्छा होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमान्, इस साधारण से विधेयक द्वारा हम एक पहले से ही चल रही वस्तु पर संसद् की स्वीकृति की मुहर लगाना चाहते है। हम इसको यहां लाये बिना भी परिनियम[1] का भाग बना सकते थे। मगर हम रेलवे कर्मचारियों को एक पूर्णतया परिनियमीत परित्राण[2] देना चाहते थे, अतः हमने इसे इस अधिनियम का भाग बना दिया है। वास्तव में हम कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं।

कल मैंने इस सभा का ध्यान इस ओर दिलाया था कि दूसरे सदन ने इस विधान का तीन वर्ष पहले अनुमोदन कर दिया था। किन्तु यद्यपि यह विधेयक आज तीन वर्ष बाद इस सभा में आया है तथापि इसका यह अर्थ नहीं है कि इस समय इस की कोई उपयोगिता नहीं रही है। ये सब हालात अब भी वैसे ही चल रहे हैं।

अब मैं श्री फ्रैंक एंथनी के संशोधन का उत्तर देता हूं। अगर उन्होंने अधिक मित्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग किया होता तो उन्हें अधिक अच्छा उत्तर मिल सकता था। उन्होंने यह कहा है कि हम किसी बात का उत्तर नहीं देते है। किन्तु हमने एक बार नहीं प्रत्युत अनेको बारे उनके प्रश्नों का उत्तर दिया है। हम सभा के सभी सदस्यों की बातों का उत्तर देते हैं। किन्तु किसी बात में उत्तर पाने की योग्यता होना बड़ी आवश्यक है। अतः मैं उनके विशषणों को उनहीं के लिये छोड़ देता हूं।

श्री विट्ठल राव जी ने खान अधिनियम का उद्धरण दिया। क्या वह रेलवे कर्मचारियों के काम की खान कर्मचारियों के काम से तुलना करना चाहते हैं? इसमें कोई भी तर्क नहीं ठहर सकेगा कौन निरन्तर कार्य करते हैं? रेल के स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, क्लर्क, टिकट कलेक्टर गेंगमेन आदि अथवा खान में काम करने वाले मज़दूर? क्या इन श्रेणियों में तथा अन्य भी कई श्रेणियों के कर्मचारियों को उतना ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है जितना कि भूमि के नीचे पल्ला लेकर एक खान के मज़दूर को? मेरे विचार से इनमें कोई तुलना नहीं हो सकती। चाहे भूमि पर हो चाहे भूमि के नीचे, किसी खान के संबंध में मेरे विचार में कोई भी व्यक्ति यह नहीं मान सकता है कि कार्यालय का कार्य भी उतना ही कठोर साध्य होता है जितना कि किसी खान के कर्मचारी का कोई भी आदमी यह सुझाव नहीं दे सकता है कि गेटमेन, वाटरमेन, मेहतरों तथा कुलियों आदि का कार्य एक कारखाने के मज़दूर के बराबर है। इसमें कोई भी तर्क नहीं मालूम होता है। सभा इस प्रकार उक्तियों से कभी संतुष्ठ नहीं हो सकती है।

अब मैं इसकी लोको शेडों के कर्मचारियों से तुलना करता हूं। फेक्टरी अधिनियम में लोको शेडों 'फेक्टरी' की परिभाषा में नहीं सम्मिलित किया गया है। श्री गुरुपादस्वामी ने उनको फेक्टरियों में सम्मिलित करने के लिये दूसरे सदन में एक विधेयक रखा था। उस समय यह सुझाव दिया गया था कि रेलवे मंत्रालय इस पर विचार करेगा। और उन्होंने इस आश्वासन पर उस विधेयक को वापस ले लिया था। इस मामले पर विचार किया गया और उसके अनुसार कुछ सुधार भी किये गये। सप्ताह में ४८ घंटे से अधिक कार्य करने पर अतिरिक्त घंटो के लिये सामान्य दर से वेतन देने की बजाय उन्हें प्रति घंटा सामान्य घंटे के वेतन का १-१/२ गुना वेतन दिया जाने लगा है। अब काम के ४८ घंटे मिलाकर एक सप्ताह माना जाता है। उससे पहले यह औसत महीने के हिसाब से लगाया जाता था। अब लोको शेडों में कार्य करने वाले कर्मचारियों का औसत सप्ताह के हिसाब से गिना जाता है। इस सबसे यह पता चलता है कि हमारी आंखे बन्द नहीं हैं। हमने इस प्रश्न पर दो वर्ष पहले विचार किया था और १९५४ से इस पर अमल शुरु कर दिया है। यह बात सर्वथा ग़लत है कि हम ज़रा भी टस से मस नहीं होना चाहते हैं। हम परिवर्तन करने के लिये तैयार हैं मगर उसमें कोई तर्क हो तब। इन संशोधनों पर मुझे इस से अधिक कुछ नहीं कहना है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३, ४, ५, ६ और ७ सभा के मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

---

[1]Statute.

[2]Safeguard.

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री फ्रैंक एंथनी के संख्या ८ से १५ तक के संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : मैं सब संशोधनों पर नहीं बोला हूं। मैंने केवल संख्या ८ और ९ के संशोधन पर ही विचार व्यक्त किये है।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमारे पास यहां एक ही खंड है। मैं उस पर रखे गये सभी संशोधनों को मतदान के लिये प्रस्तुत करना चाहता हूं।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : मैं ने मूल अधिनियम की धारा ७१ ग के प्रत्येक उपखंड पर संशोधन रखे हैं। मैं उनमें से प्रत्येक पर पृथक पृथक दो दो मिनट के लिये बोलना चाहता हूं क्योंकि अगर मैं एक ही भाषण में बोलूंगा तो सदस्य समझ नहीं पायेंगे कि मैं किस विषय पर बोल रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा आप किन किन संशोधनों पर बोल चुके हैं ?

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : संख्या ८ और ९।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं संशोधन संख्या ८ और ९ को सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या ८ और ९ सभा के मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब आप संशोधन संख्या १० पर बोल सकते हैं।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : संशोधन संख्या १० मूल अधिनियम की धारा ७१ ग(४) के संबंध मे है। यह धारा काम के घंटों का विनियम करने के लिये बनाये गये विशेष नियमों का निलम्बन करने के लिये रखी गई है। उसकी भाषा कुछ भ्रामक है। उससे यह प्रकट हो सकता है कि यह केवल अस्थायी छुट देने के लिये ही रखी गई है। वास्तव में कुछ विशेष परिस्थितियों अथवा आपात् काल में रेलवे का काम ठीक ढंग से चलाने के लिये रेलवे प्रशासन काम के घंटे संबंधी इन नियमों का निलम्बन कर सकता है। किन्तु मेरा यह अनुभव है कि आज अगर रेलवे कर्मचारी किसी आमोद प्रमोद की यात्रा अथवा खेलों के लिये भी जाते है तब भी इन नियमों में छट दे दी जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि जो कर्मचारी पीछे रह जाते हैं उन्हें अधिक काम करना पड़ता है। मेरा यह कहना है कि इन नियमों में आवश्यक अवस्थाओं में ही छूट दी जानी चाहिये, खेलों आदि के मामलेमें नहीं। मेरे इस संशोधन का यही उद्देश्य है।

†**श्री अलगेशन** : रेलवे प्रशासन को अस्थायी रुप से काम के घंटों में अपवाद करने की शक्ति देना आवश्यक है ताकि वह रेलवे के कार्य में अव्यवस्था न आने दे। ऐसे मौके बहुत ही कम आते हैं जब कि प्रशासन को ऐसी छट दी जाती है। न्यायनिर्णयक भी प्रशासन को यह अधिकार देने के विरुद्ध नहीं था, अपितु उसने यह कहा कि इसके फलस्वरुप ओवरटाईम कार्य करने वालों को "अतिरिक्त वेतन" दिया जाना आवश्यक है। उसने अस्थायी रुप से इस प्रकार के अपवाद करने की शक्ति के बारे में कोई एतराज नहीं किया है। दूसरे इस न्यायनिर्णयन के बाद दिये जाने वाले "अतिरिक्त वेतन"की राशि भी कोई अधिक नहीं है। यह कुल वेतन बिल का १ प्रतिशत से भी कम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इससे यही सिद्ध होता है कि रेलवे व्यवस्था बहुत कम ही इस चीज का आश्रय लेती है। अतः इन शक्तियों को सीमित करने अथवा इन पर प्रतिबन्ध लगाने में कोई बुद्धिमता नहीं होगी। अथवा यह कहना कि खेलों आदि के समय पर ऐसा अपवाद नहीं किया जाना चाहिये ठीक नहीं है। माननीय सदस्य को पता होगा कि इस देश में रेलवे कर्मचारी सबसे आगे हैं। उन्होंने कई अखिल भारतीय और विश्व रिकार्ड कायम किये हैं। मुझे समझ नहीं आता आप ऐसी चीज़ों को कैसे अवाञ्छनीय कह सकते हैं। मैं इस संबंध में प्रशासन के हाथ नहीं रोकना चाहता हूं। हां मै माननीय सदस्य को यह विश्वास दिला सकता हूं कि हम इनका बहुत कम प्रयोग करते हैं। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १० सभा के मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कोई और संशोधन भी है ?

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : जी हां। संशोधन संख्या ११ इस संशोधन में मूल विधेयक की धारा ७१ (घ) (१) (क) में कुछ शब्द जोड़ने के लिये हैं। इस धारा में यह उल्लिखित है कि निरन्तर कार्य करने वाले रेलवे कर्मचारियों को रविवार से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में एक बार कम से कम निरन्तर ३० घंटे का विश्राम अवश्य मिलेगा। यह नियम तो बड़ा अच्छा है। परन्तु रेलवे में कई ऐसे कर्मचारी है। जिन्हें वर्ष में एक पूरा दिन भी विश्राम नहीं मिलता है। यदि माननीय मंत्री अपने घर से बाहर निकलने का तनिक भी कष्ट करना गवारा करें तो उनको फौरन पता चल जायेगा कि दिल्ली के सेक्शन कन्ट्रोल आफिस में क्या हो रहा है। इसी प्रकार पुरानी दिल्ली में पुराने ट्रेन डिस्पेचर्स हैं। इसी तरह अनेकों प्रकार के ऐसे रेलवे कर्मचारी हैं जिन्हें वर्ष भर में एक दिन का भी विश्राम नहीं मिलता है। और फिर भी माननीय उपमंत्री कहते हैं कि उन्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आती। आये भी कैसी। वह वस्तुस्थिति से सर्वथा अनभिज्ञ हैं और घोर अन्धकार में पड़े हुये हैं। वह मेरे एक भी तर्क का उत्तर नहीं दे सकते हैं। यह मुझे स्पष्टतया बतायें कि क्या वह उक्त कर्मचारियों को एक दिन का भी विश्राम नहीं देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वह उस विधेयक में इस प्रकार का उपबन्ध जोड़ने का प्रयत्न करें।

†**श्री ब० द० पांडे** (जिला अलमोड़ा उत्तर पूर्व) : मैं एक पुराना सदस्य हूं और माननीय सदस्य भी। हम एक दूसरे को जानते हैं। परन्तु उन्होंने रेलवे बोर्ड को जो गालियां दी हैं वे असह हैं। हमारा रेलवे बोर्ड सर्वोत्तम बोर्ड है और अपने कर्त्तव्य का भलीभांति पालन कर रहा है। किन्तु वही लोग जो मत लेने के लिए लोगों के पास जाते हैं, उन्हें हड़ताल, आदि करने के लिए कहते हैं।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : मेरी बातों को गलत रूप न दीजिये।

श्री ब० द० पांडे : मैं अपशब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। उनकी अपेक्षा मेरी भाषा अधिक शिष्ट है। एन्थनी साहब को मालूम होना चाहिये कि लखनऊ का आदमी जब गाली भी देता है तो कहता कि आपकी अम्मीजान की खिदमतशरीफ में गुस्ताखी करनी पड़ेगी, इस ढंगसे कहता है। इसलिए अगर अप्पोजीशन वाले गाली भी दें तो उन्हें गाली देने का ढंग और

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० द० पांडे]

लड़ना सीखना चाहिए, गाली भी अगर दें तो वह कंस्ट्रक्टिव गाली हो और अच्छे शब्दों में गाली हो। ऐसा ढंग न इस्तेमाल करें जैसा कि अभी हमारे श्री एन्थनी ने यहां पर किया कि अपने अमेंडमेंट्स के पक्ष में तो एक शब्द भी नहीं कहा और कोई प्वाइंट नहीं रखा, केवल ऐब्यूज, ही ऐब्यूज हमारे डिप्टी मिनिस्टर पर शौवर करते रहे। †मैं अंग्रेजी भाषा का शौकीन नहीं हूं। मैं उनके ढंगों को भूलना चाहता हूं। उनमें वह संस्कृति अब भी है, जो उन्होंने अंग्रेजों से ग्रहण की थी। हम यहां शान्तिपूर्ण ढंग से रहना चाहते हैं। "कोई भी व्यक्ति जो" मजदूरों से हड़ताल करने के लिये कहता है, वह देश का शत्रु है।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : मैं इस पर घोर आपत्ति करता हूं। मेरे विचारों को इस गलत ढंग से नही रखा जायेगा।

†**श्री ब० द० पांडे** : मैं ने "कोई भी व्यक्ति" कहा था।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य के कहने का अभिप्राय यह है कि श्री फ्रैंक एन्थनी हड़ताल को प्रोत्साहन देते हैं ?

†**श्री ब० द० पांडे** : मैं ने "कोई भी व्यक्ति" कहा था।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक साधारण प्रस्थापना है।

†**श्री ब० द० पांडे** : रेलवे बोर्ड अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, उसका प्रबन्ध ठीक है और उनके वेतन-मान भी अच्छे हैं। अतः मैं संशोधन का विरोध करता हूं।

†**श्री अलगेशन** : श्री एन्थनी ने जो कहा है, उसके उत्तर में मैं पंचाट के पृष्ठ १५८ का उल्लेख करूंगा। इसमें कहा गया है कि गहन और निरन्तर कार्य करने वालों को एक सप्ताह में कम से कम लगातार ३० घंटे आराम करने के लिये मिलेंगे। इसमें एक पूरा दिन और एक पूरी रात स्वतः ही आ जाती है।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : यह नहीं किया जा रहा है।

†**श्री अलगेशन** : मुझे बेकार बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनके संशोधन का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री एन्थनी का संशोधन संख्या ११ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : मेरा एक और संशोधन यह है कि मूल अधिनियम में से धारा ७१ (घ) (३) को हटा दिया जाय। यह केन्द्रीय सरकार को विभिन्न श्रेणियों के मजदूरों संबंधी विनियमों में परिवर्तन करने वाले नियम मनमाने ढंग से बनाने का अधिकार देती हैं। यह एक बहुत आपत्तिजनक धारा है। जो व्यक्ति छः घंटे काम करता है उसे बारह घंटे काम करने के लिये बाध्य किया जा सकता है। फिर, धारा ७१ क (४) में, जिस पर हम विचार कर चुके हैं, आपात की परिस्थिति में केन्द्रीय सरकार को अधिकार दिया गया है। अतः इसकी आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं अपितु, वे उपयुक्त परिस्थितियों के होने पर भी वे इन नियमों का अस्थायी रूप से विलम्बन कर सकते हैं। इस पर मुझे यही आपत्ति है। आप साधारण परिस्थितियों में ये अधिकार क्यों लेते हैं ?

†**श्री अलगेशन** : एक श्रेणी के मजदूरों को एक से हटा कर दूसरी श्रेणी में करने का कोई प्रश्न नहीं है। इसमें अपील करने का एक उपबन्ध है। श्रम मंत्रालय की व्यवस्था लागू की जायेगी तथा रेलवे कर्मचारियों व रेलवे संघों को अधिकार है कि वे अपने मामलों को श्रम आयुक्त और

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार के श्रम मंत्रालय के समक्ष रखें, तथा वहां उसका फैसला होगा। इसके अतिरिक्त इस प्रयोजन से स्थायी समझौता वार्ता व्यवस्था का भी प्रयोग किया जा सकता है। अतः लोगों को कम लाभ की श्रेणी में रखने की इच्छा नहीं है। स्वयं न्याय निर्णेता ने इस आवश्यकता को मान्यता दी है, और सिफारिश की है कि 'मेट्स', 'कीमेन' और 'गैंगमेन' तथा अस्थायी प्रयोजनों के लिये रखे गये दस्तकारों और अप्रवीण मजदूरों के लिए आरम्भ का समय विहित समय की अपेक्षा कम हो सकता है। यह समय एक दिन प्रति सप्ताह हो सकता है अथवा यह तीन लगातार दिनों तक हो सकता है जैसा कि पहिले था। केवल ऐसी ही श्रेणियों के बारे में, आराम की कम अवधि विदित करने के लिए रेलवे प्रशासन अधिकार ले रहा है। अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री फ्रैंक एन्थनी का संशोधन संख्या १२ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : अब, मैं अपने संशोधन संख्या १३ के द्वारा विधेयक में धारा ७१ (घ) (४) में संशोधन करना चाहता हूं। "(परन्तु रेलवे कर्मचारी को, जिसे इस प्रकार छूट मिली हो, पत्री मास के किसी भी सप्ताह में आराम ऐसे समय के लिये प्रतिकरात्मक समय दिया जायेगा, जो उसे न मिला हो)" इससे मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि अन्य विशेष या आपातिक परिस्थितियों में अपने आदमियों से काम न लें। परन्तु न्याय निर्णेता ने स्वयं कहा है कि यदि साप्ताहिक विश्राम समाप्त किया जाय तो प्रशासन को उचित समय में और यदि सम्भव हो तो एक सप्ताह के भीतर ही भीतर प्रतिकरात्मक विश्राम देने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा व्यवहार रूप से किया नहीं जा रहा है। क्योंकि उपबन्ध में कहा गया है कि "यथासम्भव, दिया जाय"। हो सकता है कि न दिया जाय। प्रशासक कहेगा कि यह सम्भव नहीं है सिफारिश का दूसरा भाग यह है कि विश्राम उसी सप्ताह में दिया जायेगा, जब कि विधेयक में इसका कोई उल्लेख नहीं है। मैंने "उसी सप्ताह में" न रख कर "पत्री मास के किसी भी सप्ताह में" रखा है। मेरा निवेदन है कि मेरा संशोधन न्याय निर्णेता के भावानुकूल ह।

†**श्री अलगेशन** : "एक मास में" और "एक पत्री मास में" अन्तर है। न्यायनिर्णेता के पंचाट को पूर्णतया समझा गया है और १९५१ में रेलवे बोर्ड ने जो नियम बनाये थे उनमें उपबन्धित है कि उपबन्ध के अन्तर्गत जिन रेलवे सेवकों को छूट दी गई है, यदि वे गहन या निरन्तर कार्य करने वाले हैं तो उनसे ३० घंटे के लगातार विश्राम के बिना, और, यदि वे अनिवार्यतः सविराम कार्यकर्त्ता हैं तो २४ घंटे के लगातार विश्राम के बिना १४ दिन से अधिक काम न लिया जायेगा। इस प्रकार एक मास भी नहीं होता। उन्हें बिना विश्राम दिये दो सप्ताह से अधिक काम नहीं दिया जायगा। अतः इसका दूसरा उपबन्ध है न्याय-निर्णेता की इच्छा की पूर्ति की गई है। अतः श्री एन्थनी के संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री फ्रैंक एन्थनी का संशोधन संख्या १३ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : संशोधन संख्या १४ भी ऐसा ही है। क्योंकि यह धारा ७१ङ (ङ) को हटाना चाहता है जो धारा ७१ङ (घ) जैसी ही है।

इसका तात्पर्य यह है कि रेलवे प्रशासन को कर्मचारियों की श्रेणी बदल देने के समस्त अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिये।

†**श्री अलगेशन** : इस बात का उत्तर मैं पहिले ही दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री फ्रैंक एन्थनी का संशोधन संख्या १४ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या १५ पर आता हूं।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : इस संशोधन का सम्बन्ध धारा ७१च से है। इस धारा से मैं यह समझता हूं कि रेलवे कर्मचारी को २४ घंटे तक भी छुट्टी नहीं मिलती है, तो कोई भी कह देगा 'हां' हमने विश्राम के हेतु स्थानापन्न कर्मचारियों को आदेश दे दिया है, परन्तु वे वहां नहीं गये हैं। अतः उनके वहां जाने तक, इसमें चाहे ४८ घंटे लगें, आप काम छोड़ कर नहीं जा सकते। मेरा निवेदन है कि यह उपबन्ध न्याय-निर्णेता की सिफारिशों के पूर्णतया विरुद्ध है। अपने पंचाट के पृष्ठ ८८ पर न्याय-निर्णेता ने सिफारिश की है कि गाड़ी में चलने वाले कर्मचारियों के काम का समय १० घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। १२ घंटों के बाद उन्हें, यदि वे नियन्त्रक को २ घंटे की पूर्व सूचना दे देते हैं, विश्राम की मांग करने का अधिकार होना चाहिए। पहिले समय में यह स्थिति थी। परन्तु अब आप सर्वथा इसके विपरीत उपबन्ध कर रहे हैं। आपके वर्तमान उपबन्ध का अर्थ है कि यदि २४ घंटे तक पदावमोचक नहीं आता है, तो वह काम से नहीं जा सकता। यदि वह जाता है तो आप उसे नौकरी से हटा देंगे। जो लोग आपकी वफादारी से नौकरी कर रहे हैं उनके लिए आप इस किस्म का उपबन्ध कर रहे हैं।

†**श्री अलगेशन** : इस सम्बन्ध में न्याय-निर्णेता के कथन के बारे में माननीय मित्र ने जो कहा है वह ठीक है। चलने वाले कर्मचारियों को लगातार १० घंटे काम करना होगा और यदि वे दो घंटे की पूर्वसूचना दे देते हैं, तो १२ घंटे के बाद उन्हें काम से छुट्टी मिलनी चाहिए। रेलों पर यह लागू कर दिया गया है। परन्तु कुछ समय पहिले कुछ शिकायतें की गई थीं कि इसका पूर्ण पालन नहीं हो रहा है और उनसे १२ घंटे से अधिक काम करने के लिये कहा जाता है। रेलवे प्रशासन को यह बता दिया है, और उनसे दृढ़तापूर्वक कह दिया गया है कि चलने वाले कर्मचारियों को १२ घंटे के बाद छुट्टी अवश्य दे दें बशर्ते कि २ घंटे की पूर्व सूचना दे दी जाती है। ऐसे किसी मामले का हमें पता नहीं लगा है जहां गाड़ियों के साथ चलने वाले किसी भी कर्मचारी से लगातार २४ घंटे काम करने के लिए कहा गया हो।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : दक्षिण-पूर्व रेलवे पर उनसे काम लिया जाता है।

†**श्री अलगेशन** : मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि किसी भी अधिक कार्य करने वाले से ८ घंटे से अधिक और लगातार काम करने वालों से १२ घंटे से अधिक काम करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। इसकी तनिक भी सम्भावना नहीं है कि दोनों श्रेणियों में से किसी से भी ८ या १२ घंटे से अधिक काम करने के लिये कहा जायेगा। प्रश्न केवल गाड़ी में चलने वाले कर्मचारियों के बारे में उठता है जहां हम नियम सर्वथा पालन कर रहे हैं कि विश्राम की व्यवस्था होनी चाहिये और यदि उचित पूर्व सूचना दी जाती है तो १२ घंटे के काम के बाद विश्राम मिलना चाहिये। हो सकता है कि पूर्व सूचना में विलम्ब हो जाय, तो तुरन्त विश्राम न दिया जा सके। परन्तु इसके लिए उपबन्ध का कोई दुरोपयोग नहीं किया गया है जो यहां है। इस आश्वासन के साथ मैं उनसे अपना संशोधन वापस लेने की प्रार्थना करता हूं।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : यह बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १५ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्ड १ और अधिनियम सूत्र के बारे में दो संशोधन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : मैं वे संशोधन रखना नहीं चाहता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, अधिनियम सूत्र तथा नाम विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, अधिनियम सूत्र, तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री अलगेशन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाय ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था (खड़गपुर) विधेयक

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : शिक्षा मंत्री की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं* कि :

"Indian Institute of Technology, Kharagpur" (भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, खड़गपुर) के नाम से प्रसिद्ध संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने वाले तथा इसके निगमन और इससे संबंधित अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस सभा के सदस्यों को भारतीय टेक्नोलोजीकल संस्था (खड़गपुर) के बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : इस विधेयक पर मतभेद नहीं है ।

†**डा० म० मो० दास** : माननीय सदस्य प्रत्येक सत्र में भारत की इस मुख्य संस्था के बारे में बहुत से प्रश्न करते हैं और मैं माननीय सदस्यों के समक्ष वह जानकारी प्रस्तुत करने में गौरव समझता हूं जो वे मांगते हैं । इन प्रश्नों से यह प्रकट होता है कि इस सभा के सदस्य इस महान् संस्था के विकास में बहुत अधिक दिलचस्पी लेते है ।

आज मैं इस सम्मानित सभा से इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व की घोषित करने तथा इसे देश के सर्वोच्च विधान मंडल के विधान द्वारा निगमित करके इसे वह सम्मान और स्तर प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं जो इसे मिलना चाहिये ।

कदाचित ऐसे अवसर पर इस संस्था के बारे में संक्षेप में बताना असंगत न होगा ।

दूसरे महायुद्ध की समाप्ति पर तत्कालीन भारत सरकार ने इस देश के औद्योगिक पुनर्निर्माण के लिए एक योजना बनाई थी और औद्योगिक पुनर्निर्माण की उस योजना को लागू करने के संबंध में अपेक्षित प्रविधिक कर्मचारियों की बड़ी संख्या की मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री नलिनी रंजन सरकार के सभापतित्व के अन्तर्गत एक उच्चाधिकार समिति स्थापित की थी । यह समिति, इस देश में प्रविधिक शिक्षा के विकास के संबंध में उचित सिफारिशें करने के लिए नियुक्त की गई थी, ताकि इस देश के बढ़ते औद्योगीकरण की, प्रविधिक कर्मचारियों की बढ़ती आवश्यकताओं को संतोषप्रद ढंग से पूरा किया जा सके ।

श्री न० र० सरकार के सभापतित्व में इस समिति ने, अमेरिका में मासाशुसेटस इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनालोजी के आधार पर चार उच्च प्रौद्योगिकीय संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत हुआ ।

[डा० म० मो० दास]

थी। इसने अग्रेतर यह भी सिफारिश की थी कि, यदि सम्भव हो, तो इन चार उच्च प्रौद्योगिकीय संस्थाओं की कड़ी में से पहली संस्था, देश के पूर्वी भाग में स्थापित की जाए, दूसरी संस्था भी उसी समय देश के पश्चिमी भाग में स्थापित की जानी चाहिये और कुछ समय बाद अन्य दो संस्थायें स्थापित की जानी चाहियें।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

तदानुसार १९५१ में, पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में खड़गपुर के निकट हिजली नामक स्थान पर इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनालोजी (खड़गपुर) स्थापित किया गया था। जिस भूमि पर यह संस्था स्थापित की गई है उस का अपना एक रोमांचकारी इतिहास है।

†**श्री कामत** : रोमांचकारी ?

†**डा० म० मो० दास** : जी हां, वह रोमांचकारी है। मैं उन्हें बताता हूं। मिदनापुर, अत्याधिक उपद्रवी तथा अत्याधिक कुख्यात जिला . . . .

†**श्री नि० बि० चौधरी** (घाटल) : मुझे इस अभिव्यक्ति पर आपत्ति है।

†**डा० म० मो० दास** : मुझे वाक्य पूरा कह लेने दीजिये। मुझे सुन लीजिए।

†**श्री बनर्जी** (मिदनापुर–झाड़ग्राम) : मुझे निश्चित रूप से आपत्ति है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह एकदम आपत्ति कैसे हो गई ?

†**श्री कामत** : विख्यात कहिए।

†**डा० म० मो० दास** : उन दिनों में ब्रिटिश शासकों की आंखों में मिदनापुर अत्यधिक उपद्रवी तथा कुख्यात जिला था। मैं बंगाल का रहने वाला हूं। मुझे इस जिले पर गर्व है। उन स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में उन ब्रिटिश शासकों की आंखों में यह जिला ऐसा ही था। यह बंगाल का सब से बड़ा जिला भी था जिसकी जन संख्या ३२ लाख से अधिक थी—यदि मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे माननीय मित्र मुझे ठीक आंकड़े बता सकते हैं। उस समय हमारे शासकों का यह ख्याल था कि यदि इस जिले को पृथक जिलों में विभाजित कर दिया जाये तो तब सम्भवत: उनके लिए राष्ट्रीयता की उस बढ़ती हुई लहर को सफलतापूर्वक रोकना आसान होगा जो इस जिले के एक कोने से दूसरे कोने में फैल रही थी। इसलिये इस विशिष्ट स्थान को चुना गया था और एक नया जिला नगर के केन्द्र के रूप में इसका विकास किया गया था और वहां कुछ कार्यालय भवनों का भी निर्माण किया गया था। परन्तु मेरे मन कुछ और है सांई के मन कुछ और। ब्रिटिश शासकों को यहां एक अन्य जिला नगर स्थापित करने और मिदनापुर का विभाजन करने का अवसर नहीं मिला। इससे पहिले गांधीजी मैदान में उतर आए और १९२१ का असहयोग आन्दोलन आरम्भ हुआ। इस आन्दोलन के दौरान हजारों की संख्या में इस देश की स्त्रियों तथा पुरुषों ने अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश किया और तद्कालीन शासकों को, इन गिरफ्तार होने वाले पुरुषों तथा स्त्रियों को कैद करने के लिए, एक बड़ी जेल की अत्यधिक आवश्यकता अनुभव हुई। परिणामस्वरूप इस विशिष्ट स्थान को, जिसका एक जिला नगर के रूप में विकास किया जाना था, एक बड़ी जेल में परिवर्तित कर दिया गया और यह स्थान अपने स्थानीय नाम, हजली जेल के नाम से पुकारा जाने लगा, १९२१ से द्वितीय विश्व युद्ध के अन्त तक, २० वर्ष से अधिक समय तक, यह स्थान बगाल में राजनीतिक बन्दियों का एक विशाल संकेन्द्रण शिविर बना रहा।

१९३१ में इस जेल में एक ऐसी घटना हुई जिसने हिजली जेल का नाम बंगाल के स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया है। उस वर्ष जेल के अधिकारियों ने राजनीतिक बन्दियों के एक दल पर अविवेकतया गोली चलाई और दो व्यक्तियां, स्वर्गीय श्री तारकेश्वर

†मूल अंग्रेजी में

सेन तथा श्री सन्तोष कुमार मित्र शहीद हुए और अत्यधिक संख्या में अन्य व्यक्ति घायल हुए। यह वह स्थान है जहां आज खड़गपुर की प्रौद्योगिकीय संस्था स्थापित है। एक ऐसा स्थान जो शहीदों के रक्त से आज विद्या की देवी का शरण्य बन गया है ; जहां कभी आतंक, जुल्म तथा प्रदमन शासित थे अब वह विज्ञान तथा प्राविधिक शिक्षा का पवित्र स्थान बन गया है। पराधीनता से स्वतंत्रता अंधकार से प्रकाश तथा अज्ञान से ज्ञान की दशा में यह खड़गपुर संस्था, भारत की फिर से उद्गम हुई आत्मा की प्रतीक है।

खड़गपुर संस्था का अद्वितीय स्वरूप है, आज भारत में यह अपने प्रकार की एक ही संस्था है। इस संस्था को अमेरिका की मैसाशुसैट्स इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनालोजी के आधार पर आयोजित किया गया है। कई अन्य देशों में भी, जो औद्योगिक रूप से अच्छी तरह विकसित हैं, ऐसी ही संस्थायें बनाई गई हैं। उदाहरण के लिए कैलीफोर्निया इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनोलोजी, कारनेगी इंस्टीच्यूट ऑफ अमेरिका तथा ज्यूरिच में फैडरल टेकनोलोजीकल इंस्टीच्यूट ऑफ स्विटजरलैंड। इस प्रकार की संस्थाओं की प्रमुख विशेषता यह है कि अध्यापन तथा गवेषणा कार्य साथ साथ किए जाते हैं। एक ओर विशेष विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता है और दूसरी ओर उच्च स्तर का गवेषणा कार्य भी किया जाता है। इस प्रकार जहां संस्था में उच्चतम स्तर पर पाठ चर्चाओं के लिए व्यवस्था है वहां यह गवेषणा कार्यकर्ता को तरुण तथा अन्वेषण में इच्छित व्यक्तियों से तालमेल में भी सहायता देती है और उन्हें पूर्व-स्नातकों, उच्चतम योग्यता रखने वाले अध्यापकों तथा गवेषणा कार्यकर्ताओं का अनुभव भी प्रदान करती है।

श्रीमान्, इंजीनियरिंग शिक्षा की प्राचीन पद्धति, जो केवल प्रौद्योगिक पहलू पर ही जोर देती थी, आज की नई तथा बढ़ती हुई मांगो को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। भारत को विशेष तया राष्ट्रीय प्रयोजन की भावना से सुसज्ज इंजीनियरों की आवश्यकता है, केवल प्रवीण प्रविधिकों की ही आवश्यकता नहीं है जो विशेषज्ञों द्वारा आयोजित परियोजनाओं को यान्त्रिक ढंग से पूरा करें बल्कि ऐसे दूरदर्शी तथा साहसी व्यक्तियों की आवश्यकता है जो अपने कार्य को सच्ची लगन से कर सकें। भारतीय टेकनोलोजी संस्था ने अध्ययन की पाठ चर्चा और शिक्षण के उपायों की योजना बनाते समय और इस संस्था के क्षेत्र में विद्या संबंधी जीवन संगठित करते समय इस उद्देश्य को निरन्तर अपने समक्ष रखा है। यह संस्था एक मूल वैज्ञानिक तथा प्रविधिक शिक्षा देने का प्रयास करती है और इसका संबंध उदार मानव दृष्टिकोण से स्थापित करती है।

इस संस्था की एक और विशिष्ट विशेषता है। इस संस्था के विभाग सरकार द्वारा या गैर सरकारी उद्योगों द्वारा प्रारम्भ किये गए परामर्श कार्य को भी अपने जिम्मे लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग तथा वास्तु-कला संबंधी विभाग पहले ही कुछ कार्य कर चुके हैं और कुछ योजनाओं पर वे काम कर रहे हैं और वास्तु-कला और प्रादेशिक योजना संबंधी विभागों ने कलकत्ता में राजेन्द्र छात्र निवास के भवनों की योजना तैयार की है और दामोदर घाटी निगम के अधीन मैथुन उपनगर के लिए सामान्य नगर योजना का कार्य कर रहें हैं। उसने विश्वभारती विश्व विद्यालय भवनों तथा कुछ अन्य सरकारी भवनों की योजना बनाने का कार्य भी संभाला है।

सम्भवतः इस संस्था की समस्त वित्तीय स्थिति के संबंध में कुछ शब्द कहना असंगत बात न होगी। वित्तीय वर्ष के अन्त तक, अर्थात् ३१ मार्च, १९५६ तक ३.३७ करोड़ रुपये भवन, उपकरण तथा उपस्कर पर खर्च किये गये हैं ; भवन, २.२६ करोड़ रुपये, उपकरण, १,०६.३ लाख रुपये तथा उपस्कर ६.४ लाख रुपये। इसके अतिरिक्त १.१५ करोड़ रुपये १९५० से १९५६ तक, ६ वर्षों में, आवर्तक लेखे पर खर्च किए गए थे। चालू वर्ष की अवधि में संस्था के लिए निम्न आय व्ययक उपबन्ध किया गया है : आवर्तक व्यय ४७.५ लाख रुपये और अनावर्तक व्यय--पूंजी व्यय--उपकरण, ५९.३७ लाख रुपये तथा भवन २० लाख रुपये।

एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस संस्था के लिए विधान अधिनियमित करना आखिर क्यों आवश्यक है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह कि इस स्तर की संस्था--वास्तव में यह

[डा० म० मो० दास]

बहुत ही उच्च स्तर की है—की एक प्रतिष्ठा होनी चाहिये, एक विशिष्ट स्थान होना चाहिये और देश में उसका आदरणीय स्थान होना चाहिये। यह संस्था वास्तविक रूप से जिस प्रतिष्ठा की अधिकारी है वह उसे इस देश के सर्वोच्च विधान मंडल द्वारा ही दी जा सकती है।

दूसरा कारण यह कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुसार, जो कुछ ही महिने बीते पारित हुआ है, किसी भी ऐसी संस्था को डिग्री प्रदान करने की अनुमति नहीं है जब तक कि वह कोई विश्वविद्यालय न हो या उसे तुलनीय संस्था घोषित न किया गया हो। यदि खड़गपुर संस्था जैसी संस्था को संसद् द्वारा अधिकार न दिया गया तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान नहीं कर सकेगी। इन दो कारणों से यह विधेयक इस सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस संस्था को ऐसा आशीर्वाद देंगे जिसका कि यह पात्र है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या केवल आशीर्वाद ही चाहिये या मत भी ?

†**डा० म० मो० दास** : मत के रूप में आशीर्वाद।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : विद्यार्थियों, स्नातकों तथा पूर्व-स्नातकों, की वर्तमान संख्या क्या है ?

†**डा० म० मो० दास** : लगभग १४००।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : केवल इतनी? संस्था में ?

†**डा० म० मो० दास** : मैं मालूम करूंगा।

†**श्री खू० चं० सोधिया** (सागर) : माननीय मंत्री को विधेयक के खंडों के संबंध में कुछ कहना चाहिये था। उन्हें विभिन्नता उपबन्धों की चर्चा करनी चाहिए थी। हम यह जानना चाहते थे कि उन्हें विधेयक में क्यों रखा गया है ?

†**डा० म० मो० दास** : श्रीमान्, विधेयक को सदस्यों में परिचालित किया गया है और यह अविवादास्पद प्रकार का छोटा सा विधेयक है। माननीय सदस्य विधेयक को देख चुके होंगे और अब वह लोक सभा के समक्ष है। मेरे विचार में माननीय सदस्य खंडों पर भाषण देंगे और फिर मुझे वाद-विवाद का उत्तर देने के लिए अवसर दिया जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

दो संशोधन हैं। एक श्री सामन्त का है ; क्या माननीय सदस्य उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक) : मेरा संशोधन यह है कि विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जो अगले सत्र के पहले दिन तक अपना प्रतिवेदन दे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने प्रवर समिति के लिये जिन अन्य माननीय सदस्यों की चर्चा की है क्या उनकी अनुमति उन्हें प्राप्त है ?

†**श्री स० चं० सामन्त** : जी, हां।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री ही० ना० मुकर्जी की भी ?

†**श्री स० चं० सामन्त** : जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : डा० म० मो० दास की भी ?

†**डा० म० मो० दास** : जी, नहीं। मुझे खेद है कि मुझ से कोई परामर्श नहीं किया गया, परन्तु मुझे कोई शिकायत नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या आप इसे स्वीकार करेंगे ?

†**डा० म० मो० दास** : जी, नहीं।

†**श्री स० चं० सामन्त** : माननीय मंत्री नें विधेयक प्रस्तुत करते समय स्वयं स्वीकार किया है कि यह विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस संस्था जैसी अन्य तीन संस्थायें और स्थापित की जायेंगी। इस लिये इस संस्था के संबंध में इस विधेयक में जिन बातों की चर्चा की गई है उनकी भली पूर्वक छान बीन की जानी चाहिये और हम चार या पांच घन्टे के समय में कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : केवल तीन घंटे का समय है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : इस सभा में जितने भी विश्वविद्यालय विधेयक पारित किए गए थे उन सभी विधेयकों को जो प्रवर समिति को सौंपा गया था, केवल भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक ही उसे नहीं सौंपा गया था। परन्तु हम तथा राज्य सभा के सदस्य जानते हैं कि हमने उस पर कितना समय बिताया था। उस समय विधेयक का कितना विरोध किया गया था।

मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह मेरा संशोधन स्वीकार कर लें ताकि इस विधेयक के खंडों पर विचार कर सकें और कुछ निर्णय कर सकें जो कि भावी अधिनियमों के संबंध में भी, जिन्हें अन्य संस्थाओं के लिये पुरःस्थापित किया जाएगा, हमारा एक प्रभावकारी पथ प्रदर्शक होगा।

यह विधेयक भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम जैसा नहीं है। यहां हम एक बोर्ड का उपबन्ध कर रहे हैं। फिर एक विद्या संबंधी परिषद, वित्त समिति भी गठित की जाएगी इन निकायों के कृत्यों के संबंध में मतभेद हो सकते हैं। इस लिये इतने थोड़े समय में इन सभी बातों की छानबीन नहीं हो सकती है। इन परिस्थितियों में मुझे आशा है कि सदन तथा सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार करेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

यह संशोधन तथा मूल प्रस्ताव, दोनों सभा के समक्ष हैं।

श्री दी० चं० शर्मा के संशोधन में भी इसी बात की ओर निर्देश किया गया है अर्थात् उस में भी प्रवर समिति की बात कही गई है। उन्होंने अपने प्रस्ताव के संबंध में प्रवर समिति के सदस्यों की सूची प्रस्तुत नहीं की है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (होशियारपुर) : मेरे पास सूची है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्हें सूची की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखनी चाहिये थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। अन्य माननीय सदस्य ने जिस प्रवर समिति की ओर निर्देश किया है उन्होंने उस में सम्मिलित होने पर भी कोई आपत्ति नहीं की है। इस लिये वह अब अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं परन्तु इस प्रस्ताव पर बोलने का मैं उन्हें अवसर दूंगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : सर्वप्रथम मैं मिदनापुर ज़िले के स्वतंत्रता आन्दोलन के नेताओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो राष्ट्रीय हित में बहुत वीरतापूर्ण लड़े और जहां मेरे मित्र डा० म० मो० दास के शब्दों में शिक्षा की देवी को प्रतिष्ठापित किया जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : किया जाएगा ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मुझे शंका है कि देवी को विचार की या विकास की या वृद्धि की अधिक स्वतंत्रता न होगी, यह देवी जंजीरों में जकड़ी होगी और मैं आपको इसके कारण बताता हूं।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां हमारे देश में संस्कृत विश्वविद्यालय या विज्ञान विश्वविद्यालय हैं वहां एक प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय भी होगा। परन्तु यह विश्वविद्यालय, केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के एक विभाग के रूप में प्रशासित होगा। यह विधेयक की भावनाओं के अननुकूल है। विधेयक में एक दर्शक की चर्चा की गई है और वह दर्शक भारत के राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किया जाएगा।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : विधेयक के अनुसार राष्ट्रपति स्वयं दर्शक होंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं क्षमा चाहता हूं। राष्ट्रपति स्वयं दर्शक होंगे और मेरे विचार में बड़े विश्वविद्यालयों के मामले में ऐसा किया जाता है। एक विद्या संबंधी परिषद् होगी, एक प्रशासक बोर्ड होगा, एक उपनिर्देशक होगा और वास्तव में एक अच्छे विश्वविद्यालय की सभी बातें होंगी। निःसन्देह इस संस्था के निकायों के विभिन्न नाम होंगे। सामान्यतया विश्वविद्यालय के प्रमुख को उप-कुलपति कहा जाता है और यहां उसे सभापति कहा गया है। परन्तु मैंने इस निकाय में देखा है कि निर्वाचन के तत्व की बिल्कुल ही उपेक्षा की गई है। सारा काम नाम निर्देशन के आधार पर होगा। राष्ट्रपति कुछ व्यक्तियों को नाम निर्देशित करेगा और ये व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का नाम निर्देशन करेंगे। मेरे विचार में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। दिल्ली तथा अलीगढ़ के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में निर्वाचन सिद्धान्त और नाम निर्देशन के सिद्धान्त का सुन्दर मेल है। परन्तु उस संस्था में ऊपर से नीचे तक सभी व्यक्ति नाम निर्देशित होंगे। आप पूछेंगे कि ऐसा करने में कठिनाई या खतरा क्या है। भय यह है कि यह संस्था स्थिति की आवश्यकताओं के संबंध में अपने आप को भली प्रकार से अभिसूचित नहीं रख सकेगी, निर्वाचन पद्धति में कुछ त्रुटियां भी हैं परन्तु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निर्वाचित व्यक्ति जनता की मांगों के प्रति सचेत तथा जागरूक रहते हैं। इस संस्था में ऐसे व्यक्ति होंगे जो राष्ट्रीय जीवन से कहीं दूर होंगे। इस से संस्था का विकास नहीं हो सकेगा। इस लिये यहां भी निर्वाचन का सिद्धान्त अपनाया जाना चाहिये।

यह कहा जा सकता है कि संसद के दो सदस्य भी होंगे, एक लोक-सभा से और दूसरा राज्य सभा से। इसमें निर्वाचन के सिद्धान्त को बड़े संकोच तथा अनिच्छापूर्ण ढंग से स्वीकार किया गया है। मैं चाहता हूं कि निर्वाचन के सिद्धान्त को पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाए।

पृष्ठ ५ में बोर्ड के संघटन का उल्लेख किया गया है, परन्तु उसमें ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि उस बोर्ड में प्रविधिक ज्ञान वाले व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे। हम चाहते हैं कि उस बोर्ड में प्रविधिक ज्ञान वाले व्यक्ति भी हों।

विधेयक के खण्ड ७ में यह उपबन्धित है कि इस संस्था में प्रविष्ट के लिये लिंग, मूलवंश तथा जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। परन्तु आज कल देश में प्रादेशिक भावनाएं तथा प्रांतीय भावनाएं बड़ा ज़ोर पकड़ रही है इसलिये हम चाहते है कि इन संस्थाओं के सम्बन्ध में सावधानी की दृष्टि से यह स्पष्टतया लिख दिया जाये कि भारत के किसी भी छात्र के सम्बन्ध में ऐसा कोई विभेद नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की सुरक्षा के लिये उचित प्रबन्ध किया जाये।

फिर प्रस्तावक महोदय को यह बताना चाहिये था कि वहां पर गवेषणा के लिये किस प्रकार की व्यवस्था की गयी है। वहां पर किस प्रकार का गवेषणा कार्य होगा—यह भी स्पष्ट करना चाहिये था। अतः मैं चाहता हूं कि इन सभी बातोंके सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति निर्धारित की जाये अन्यथा बड़ी अव्यवस्था फैल जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि विद्या सम्बन्धी परिषद के सदस्य कौन-कौन रहेंगे। मैं चाहता हूं कि उस परिषद में निदेशक, उप-निदेशक तथा रजिस्ट्रार के अतिरिक्त अन्य विश्व-विद्यालयों के लोग भी होने चाहिये ताकि नई जानकारी प्राप्त होती रहे।

वित्त समिति के बारे में यह कहा गया है कि उसमें दो व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे, एक व्यक्ति बोर्ड द्वारा भेजा जायेगा और एक निदशक होगा उसमें कोई भी प्रोफेसर नहीं होगा। यह तो बड़ी अद्‌भूत सी बात है। यह बड़ी भारी त्रुटि है। मैं चाहता हूं कि उस त्रुटि का सुधार कर दिया जाये।

जहां तक खण्ड २२(२) के उपबन्ध का सम्बन्ध है, उसमें यह बताया गया है कि इस संस्था की राशि 'बैंकों' में रखी जायेगी अथवा 'विनियोजित' की जायेगी। यह 'विनियोजित' शब्द कुछ खटकता है। इस से तो यह प्रतीत होता है मानो यह संस्था एक वाणिज्यिक संस्था बन रही है। इसलिये यह 'विनियोजित' शब्द छोड़ दिया जाये।

यह बड़े हर्ष की बात है कि शिक्षकों के चुनाव के लिये एक चुनाव समिति की व्यवस्था की गयी है, परन्तु वह चुनाव समिति केवल एक घरेलु समिति होगी। अतः उससे न्याय की कोई आशा नहीं की जा सकती। अतः यदि आप शिक्षकों को न्याय तथा उपयुक्तता के आधार पर नियुक्त करना चाहते हैं तो उसके लिये समितियों में योग्य तथा विद्वान लोग रखे जायें।

यह भी एक बड़े हर्ष की बात है कि यह भारत में अपनी तरह का एक सर्व प्रथम विश्वविद्यालय होगा। परन्तु आप इसे केवल संस्था के नाम से क्यों सम्बोधित करते हैं? आप इसे भारतीय औद्योगिकीय विश्वविद्यालय क्यों नही कहते? अतः मेरा निवेदन है कि इसे उचित नाम से पुकारा जाये और उसे उचित प्रकार से प्रशासित किया जाये।

अन्त में मेरा यही निवेदन है कि इस संस्था को एक अलग थलग संस्था न बना दिया जाये। उसमें देश के बड़े बडे योग्य शिक्षा शास्त्रियों, इंजीनियरों तथा प्रविधिकों को आमंत्रित किया जाये और उनके अनुभवों से लाभ उठाया जाये।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : यह अत्यन्त हर्ष की बात है कि भारतीय टैक्नोलोजीकल संस्था (खड़गपुर) विधेयक, १९५६ की इस सभा में प्रस्तुत किया गया है। जहां तक संस्था के इस स्थान का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि खड़गपुर जिले को यह बड़ा भारी मान दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में यहां के लोगों ने बड़ा भारी योग दिया था, यही स्थान शहीद खुदीराम बसु तथा पंडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर का जन्म स्थान है। अतः यही स्थान सर्वोत्तम समझा गया है। सरकारी आयोग ने भी पूर्वी क्षेत्र में एक संस्था की स्थापना के लिये इसी स्थान को चुना था। बंगाल, आसाम, उड़ीसा, त्रिपुरा, मनीपुर, तथा बिहार सभी को दृष्टि में रखते हुए यही स्थान सर्वोत्तम है।

भारत जैसे विशाल संसाधनों तथा जनशक्ति वाले देश की विकास योजनाओं के निर्माण की दृष्टि से सब से बड़ी समस्या वैज्ञानिकों की कमी की है, देश में उनके लिये उचित सुविधायें विद्यमान नहीं हैं। योजना आयोग के सलाहकार तथा केन्द्रीय सांख्यकीय संस्था के निर्देशक प्रोफेसर महालानोबिस ने कुछ ही दिन पहले कलकत्ता में यह कहा था कि भारत में इस समय केवल ४०,००० प्रविधिक व्यक्ति हैं जब कि आवश्यकता बहुत अधिक लोगों की है। अतः देश के पुनर्निर्माण के लिये योजना बनाते समय इस तथ्य की ओर ध्यान देना अत्यावश्यक है।

इस सम्बन्ध में वैज्ञानिक जन-शक्ति समिति के सभापति डा० एस० एस० भटनागर ने अपने प्रतिवेदन में लिखा था कि देश में वैज्ञानिक जनशक्ति की स्थिति संतोषजनक नहीं है। और यदि इस सम्बन्ध में समय रहते कोई कार्यवाही न की गयी तो स्थिति काबू से बाहर हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नि० बि० चौधरी]

प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह स्पष्टतया कहा गया था कि देश में प्रादेशिक संस्थाओं को स्थापित किया जायेगा और गवेषणा कर्ताओं की संख्या बढ़ाई जायेगी। परन्तु वास्तव में इस दिशा में कुछ अधिक प्रगति नहीं हुई है। "द्वितीय पंचवर्षीय योजना" के पृष्ठ ५१४ की कंडिका ३४ में प्रथम पंचवर्षीय योजना के परिणामों का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि इस दिशा में ध्यान दिया गया है, परन्तु वर्तमान संस्थाओं में इतना अधिक स्थान नहीं है कि उनमें अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा सके। देश में इस सम्बन्ध में मांग बढ़ रही है परन्तु संस्थाओं की संख्या अपर्याप्त है।

अतः इन बातों को ध्यानमें रखते हुए हम हैरान हैं कि सरकार अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार की संस्थायें स्थापित करने की ओर ध्यान क्यों न दे सकी। यह तो बड़े हर्ष की बात है कि मिदनापुर जिले में इस प्रकार की एक संस्था स्थापित की गयी है। परन्तु जब तक इसी प्रकार की संस्थायें अन्य खंडों में भी स्थापित न की जायेंगी, हम देश की प्रविधिक व्यक्तियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा न कर सकेंगे। अतः इस दिशा में हमें शीघ्रातिशीघ्र प्रगति करनी चाहिये और अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार की संस्थायें स्थापित करें।

अभी ही मैंने यह सुना है कि पश्चिमी खण्ड में एक संस्था स्थापित की जा रही है, परन्तु मैं नहीं समझ सका कि उत्तरी तथा दक्षिणी खण्डों में भी इस प्रकार की संस्थायें क्यों नहीं स्थापित की जा रही हैं।

जहां तक इंजीनियरों और प्राविधिक व्यक्तियों की नौकरी का सम्बंध है, इंजीनिरिंग कर्मचारी-वृन्द समिति का यह कहना है कि अधिकांश मामलों में इंजिनियरों को कोई न कोई उचित काम मिल ही जाता है।

परन्तु देश में विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक संस्थाओं में कोई समन्वय नहीं है। इसलिये इस दिशा में समन्वय उत्पन्न करने के लिये सिफारिश की गयी है। उच्च वैज्ञानिक शिक्षा के लियें हमें अधिक छात्रवृत्तियां देनी चाहिये। वर्तमान संस्थाओं में अधिक छात्रों की शिक्षा के लिये कोई अच्छा सा प्रबन्ध किया जाये। स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा का पूरा पूरा प्रबन्ध किया जाये। वरन् हम देश की मांग को पूरा न कर सकेंगे।

योजना मे दिये गये प्राक्कलनों के अनुसार १९५८–५९ तक देश में डिग्री पाठ्य क्रम के लिये ४,६०० विद्यार्थी होंगे और डिप्लोमा पाठ्य क्रम के लिये ५,२२० होंगे। तो इसका तात्पर्य यह है कि १९५८ में भी हमारे पास प्राविधिक व्यक्तियों की कमी रहेगी। अतः हमें अपनी वैज्ञानिक जनशक्ति को बढ़ानें का अधिकाअधिक प्रयत्न करना चाहिये। अजीब बात तो यह है कि एक ओर तो हमारे पास प्रविधिक व्यक्तियों की कमी है और दूसरी ओर हम दामोदर घाटी निगम से प्रविधिक व्यक्तियों की छंटनी कर रहे हैं।

अतः यदि हम देश में अपनी जनशक्ति को संयोजित करना चाहते हैं तो प्रशिक्षण संस्थाओं में और कामदिलाऊ विभागों में समन्वय पैदा किया जाये, अन्यथा देश में इस सम्बन्ध में एक भयंकर अव्यवस्था उत्पन्न हो जायेगी।

इंजीनियरिंग संस्थाओं में शिक्षा देने वाले शिक्षकों के वेतनों के सम्बंध में इस विधेयक में अच्छी सिफारिशे की गयी है। वास्तव में हमें इस समस्या की ओर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये। आजकल इन शिक्षकों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इंजीनियरिंग कर्मचारी वृन्द समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि इंजीनियरिंग संस्थाओं में शिक्षकों को उतना वेतन नहीं दिया जाता जितना कि सरकारी विभागों में मिलता है। इसलिये योग्य इंजीनियर कालिजों में काम नहीं करना चाहते। इसलिये कालिजों और संस्थाओं में भी उन्हे वही वेतन दिया जाये जो कि सरकारी विभाग देते हैं।

वैज्ञानिक जनशक्ति समिति के सचिव श्री एस० आर० सेनगुप्त ने कहा था कि वे देश तथा विदेश से योग्यतम व्यक्तियों को लाकर इन इंजीनियरिंग संस्थाओं में शिक्षा देने के काम पर लगायेंगे। वैसा किया भी गया, परन्तु काफी देर के बाद वे भी संस्थाओं को छोड़ गये। अतः इन संस्थाओं में जब तक उन्हें अच्छे वेतन न दिये जायेंगे तब तक वे वहां ठहरेंगे नहीं।

जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, विधेयक के खंड ५ में यह कहा गया है कि यह संस्था जोंही राष्ट्रीय महत्व की घोषित होगी, इसके कर्मचारियों के सेवा की शर्तें बदल दी जायेंगी। इस सम्बन्ध में मैंने संशोधन प्रस्तुत किये हैं जिनके अनुसार यह गारन्टी दी जाये कि उस परिवर्तन का कर्मचारियों पर कोई विपरीत असर न पड़ेगा।

उसके अतिरिक्त कम वेतन वाले कर्मचारियों से यह शिकायत आयी है कि उन्हें प्रवीण कर्मचारियों के रूप में अभि स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अतः उनकी समस्या की ओर पूरा ध्यान दिया जाये।

जहां तक विद्यार्थियों का सम्बन्ध है, बहुत से निर्धन छात्र इन संस्थाओं में प्रविष्ट नहीं हो सकते। अतः छात्रवृत्तियां बढ़ायी जायें तथा ऐसे छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जायें। और फिर फीसों को भी कम किया जाये ताकि प्रत्येक इच्छुक और योग्य विद्यार्थी बिना किसी कठिनाई के प्रवेश प्राप्त कर सके।

अन्त में मैं पुनः निवेदन कर देना चाहत हूं कि पूर्वी खंड में जैसी यह संस्था स्थापित की जा रही है वैसी ही संस्थायें अन्य तीनों खंडों—उत्तरी, दक्षिणी तथा पश्चिमी खंडों में भी स्थापित की जाये, तभी हम देश की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सकेगें। यह तो बड़े हर्ष की बात है कि खड़गपुर में भी इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया जा रहा है। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं प्रादेशिक भावना के विरुद्ध आपको सचेत कर देना चाहता हूं। वैसे तो एक कार्यपालन आदेश है जिसके अनुसार किसी भी क्षेत्र का कोई भी विद्यार्थी यहां पर आकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है, परन्तु कई एक समितियों नें यह सिफारिश दी है कि अन्य क्षेत्रों के विद्यार्थियों को इसमें शिक्षा न दी जाये। इस सम्बन्ध में मेरा यही निवेदन है कि जब तक अन्य क्षेत्रों में ऐसी संस्थायें स्थापित नहीं होती, तब तक इसमें अन्य क्षेत्रों के विद्यार्थीयों को भी शिक्षा दी जाये।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार करते हुए इस विधेयक के, आपत्तिजनक उपबन्धों को बीच में से निकाल दिया जाये गा।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : इस विधान के महत्व और खड़गपुर प्रतिष्ठान को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। लेकिन खेद इस बात का है कि अभी तक दक्षिणी प्रादेशिक प्रतिष्ठान आरम्भ भी नहीं किया गया है। उसमें विलम्ब होने का सारा दोष राज्य के सिर मढ़ देने से भी कोई लाभ नहीं है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी प्रादेशिक संस्थाओं की स्थापना की बात थी। सभी जानते हैं कि प्रविधिक शिक्षा में ५ से १० वर्ष तक का समय लगता है और इतने समय के बाद ही प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति से राष्ट्र की सेवा की आशा की जा सकती है। इसलिये इसमें होने वाला विलम्ब क्षम्य नहीं है। यह कहना कि राज्यों ने इसमें पर्याप्त योग नहीं दिया, उचित नहीं है। यह केन्द्रीय सरकार का ही दायित्व है। राज्यों के सहयोग की अपेक्षा बाद में की जा सकती है। केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य को ठीक ढंग से नहीं किया है। दक्षिणी प्रतिष्ठान के बारे में तो स्थान भी चुन लिया गया है, लेकिन पता नहीं उसे कब आरम्भ किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार को कार्य की गति बढ़ानी चाहिये और इन्हें आरम्भ करने के बाद राज्यों से यथायोग्य वित्तीय सहयोग की अपेक्षा करनी चाहिये। यह केन्द्रीय सरकार का दायित्व है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री च० रा० नरसिंहन्]

द्वितिय पंचवर्षीय योजना में दक्षिणी प्रदेश के लिये बड़ी बड़ी योजनायें हैं। वे योजनायें खनन और धातुकार्मिकी से सम्बन्ध रखती हैं, पर केन्द्रीय सरकार ने अभी तक दक्षिण में इसकी शिक्षा के लिये विशेष संस्थायें स्थापित नहीं की हैं। दक्षिण में इसके लिये विशेष संस्थायें हैं ही नहीं। इसके लिये हमें शीघ्रता करनी चाहिये।

उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि दक्षिण में उच्च श्रेणी की चार प्रविधिक संस्थायें स्थापित की जायेगीं, जिनमें से यह पहली है। तो फिर उन चारों को भी राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें घोषित कर दिया जाना चाहिये, क्योंकि वे प्रायः सभी खड़गपुर प्रतिष्ठान की भांति ही होंगी। वे उपाधिया भी प्रदान करेंगी। इसलिये आवश्यक है कि उन्हें विश्व विद्यालय की प्रतिष्ठा दी जाये। इसमें और अधिक समय व्यर्थ नष्ट न होने देने के लिये यह आवश्यक है कि सरकार इसी विधेयक में एक उपबन्ध जोड़ दे कि इस प्रकार की सभी संस्थायें राष्ट्रीय महत्व की होगीं। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में इन चारों संस्थाओं के प्रदेश भी बतायें गये हैं।

†**श्री मुहीउद्दीन** (हैदराबाद नगर) : माननीय सदस्य का प्रस्ताव है कि उन तीनों संस्थाओं को भी इस विधेयक में जोड़ दिया जाये ?

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** : जी हां।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह नियमानुकूल है या नहीं, इस पर संशोधनों पर चर्चा के समय विचार किया जायेगा अभी उन्हें कहने दीजिये।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** : मैं यही कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के ही प्रारूप में इस प्रकार की अन्य संस्थाओं को सम्मिलित कर लिया जाये। इसीलिये मैंने कुछ संशोधन भी दिये हैं। वे नियमानुकूल हों या न भी हों, यह तो उचित समय पर ही निर्णित होगा। यह एक प्रविधिक मामला है, और यदि इसमें कोई कठिनाई पड़ती है तो प्रारुपक ही हमें बता सकते हैं। मैं माननीय मंत्री से केवल यही आश्वाशन चाहता हूं कि उचित अवस्था पर इन संस्थाओं को भी राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें घोषित कर दिया जायेगा।

शासी निकाय में लोक-सभा के एक प्रतिनिधि के स्थान पर दो प्रतिनिधि रहने चाहियें।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : श्री नरसिंहन् ने प्रविधिक शिक्षा की प्रगति में विलम्ब होने के कुछ कारण बता ही दिये हैं। अब इस विलम्ब का पूरा दायित्व भारत सरकार पर है। अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद को इसके लिये उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता। खड़गपुर का प्रतिष्ठान देश के चार बड़े प्रौद्योगिक प्रतिष्ठानों में से एक है। उसका पूरा-पूरा विकास होना ही चाहिये। मुझे इसके बारे में कोई भी शिकायत नहीं है कि खड़गपुर को ही क्यों चुना गया है क्योंकि भारत के ८० प्रतिशत इंजीनियरिंग उद्योग पूर्व में हैं और हम ८० प्रतिशत के ९० प्रतिशत पश्चिम बंगाल में ही स्थित हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में, प्रविधिक शिक्षा के लिये २३ करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया था, लेकिन उसमें से केवल १४ करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। इस-लिये वित्तीय कठिनाई का तर्क नहीं दिया जा सकता। इसके लिये शिक्षा मंत्रालय ही उत्तरदायि है। शिक्षा मंत्रालय यह तर्क दे सकता है कि प्रविधिक कर्मचारियों और सर्वोत्तम इंजीनियरों की कमी है। लेकिन हमारे देश में परियोजनाओं का कार्य और औद्योगिक उत्पादन तो इसके कारण रूका नहीं है, इसलिये यह तर्क भी संगत नहीं है। मुझे तो लगता है कि इसका कारण भारत सरकार की संचालन-शक्ति की कमी ही है।

पूर्वी प्रदेश में केवल दस डिग्री कालेज हैं, जब कि पश्चिमी प्रदेश में चौदह, दक्षिणी प्रदेश में इक्कीस और उत्तरी प्रदेश में ग्यारह हैं। फिर भी, हमने अधिक प्रगति नहीं की है। मेरी भावना है कि प्रौद्योगिक प्रतिष्ठानों के मामले में दक्षिण भारत की उपेक्षा की गयी है। वहां इक्कीस डिग्री

†मूल अंग्रेजी में

कालेज हैं, पर उच्च शिक्षा का एक भी प्रौद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं है, जिसमें गवेषणा आदि का कार्य किया जा सके। इन इक्कीस डिग्री कालेजों के स्नातकों को खड़गपुर में प्राविधिक शिक्षा के लिये जाना पड़ेगा। पर यह सम्भव नहीं है। दक्षिण में कोलार की स्वर्ण खानें हैं, सिंगरैनी की कोयले की खानें हैं, नाईवेली परियोजना है और सार्वजनिक क्षेत्र में एक एल्यूमीनियम का कारखाना बनाया जा रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इनका उत्पादन और महत्व और भी अधिक बढ़ जायेगा। लेकिन एक प्रौद्योगिक प्रतिष्ठान की स्थापना के बिना, आप उनको उच्च प्रौद्योगिक शिक्षा कैसे देंगे और इसके लिये प्राविधिक कर्मचारी कहां से आयेंगे ? माननीय मंत्री दक्षिण प्रदेश के बारे में सदा यही कह देते हैं कि इस विषय पर अभी अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद की एक उपसमिति विचार कर रही है। फिर कहा जाता है कि एक स्थान चुन लिया गया है। फिर इसके बाद यह कह दिया जाता है कि अभी अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद इस पर विचार कर रही है। और अन्त में सरकार कहती है कि दक्षिण प्रदेश वाली संस्था द्वितीय योजना अवधि के उत्तरार्ध में स्थापित की जायेगी। परन्तु इस सम्बन्ध में मंत्रालय ने अभी तक कोई कार्यवाई नहीं की है। इतनी सुस्ती क्यों ?

मेरे मित्र श्री दामोदरन कोयम्बटूर इंजीनिरिंग कालिज और ग्विन्डी इंजीनियरिंग कालिज दोनों की चुनाव समितियां के सभापति थे। उनका अनुभव है कि इन दोनों कालिजों में जितने स्थानों की व्यवस्था है उससे साढ़े सात गुना अधिक अभ्यार्थियों ने आवेदन पत्र भेजें थे। हमसे उस्मानिया इंजीनिरींग कालिज में खनन तथा धातु विज्ञान सम्बन्धी शिक्षा देने की व्यवस्था करन को कहा गया था, पर हम यह नहीं कर सके हैं। इसलिये मेरी माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि वह यह देखें कि यह विद्यालय यथा शीघ्र खोल दिये जायें।

सन् १९५३ तक हमें अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व मिलता था अब पता नहीं क्यों उसे समाप्त कर दिया गया है। यहां तक कि उक्त परिषद में साम्यवादी दल तक को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। अतः हम अपनी शिकायतें केवल इस संसद में ही अभिव्यक्त कर सकते हैं। मुझे आशा है की माननीय मंत्री मेरे सुझावों पर विचार करेगें। मेरा अन्तिम निवेदन यह है कि जब तक की उक्त तीन विद्यालयों की स्थापना न की जायें तब तक खड़गपुर विद्यालय के ५० प्रतिशत स्थान अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के लिये सुरक्षित रखे जायें।

श्री खू० चं० सोधिया (सागर): मैंने इस बिल को ध्यान से पढ़ा है और अभी हाल में यहां पर जो मेरे मित्रों ने भाषण दिये हैं उनको भी ध्यान से सुना है। मुझे उन मेम्बरों से सहानुभूति है जिन्होंने दक्षिण, पश्चिम या उत्तरी इस किस्म के टैकनालाजीकल इंस्टिट्यूट्स (प्रौद्योगिक संस्था) की जरूरत की बात कही है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके इस प्रकार की इंस्टिट्यूट्स (संस्था) खोले जायें।

मैंने अपने मित्र श्री शर्मा'जी का भी भाषण सुना और उन्होंने यह बात जाननी चाही कि यह यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) होगी या इंस्टीट्यूट्। अगर यह युनिवर्सिटी है तो इसमें इलेक्टिव प्रिंसिपल (निर्वाचित आचार्य) होना चाहिये और जो अलग अलग काम करने वाली बाडीज़ हैं उनके लिये लोगों को चुना जाना चाहिये। मेरी समझ में यह युनिवर्सिटी तो नहीं है, यह तो एक बड़ा नेशनल इंपार्टन्स (राष्ट्रीय महत्व) का इंस्टीट्यूट है। लेकिन मैं अपने मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि जो आगे चल कर इस किसम के तीन चार या दस बारह और इंस्टीट्यूट् खोले जायेंगे वे भी नेशनल इंपार्टन्स के होंगे या नहीं। यह "नेशनल इंपार्टन्स" के शब्द आजकल चीप सा हो गया है। अभी हमारी स्वास्थ्य मंत्राणी जी ने एक मैडीकल साईन्स का इंस्टीट्यूट् पेश किया था। उसको भी नेशनल इंपार्टन्स का कहा गया था। इसको भी नेशनल इंपार्टन्स का कहा गया है। इस लिये मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि आगे जो और इस किस्म के इंस्टीट्यूट् खोले जायेंगे उनको भी नेशनल इंपार्टन्स का कहा जायेगा या नहीं।

[श्री खू० चं० सोधिया]

इसमें सन्देह नहीं जैसा कि अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि जब तक इस किस्म के इंस्टीट्यूट्स में काफी स्कालरशिप्स नहीं दिये जावेंगे तब तक मध्यम वित्त के लोग अपने लड़कों को इन में नहीं भेज सकेंगे । मैं चाहता हूं कि इस किस्म के इंस्टिट्यूट्स (संस्था) में जो मौजूदा फीस है वह कम की जानी चाहिये ताकि इन इंस्टीट्यूट्स से देश के सारे लोग फायदा उठा सकें । मुझे इन इंस्टिट्यूट्स पर गर्व है क्यों कि हमने अपने सामने जो इस देश की भौतिक उन्नति का ध्येय रखा है वह इन इंस्टिट्यूट्स की उन्नती पर निर्भर करता है ।

मुझे इस बिल के संबंध में दो चार बातें मंत्री जी से पूछनी हैं । अगर उनके उत्तर से मेरा समाधान हो गया तो मैं अपने संशोधन वापस ले सकूंगा । मुझे इसके संबंध में जो बातें पूछनी हैं वे सिलसिलेवार इस प्रकार हैं:

१. इस बिल की चौथी धारा में "आफिसर्स" (पदाधिकारियों) का जिक्र आया है । इस इंस्टीट्यूट के इनकारपोरेशन (समावेश) के बारें में कहते हुए कहा गया है :

"प्रथम सभापति, प्रथम निदेशक, और बोर्ड के पहले सदस्य जिन्हें केन्द्रीय सरकार के सरकारी गज़ेट में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया हों और वे सब लोग जो उस बोर्ड के अधिकारी या सदस्य बनें इसमें जो यह "आफिसर्स" का शब्द रखा गया है उसकी कहीं परीभाषा नहीं की गयी है कि फलां आदमी इसके आफिसर्स होंगे । ऐसी हालतमें मैं यह बताना लाजिमी है कि कौन कौन से आफिसर्स होंगे । यह इसमें नहीं बताया गया है । मंत्री जी यह बताने की कृपा करें की वह कौन कौन से आफ़िसर्स हैं जो इसमें शामिल होंगे और जिनके नाम के साथ यह बोर्ड इनकारपोरेट होगा ।

२. दूसरी बात जो में पूछना चाहता हूं वह यह है कि धारा ६ में लिखा हुआ है: संस्था को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे :—

इन पावर्स में लिखा है: विद्या की प्रगति और ज्ञान का प्रसार । एडवांसमेंट आफ लर्निंग का मतलब मैं यह समझता हूं कि इस इंस्टिट्यूट में रिसर्च के लिए काफी गुंजाइश होगी क्यों कि बिना रिसर्च के एडवांसमेंट आफ लर्निंग नहीं हो सकता । और "डिस्सेमिनेशन आफ नालिज" (ज्ञान का प्रचार) का मैं यह अर्थ समझता हूं कि यह इंस्टीट्यूट लोगों को नई बातें बतलायेगा और नई किताबें लिखेगा । आग चल कर स्टेटयूट्स के संबंध में दिया हुआ है कि किन किन बातों के लिये स्टेट्यूट्स बनाये जावेंगे, लेकिन रिसर्च के लिये या डिस्सेमिशन आफ लर्निंग के लिये कोई स्टेट्यूटस बनाने की बात इसमें नहीं दी गई है । इसमें इस तरह के स्टेट्यूट की बात रखना जरूरी है जिसमें कहा जाये कि रिसर्च के वास्ते और डिस्सेमिनेशन आफ नालिज के लिये एक स्टेट्यूट बनाया जायेगा और उसको अमल में लाया जायेगा ।

३. इसकी धारा ७ में यह दिया गया है कि इस संस्था में बिना सैक्स या धर्म के लिहाज के शिक्षार्थियों को भर्ति किया जायेगा । इसमें आगे यह भी बताया गया है कि अब आगे अगर इस इंस्टीट्यूट को पबलिक से, या किसी धरमांदे से मदद मिलेगी और अगर उसके साथ इस किस्म की कोई शर्त लगी होगी जो कि धारा ७ (१) के प्रावीजन्स (उपबन्ध) के खिलाफ जाती हो तो उस दान को नहीं लिया जायेगा । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि अभी तक जो इस संस्था को दान मिले हैं क्या उनमें से किसी में इस तरह की शर्त लगी हुई है जो कि धारा ७ (१) के प्रावीजन्स के खिलाफ जाती हो । यदि इस प्रकार का कोई पैसा मिला है जिसमें इस प्रकार की शर्त हो, तो वह कितना है और वह कौन कौन स्थानों में लगा हुआ है यह मैं जानना चाहता हूं ।

४. फिर इसकी धारा ९ में लिखा है कि इस देश का प्रेसीडेंट (राष्ट्रपति) इस इंस्टीट्यूट का विजिटर होगा । इस धारा की उपधारा २ में दिया हुआ है:

"विजिटर संस्था के कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन और जांच करने के लिये एक या दो व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है जो विजिटर के निर्देश अनुसार प्रतिवेदन देंगे ।"

इसके संबंध में मेरा यह निवेदन है कि जब यह पावर दी गई है कि इस इंस्टीट्यूट की उन्नति के संबंध में विजिटर साहब कई अदमियों का मुकर्रर करके उनसे रिपोर्ट लेंगे, तो मेरा यह कहना है कि इस तरह की रिपोर्टें देने के वास्ते कोई समय की अवधी भी निश्चित की जाये कि साल में या दो साल में या तीन साल में इस किस्म के आदमी भेजे जावेंगे और उन से रिपोर्ट ली जावेगी। अगर ऐसा किया गया तो हमको और इस देश के लोगों को मालूम होता रहेगा कि यह इंस्टीट्यूट कैसी उन्नति कर रहा है। इस लिये इस धारा ९ में इस बात का होना लाजिमी है कि एक अवधि के बाद इस इंस्टीट्यूट की उन्नति को जांचने के लिये विजिटर साहब आदमियों को भेजेंगे और वह जो रिपोर्ट देंगे और उसके ऊपर जो विजिटर साहब कार्यवाही करेंगे वह रिपोर्ट और वह कार्यवाही की रिपोर्ट इस पार्लियामेंट के सामने पेश की जावेगी ताकि यह पार्लियामेंट जान सके कि यह नेशनल इंपार्टन्स का इंस्टीट्यूट कैसी उन्नति कर रहा है और इस देश की प्रगति में उससे कितनी मदद मिल रही है ।

५. अगली बात जो मुझे दरियाफ्त करनी है वह यह है कि पार्लियामेंट (संसद) का रिप्रेजेंटेशन इसमें दो मेंम्बरों का दिया हुआ है और आल इंडिया काउंसिल आफ टेकनिकल एज्यूकेशन के एक मेंम्बर को लेने की बात कही गयी है। चूंकि यह टैकनिकल इंस्टीट्यूट है और ईसमें टैकनीकल विषयों के जानकार होना आवश्यक है, इस लिये यह जरूरी है कि इस में आल इंडिया काउंसिल आफ टेकनीकल एज्यूकेशन के एक से अधिक नुमायन्दे रखे जाने चाहिये, और जैसा कि अभी तक और संस्थाओं के लिये पार्लियामेंट के मेंम्बरों का एक खास अनुपात में चयन होता रहा है उसी तरह इस संस्था के लिये भी इस हाऊस के दो मेम्बर और राज्य सभा का एक मेम्बर, इस प्रकार पार्लियामेंट के कुल तीन मेम्बर, और आल इंडिया कौंसिल आफ टैनीकल एजूकेशन के दो मेंम्बर लिए जाने का प्राविजन होना चाहिये। अगर इस तरह से दो मेम्बर और बढ़ा दिये जायें तो जिस मतलब से मंत्री जी ने रिप्रेजेंटेशन रखा है वह मतलब पूरा हो जायेगा ।

आगे चलकर के प्रोफेसरों की नियुक्ति के संबंध में जो क्लाज है उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर १५०० रुपये या उससे ज्यादा की नियुक्ति करनी होगी तो बोर्ड को विजिटर की प्रायर कौनकरेंस (पूर्व सहमति) लेनी पड़ेगी। १५०० या १५०० से ऊपर की नियुक्ति करने के लिए विज़िटर की मंजूरी लेने की बात उसमें लिखी हुई है लेकिन मैं सोचता हूं कि इस तरह उसी संस्था के जो कर्मचारी हैं या जो उस बोर्ड को मुकर्रर करने वाले हैं, अपने आदमियों की तनख्वाहें ऊंची करके अपने आदमियों को बिना किसी बंधन के नियुक्त करवा लेंगे और यह वाजिब नहीं होगा। इस लिये मैं चाहता हूं कि १५०० रुपये के बजाये १००० रुपये से ऊपर की जितनी नियुक्तियां वे करें उनके लिये विजिटर की मंजूरी लेना आवश्यक हो, ऐसी इसमें कैद होनी चाहिए ।

स्टैटयूट्स के संबंध में जैसा मैंने कहा है रिसर्च करने के वास्ते और वहां से नई नई पुस्तकें प्रकाशित करने के वास्ते स्टेट्यूट्स (संविधि) में गुंजाइश होनी चाहिये और यह बात बहुत जरूरी है और इसके लिये मंत्री जी नें और कौन सा रास्ता सोचा है, वह भी मैं सुनना चाहूंगा ।

यह चन्द एक बातें थीं जिनका कि होना मैंने जरूरी समझा है और उनके संबंध में मैंने अपने संशोधन पेश किये हैं। मैं समझता हूं कि जब मंत्री जी अपना भाषण करेंगे तो मेरे संदेहों को दूर करने के वास्ते कुछ ना कुछ आवश्य कहेंगे ।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** (दरांग): मेरा ख्याल है कि जहां तक योजना का संबंध है, शिक्षा मंत्रालय अन्य सभीं मंत्रालयों से पीछे है। इसलियें यह बात निश्चित है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति के दौरान में हमारे पास पर्याप्त संख्या में प्रविधिज्ञ नहीं होंगे ।

हलाही में मैं खड़गपुर की इंस्टीट्यूट में भाषण देने के लिये गया था और वहां कुछ विभागों के अध्यक्षों से बात चीत के दौरान मुझे बताया गया कि भिलाई इस्पात कारखानें के प्रविधिज्ञ एक बार वहां आये थे और उन्होंनें इंस्टीट्यूट के सभी विद्यार्थियों को जो कि स्नातक भी नहीं थे, आमंत्रित किया था। इसी से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें प्रविधिज्ञ की कितनी आवश्यकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री का० प्र० त्रिपाठी]

इंस्टीट्यूट के आचार्य भी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के बारे में विचार कर रहे हैं किन्तु वे कोई कदम नहीं उठा सकते। इसी दृष्टिकोण से मुझे इस बात पर खेद हुआ है कि शिक्षा मंत्रालय प्रश्न की गंभीरता को अनुभव नहीं करता।

यह बताया गया है कि देश में इस समय उच्च प्रौद्योगिकीय संस्थाओं की स्थापना करना आवश्यक है और मैं इससे सहमत हूं। किन्तु बात यह है कि इन्जीनियरिंग के जो नये उद्योग स्थापित हो रहे उन्हीं की आवश्यकताओं को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आंकड़ों के आधार पर यह बताया गया है कि अमरीका में ६ लाख इन्जीनियर हैं जब कि हमारे यहां केवल चालिस हजार हैं, अमेरीका में यह स्थिति है कि जैसे ही कोई छात्र इन्जीनियरिंग की किसी संस्था में भर्ति होता है, उसे किसी न किसी फर्म में नियुक्त कर दिया जाता है। जब अमेरीका की यह स्थिति है तो हमारे यहां इससे खराब स्थिति होगी किन्तु हम आवश्यक कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने यह विधेयक खड़गपुर की संस्था के प्रशासन के लिये प्रस्तुत किया है जब कि नई संस्थाओं की स्थापना के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

मेरा नम्र निवेदन है कि जिन देशों में नियमित अर्थ व्यवस्था है वहां शिक्षा की प्रगति हुई है किन्तु हम इसके अपवाद स्वरूप हैं। इसका अर्थ यह है कि योजना मंत्रालय द्वारा जो कि सब से अधिक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, स्थिति की गंभीरता पर विचार नहीं किया जा रहा है और यदि यही स्थिति रही तो मुझे आशंका है कि योजना की क्रियान्विती के दौरान में कोई गंभीर संकट उत्पन्न होगा।

हमें कारीगर अवस्था, अर्ध इंजीनियरिंग अवस्था और इंजीनियरिंग अवस्था में प्रविधिज्ञों की आवश्यकता होती है। इंजीनियरिंग कर्मचारी समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि गैर-सरकारी उद्योगों को कारीगरी के लिये शिक्षित व्यक्तियों को लेने में दिलचस्पी नहीं है। किन्तु स्पष्ट है कि यह दृष्टीकोण गलत है। मेरा ख्याल है कि मैट्रिक पास तथा उससे कम शिक्षा प्राप्त छात्रों को कारीगरों के रूप में नियुक्त किया जाये। हमारे यहां ऐसा नहीं होता है और इससे एक प्रकार की बेरोजगारी बढ़ती है।

आपको यह जान कर आश्चर्य होगा की हमारे राज्य में ओवरसीयरा तक नहीं है और हम उन्हें मद्रास से लेने का प्रयास कर रहे हैं क्यों कि हम ओवरसियर पैदा नहीं कर सकते। हमारे देश में नियोजित शिक्षा का अभाव है और इसलिये मेरा यह निवेदन है कि व्यक्तियों को उन की शिक्षा के अनुसार नियुक्त किया जाये।

प्रविधिक कर्मचारी समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि प्रत्येक छात्र को इंजीनियरिंग की सभी शाखाओं का ज्ञान होना चाहिये ताकि वह एक अच्छा इंजीनियर बन सके। जब आप जानते हैं की एक विशिष्ट प्रयोजन के लिये आपको इंजीनियरों की आवश्यकता है और देश में इंजीनियरों का अभाव है तो उन्हें इंजीनियरिंग की सभी शाखाओं में प्रशिक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो इंजीनियरों का अभाव कभी पूरा नहीं होगा। इस स्थिती को देखते हुए मैं माननीय उप मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि इंजीनियरिंग शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

निचली श्रेणीयों के बारें मे मेरा यह निवेदन है कि विश्व के सर्वाधिक विकसित देशों में भी केवल शिक्षा संस्थाओं के जरिये आवश्यक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना संभव नहीं है। उन्हें शिशिक्षु योजनाओं का आश्रय लेना पड़ा है। हमारे यहां इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है हमारे यहां औद्योगिक संस्थायें हैं जिन्हें समाज से इतने लाभ प्राप्त होते रहते हैं। इन संस्थाओं को चाहिये कि वह शिशिक्षुओं को प्रशिक्षण दें अथवा कानून के जरिये उन्हें इसके लिये बाध्य किया जाये। कुछ समय पूर्व मंत्रालय में इस प्रकार की बातचीत चल रही थी किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह तो पहली पंचवर्षीय योजना में ही किया जाना चाहिये था। इसलिये मेरा निवेदन है कि शिशिक्षु अवस्था से इंजीनियरिंग अवस्था के लिये प्रविधिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये शिक्षा मंत्रालय को कोई योजना अविलम्ब बनानी चाहिये।

मैं यहां यह बतादूं कि संसार के विकसित देशों में सरकार के अतिरिक्त उद्योग भी अपना गवेषण कार्य करते हैं किन्तु हमारे यहां जो उद्योग हैं वे ऐसा नहीं करते। हमारे यहां गवेषण संस्थायें स्थापित करने की आवश्यकता है और देश के चारों कोनों में एक एक गवेषणा संस्था का होना अत्यन्त आवश्यक और वांछनीय है।

इस लिये मुझे यह सुन कर खेद हुआ है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में २३ करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की गई है, उसमें से केवल १४ करोड़ रुपयों का उपयोग किया गया है। यह बड़ी भारी गलती है किन्तु मैं अब भी आशा करता हूं कि मंत्रालय सचेत होगा और देश की शिक्षा प्रणाली के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगा ताकि हम अपने छात्रों को उचित स्तरों की नौकरियां दे सकें। आखिरकार शिक्षा की विशेष प्रणाली और सामान्य प्रणाली के बीच सन्तुलन होनां आवश्यक है और इसके न होने से देश में एक ही प्रकार के अत्याधिक स्नातक हैं और इन लोगों के लिये कोई गुंजाइश नहीं है।

इस लिये औद्योगिक, आर्थिक और सेवानियोजन के दृष्टिकोण से प्रत्येक बात शिक्षा मंत्रालय पर निर्भर करती है और मैं आशा करता हूं कि वह आवश्यक कार्यवाही करेगी।

†**श्री म० कु० मैत्र** (कलकत्ता–उत्तर–पश्चिम): माननीय सदस्य श्री का० प्र० त्रिपाठी ने सरकार की धीमीं रफतार की तीव्र आलोचना की है। देश में इस समय बहुत सी परस्पर विरोधी बाते हो रही हैं। एक ओर तो हम यह देखते हैं कि इंजीनियरिंग और प्रविधिक कर्मचारियों का अभाव और दूसरी ओर हम यह देखते हैं कि दामोदर घाटी निगम से ऐसे कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। ऐसे वातावरण में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। फिर भी हम उसका स्वागत करते हैं।

श्रीमान इस विधेयक में कहा गया है कि खड़गपुर इंस्टीट्यूट की स्थापना का उद्देश्य प्रौद्योगिकीय विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में गवेषणा कार्य को प्रोत्साहन देना है। किन्तु इस प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिये आपको ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिये जिसमें यह संस्था अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सके। इग्लैंड में शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता, फिर भी उनका विकास हो रहा है।

यदि आप इस विधेयक को पढ़ें तो आप यह देखेंगे कि इस इंस्टीट्यूट को एक सरकारी विभाग बनाने का प्रयत्न किया गया है।

†**श्री म० मो० दास**: वह एक सरकारी विभाग पहले से है।

†**श्री म० कु० मैत्र**: माननीय मंत्री कहते हैं कि वह एक सरकारी विभाग पहले से है किन्तु विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में यह कहा गया है कि इस संस्था का अपना व्यक्तित्व होना चाहिये तथा इस व्यक्तित्व का विकास होना चाहिये। इसके लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

इस विधेयक में अधिशासकों के बोर्ड को उच्चतम अधिशासी निकाय बनाया गया है। दूसरे शब्दों में वह विश्वविद्यालयों की सीनेट का स्थान लेगा और संस्था का कार्य चलायेगा।

विधेयक के खंड ११ में अफसरों की सूची दी गई है। यह सूची मनोनीत किये जाने वाले अधिकारियों की है और उसमें शिक्षा, वित्त मंत्रालयों का एक-एक तथा अन्य शेष मंत्रालयों का एक प्रतिनिधि होगा। बोर्ड में अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि रखने की आवश्यकता है?

इस बोर्ड में शिक्षकों का एक भी प्रतिनिधि नहीं है जब कि इस देश में और अन्य देशों में भी यह सिद्धान्त सदा रहा है कि शिक्षा का भार शिक्षकों पर छोड़ दिया जाना चाहिये। उसी प्रकार यह संस्था कई वर्ष पहले प्रारम्भ की गई थी और कई छात्र इस संस्था से शिक्षा प्राप्त कर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री म० कु० मैत्र]

चुके हैं किन्तु भूतपूर्व विद्यार्थियों का एक रजिस्टर बनाने का अथवा उनका एक प्रतिनिधि इस बोर्ड में रखने का कोई उपबन्ध नहीं किया गया। भारत ने इन्जीनियरिंग के क्षेत्र में सर राजेन मुकर्जी और सर विश्वेवरैया जैसे प्रतिभा शाली व्यक्ति पैदा किये हैं किन्तु ऐसे महारथियों से कोई सहायता नहीं ली गई है। इस देश में इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियर्स और ऐसी ही अन्य संस्थाएं हैं। संस्था के मार्गदर्शन के लिये आप उनके एक प्रतिनिधि को बोर्ड में रख सकते थे किन्तु ऐसा नहीं किया गया है ।

शिक्षकों की सदा उपेक्षा की गई है। खड़गपुर इन्स्सीट्यूट में शिक्षकों और आचार्यों को कुछ शर्तों के अधीन नियुक्त किया गया है और विधेयक के खंड ५ (१) में यह कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने पर उक्त शर्त्तों को कायम रखा जायेगा। किन्तु इसी खंड में उप-खंड (२) में कहा गया है कि आचार्यों आदि की सेवा सम्बन्धी शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड को है और यदि आचार्य और शिक्षक संशोधित शर्तों को स्वीकार नहीं करते तो उनकी सेवाँएं समाप्त कर दी जायेंगी अथवा उन्हें मुआवजा दिये बिना नौकरी छोड़ने के लिये कहा जायेगा। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस बात की जांच करें तथा शिक्षकों के साथ इस प्रकार अन्याय न होने दें।

इस संस्था के निदेशक को प्रधान कार्यपालिका और विद्यासम्बन्धी अधिकारी बनाया गया है। मुझे यह आशा थी कि यह विधेयक निदेशक को प्रधान अधिकारी नहीं वरन संस्था का विद्या सम्बन्धी और कार्यपालिका प्रधान बनायगा किन्तु निदेशक के ऊपर एक अध्यक्ष रखा गया है। जब कि निदेशक और अध्यक्ष के कार्य प्रायः एक से हैं तो निदेशक के सिर पर एक अध्यक्ष रखने की क्या आवश्यकता है ? संभव है कि इससे दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न होंगे।

यह कहा गया है कि बोर्ड द्वारा सिफारिश किये गये तीन नामों की तलिका में से परिदर्शक द्वारा निदेशक नियुक्त किया जाना चाहिये। मेरा खयाल है कि प्रजातंत्र को रद्द करने का इससे बड़ा उदाहरण अन्यत्र नहीं मिल सकता। यहां जब कि बोर्ड में सरकारी व्यक्ति हैं तो उस व्यक्ति का नाम आप ही आप आयेगा जिसे सरकार नियुक्त करना चाहती है। यदि आप यह चाहते हैं कि निदेशक की नियुक्ति पक्षपातरहित हो और वास्तव में किसी योग्य व्यक्ति को निदेशक नियुक्त किया जाये तो आपको यह नियम बनाना चाहिये कि संघ लोक सेवा आयोग को तीन नामों की एक तालिका की सिफारिश करनी चाहिये जिसमें से परिदर्शक द्वारा एक व्यक्ति को निदेशक नियुक्त किया जा सके।

खंड २६ में यह कहा गया है कि १५०० रुपये और इससे अधिक वेतन पाने वाले आचार्यो की नियुक्ति को परिदर्शक की सहमति प्राप्त होनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि इसे भी लार्ड कर्जन के प्रतिक्रियावादी विश्वविद्यालय अधिनियम से शब्दशः नकल किया गया है।

बोर्ड को परिनियम बनाने का दायित्व सौंपा गया है और इन परिनियमों के अनुसार उपाधि देने और पाठ्यक्रम निश्चित करने आदि का काम होगा। मेरा निवेदन है कि यह बोर्ड एक प्रजातांत्रिक निकाय होना चाहिये जिसके प्रति हमें आदर हो और जो इन्जीनियरिंग व्यवसाय, भूतपूर्व छात्रों और लोगों के बीच सामंजस्य कर सके। इस बोर्ड को संस्था के सभी कार्यों का भार सौंपा गया है इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि इस बोर्ड का गठन प्रजातांत्रिक तरीके से होना चाहिये।

इतना कहकर मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि नियम इस प्रकार बनाये जायें जिनसे इस संस्था को एक स्व-शासी निकाय के नाते अपने व्यक्तित्व को विकसित करने में सहयता मिले।

†**श्री अय्युणि** (त्रिचूर) : इस विधेयक का स्वागत करने के साथ-साथ मैं बोर्ड के गठन और कुछ अन्य बातों के बारे में कुछ कहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह सच है कि जिस प्रकार की संस्था के बारे में सोचा जा रहा है वह नितान्त आवश्यक है। इस बात को देखते हुए कि देश में केवल एक संस्था है और उसका संविधान ऐसा है जो उसे एक सरकारी विभाग का रूप देता है तो यह आवश्यक है कि इस संस्था का प्रशासन करनेवाला बोर्ड चुनाव कर के बनाया जाये। मेरा सुझाव यह है कि देश के विभिन्न प्रदेशों के इन्जीनियरिंग कॉलेजों और प्रविधिक संस्थाओं द्वारा निर्वाचित कुछ सदस्य इस बोर्ड में होने चाहिये ताकि जनता को इस संस्था से प्रोत्साहन मिले।

छात्रों के प्रवेश के बारे में मेरा निवेदन है कि यदि देश के विभिन्न भागों के छात्रों की भरती न किया गया तो उससे काफी मानसिक कष्ट होगा और भ्रम भी उत्पन्न होगा। यही बात आचार्यों की नियुक्ति के बारे में भी है। इस बात में किसी गुटबंदी को प्रोत्साहन न दिया जाये। इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था समझा जाना आवश्यक है। हमारे राष्ट्रपति उसके परिदर्शक हैं इससे उस संस्था का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक छात्र वहां शिक्षा प्राप्त करें। भारत में प्रविधिक व्यक्तियों का जो अभाव है वह दूर किया जाना चाहिये।

इस संस्था का आवर्तक व्यय ४७ लाख रुपये होगा। उसमें अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थियों के साथ साथ पोस्ट-ग्रेजुएट विद्यार्थियों की संख्या भी काफी होनी चाहिये।

जहां तक बोर्ड के गठन का प्रश्न है, वह निर्वाचन के आधार पर बनाया जाना चाहिये और उसमें सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि होने चाहिये ताकि सब स्थानों के विद्यार्थियों को उस संस्था में प्रवेश करने की सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

भारत में विद्यार्थियों की जितनी संख्या है उसका पांचवां या छठा भाग त्रावनकोर-कोचीन में है अर्थात् वहां १८ लाख विद्यार्थी हैं। केवल विद्यालय में डिग्री लेने से कोई लाभ नहीं होता। छात्रों को अधिक से अधिक संख्या में प्रविधिक शिक्षण दिया जाना चाहिये। अतः मैं माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे प्राविधिक और प्रौद्योगिक शिक्षा की ओर अधिक से अधिक ध्यान दें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब श्री बर्मन अपना भाषण प्रारम्भ करेंगे।

†**श्री बर्मन** (उत्तर बंगाल रक्षित अनुसूचित जातियां) : सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि संविधान में जो बात पहले ही दी गई हैं उसे इस विधेयक के खण्ड ७ (१) में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं चाहता हूं कि सरकार को इस संस्था में पिछड़े वर्ग के छात्रों और लड़कियों को भी भर्ती करना चाहिये और इसके लिये चाहे विधेयक में उपबन्ध न किया जाये, फिर भी सरकार को एक निश्चित नीति बना लेनी चाहिये। गृह कार्य मंत्रालय नें भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रक्षित स्थानों की पूर्ति करना स्वीकार किया है।

माननीय उपमंत्री ने कहा है कि प्रांतीयता के आधार पर भर्ती नहीं की जायेगी। संस्था में प्रवेश योग्यता के आधार पर होगा, किन्तु उन्हें यह न भूलना चाहिये कि यदि केवल इसी सिद्धान्त को अपनाया गया तो पिछड़े वर्ग के छात्रों को कोई नहीं पूछेगा। अतः मैं आशा करता हूं कि सरकार उन्हें विशेष रियायतें देगी।

†**श्री बनर्जी** : भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था के बारे में काफी कहा जा चुका है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वह संस्था मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बनर्जी]

इस बात को हम सब लोग जानते हैं कि भारत में इंजीनियरों और प्रविधिज्ञों की कमी है और इस विषय के ओर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

विद्यार्थियों को एक निश्चित स्तर की योग्यता, प्राप्त करने के बाद सीधे तौर पर संस्था में भर्ती कर लिया जाना चाहिये । उन के लिये कोई अन्य परीक्षा नहीं होनी चाहिये । विद्यार्थियों के सामने आवास और खर्च की भी समस्या होती है और इन के कारण भी अनेक विद्यार्थी संस्था में प्रवेश नहीं कर सकते । इस सब समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये । अध्यापक भी अधिक योग्य होनें चाहियें चाहे वे भारतीय हों अथवा विदेशी । इसी प्रकार बोर्ड में भी अध्यापकों का एक प्रतिनिधि होना चाहिये । मैं आशा करता हूं इन बातों पर विचार किया जायेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब पंडित ठाकुर दास भार्गव अपना भाषण प्रारंभ करेंगे ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : मैं एक ऐसे क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां उद्योगों की बहुत कमी है । पंजाब में यद्यपि दूध दही बहुत होता है किन्तु वहां अब तक उद्योगों का समुचित विकास नहीं हो पाया है । प्राचीन काल में तो फिर भी कुछ उद्योग धन्धे चलते थे । जब इंग्रेज आये तो वे दिल्ली के लौह-स्तम्भ को देख कर दंग रह गये । किन्तु आज कल प्रविधिज्ञों की बहुत कमी है । अमेरिका में ६ लाख इंजीनियर मौजूद हैं जब कि हमारे यहां उन की बहुत कमी है ।

आज कल प्राय सभी विद्यार्थी दसवीं कक्षा के बाद विद्यालयों में भर्ती होते हैं क्यों कि प्रविधिक केन्द्र बहुत कम हैं । यदि उन्हें अधिक संख्या में खोला जाये तो बेकारी समस्या भी बहुत हद तक हल हो सकती है ।

मुझे तो इस विधेयक से बहुत प्रसन्नता हुई है । मैं तो समझता हूं कि जो आलोचना की गई है वह रचनात्मक नहीं है । सदस्य कहते थे कि ऐसी संस्थाओं देश के सब प्रदेशों में नहीं हैं । किन्तु, अब जो हैं, उन का प्रबन्ध तो पहले अच्छा होना चाहिये । हम तो स्वयं चाहते हैं कि देश में ऐसी संस्थायें अधिक से अधिक संख्या में हों । अभी तो इस एक संस्था में ही काफी व्यय होगा । जैसी संस्था खड़गपुर में मौजूद है वैसी देश में अनेक स्थानों पर खोलने में कई वर्ष लगेंगे और उस के लिये काफी धन की आवश्यकता पड़ेंगी ।

विधेयक में खंड ७ सब से अधिक प्रसंशनीय है क्योंकि उस के अधीन स्त्री-पुरुष दोनों जात पति के भेद के बिना भर्ती हो सकेंगे । वास्तव में भारत की सभी शिक्षा संस्थाओं में यह सिद्धांत अपनाया जाता है । कुछ स्थान अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित रखने के बारे में भी सभा में कहा गया है । यह प्रस्ताव भी विचारणीय है । फिर भी योग्यता को सदैव प्रधानता दी जानी चाहिये । मैं यह उपबन्ध नहीं चाहता कि प्रत्येक क्षेत्र से निश्चित संख्या में विद्यार्थी भर्ती की जायें । जिस आधार पर खड़गपुर की संस्था चल रही है, नई संस्थायें भी उसी आधार पर चलनी चाहियें ।

जो नई संस्थायें खोली जायें उन के लिये मैं यह चाहता हूं कि उनका विधान विश्वविद्यालयों की भांति हो ।

यह बात मैं भी महसूस करता हूं कि प्रविधिक शिक्षा के विकास के मामले में सरकार बहुत मन्थर गति से आगे बढ़ रही है । इस विषय में श्री नि० बि० चौधरी ने जो आंकड़े दिये हैं वे महत्व-पूर्ण हैं । मेरी तो यह इच्छा है कि सरकार को देश में प्रविधिक संस्थाओं का एक जाल सा बिछा देना चाहिये । जब ऐसे विद्यालय खोले जायेंगे, तो विद्यार्थी उन का अवश्य ही लाभ उठायेंगे । अतः मैं आशा करता हूं कि इस विषय पर सरकार अवश्य ही अधिक ध्यान देगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं अब श्री मात्तन से अपना भाषण प्रारंभ करने को कहता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मात्तन** (तिरुवल्ला) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस बारे में पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जो सुझाव दिये हैं उन से मैं पूर्णतया सहमत है। साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि बोर्ड का गठन उदार सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिये और उस में प्रध्यापकों के प्रतिनिधि भी होने चाहिये और संसद् सदस्य भी होने चाहिये।

†**डा० म० मो० दास** : हम श्री सोधिया के इस संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं कि उसमें दो सदस्य इस सभा से और एक सदस्य राज्य सभा से लिया जाये।

†**श्री मात्तन** : इस के लिये मैं आप के धन्यवाद देता हूं। देश में ऐसी संस्थायें जितनी अधिक होंगी उतनी ही हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। त्रावनकोर-कोचीन में इंजीनियरिंग के अनेक स्कूल हैं जिन की अधिक उन्नति होने पर रोजगार बहुत बढ़ सकता है। प्रत्येक राज्य में एक प्रविधिक बोर्ड होना चाहिये, जिस का यह कर्त्तव्य हो कि वह ऐसी सब संस्थाओं पर नज़र रखे और उन्हें सहायता दे।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य इस समय राष्ट्रपति के शासन के अधीन है अतः इस समय सरकार उसकी सीधे तौर पर मदद कर सकती है। मैं आशा करता हूं कि इन सब बातों पर सरकार अवश्य ध्यान देगी।

†**डा० म० मो० दास** : मैं इस सभा का और उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है, बहुत आभारी हूं। माननीय सदस्यों के सुझावों और आलोचना से सरकार को टेक्नीकल शिक्षा के विकास संबंधी योजनायें कार्यान्वित करने में निश्चित ही सहायता मिलेगी।

पिछले ढाई घंटों में माननीय सदस्यों ने कई एक बातों का उल्लेख किया है। इस थोड़े समय में उन सभी बातों का उत्तर देना मेरे लिये असंभव है। इसलिये हमारे लिये एकमात्र मार्ग यही है कि हम कुछ बातों को चून लें और उस संबंध में सरकार की कार्यवाही के बारे में माननीय सदस्यों को आवश्यक जानकारी दें।

मुझे उन माननीय सदस्यों की बातें सुनकर बड़ा खेद हुआ जो भारत सरकार की कार्यवाहियों का महत्व कम कर रहे हैं। यह ठीक है कि स्वतंत्रता के पिछले नौ वर्षों में हम बहुत अद्भूत कार्य नहीं दिखा सकें हैं। किन्तु मेरा निवेदन है कि जो भी प्रगति हुई है वह नगण्य नहीं है। १९४७ में देश में उपाधि देने वाली संस्थायें २८ थीं और १९५५ में उनकी संख्या ४३ हो गयी है। बहुत शीघ्र ही ५ डिग्री कालेज खोले जा रहे हैं। जिनमें एक पेप्सू में, एक मध्य प्रदेश में, एक उड़ीसा में और दो मेरे मित्र श्री का० प्र० त्रिपाठी के प्रान्त में होंगे। इसके अतिरिक्त सारे देश में अनेक टेक्नीकल स्कूल खोले जा रहे हैं। जहां तक मुझे स्मरण है, देश में ५ इंजीनियरिंग कालेज और २१ टेक्नीकल स्कूल खोले जा रहे हैं। सरकार पहले ही यह निश्चय कर चुकी है।

इंजीनियरिंग कर्मचारी समिति की एक दूसरी सिफारिश यह है कि इन ५ इंजीनियरिंग कालेजों के अतिरिक्त इंजीनियरिंग और टेक्नालाजि के करीब १८ और डिग्री कालेज तथा ६२ स्कूल सरकार दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित करे। मैं यह नहीं कहता कि वह सरकार का अंतिम निश्चय है किन्तु सरकार उस प्रश्न के विभिन्न पहलूओं पर विचार कर रही है। मेरा सभा से यही कहना है कि इन आंकड़ों से यह दिखायी देगा कि टेक्नीकल शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने क्या प्रगति की है।

मैंने बताया है कि १९४७ में कुल डिग्री कालेज २८ थे, १९५५ में उनकी संख्या ४३ थी। १९४७ में ९५० उपाधिधारी निकले १९५५ में उनकी संख्या ३००० थी अर्थात् ३०० प्रतिशत वृद्धि हुई है। १९४७ में डिप्लोमा देने वाली संस्थायों या स्कूलों की संख्या ४१ थी १९५५ में उनकी संख्या ८३ थी। १९४७ में उनमें से ११५० छात्र तैयार हो कर निकले १९५५ में उनकी

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० म० मो० दास]

संख्या ३४७२ थी अर्थात् ३०० प्रतिशत अधिक। हमारा यह दावा नहीं है कि हमने कोई बहुत अदभूत कार्य किया है किन्तु हमारा निवेदन यह है कि हमने इमानदारी से यथा संभव प्रयत्न किया है और जो भी सफलता हम ने प्राप्त की है वह प्रशंसनीय है।

प्रादेशिकता की भावना के बारे में कुछ आलोचना की गयी है। सभा का यह सामान्य मत मालूम होता है कि चूंकि खड़गपुर संस्था पश्चिम बंगाल में स्थित है इसलिये पश्चिम बंगाल के छात्रों को अधिमान दिया जाता है। ऐसी बात बिलकुल नहीं है। वह केन्द्रीय सरकार की संस्था है। हरमाने में वह अखिल भारतीय संस्था है और उसके लिये खर्च की गयी हर पाई भारत की जनता से भारत की संचित निधि से प्राप्त हुई है। किन्हीं छात्रों को, जब तक कि वे वास्तव में योग्य न हों, कोई रियायात या विशेष अधिमान नहीं दिया जाता। मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक खड़गपुर प्रौद्योगिकीय संस्था का संबंध है, ३० प्रतिशत स्थान उन राज्यों के लिये रक्षित रखे गये हैं जहां उच्चतर इंजीनियरिंग कालेज नहीं हैं। मेरे माननीय मित्र श्री त० ब० विट्ठल राव ने मांग की है कि कम से कम ४० प्रतिशत स्थान दक्षिण के लिये सुरक्षित रखे जायें।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं ने पश्चिम बंगाल को छोड़ कर अन्य राज्यों के लिये कहा है।

†**डा० म० मो० दास** : यह सुझाव इस भावना से उत्पन्न हुआ है कि प्रवेश के मामले में पश्चिम बंगाल को कुछ अनुचित लाभ मिलता है। मैं आपको आंकड़े दूंगा। वर्ष १९५५–५६ में खड़गपुर इन्स्टीटयूट में कुल ३२७ व्यक्तियों की भरती हुई जिसके आंकड़े इस प्रकार हैं :

पश्चिम बंगाल	४०
उत्तर प्रदेश	६६
पंजाब	६९
उड़ीसा	३९
दिल्ली	४३

मेरा यह कहना है कि ये भरती पूर्णत: योग्यता के आधार पर की गयी है। जैसा कि मैं ने बताया, ३० प्रतिशत स्थान उन राज्यों के लिये सुरक्षित रखे गये हैं जहां इंजीनियरिंग कालेज नहीं हैं। उन राज्यों के लिये भी, भरती योग्यता के आधार पर की जाती है।

†**श्री बर्मन** : भर्ती के मामले में पिछड़े वर्गों के लिये क्या कोई विचार किया जाता है ?

†**डा० म० मो० दास** : जी हां।

†**श्री अय्युण्णि** : गत वर्ष वहां कितने स्नातकोत्तर छात्र पढ़ रहे थे ?

†**डा० म० मो० दास** : अभी हम इस कालेज को बढ़ा रहे हैं। स्नातकोत्तर विभाग अभी पूरी तौर से विकसित नहीं है। मैं समझता हूं कि केवल एक या दो विभाग स्थापित किये गये हैं।

दक्षिण के कई मित्रों ने आशंका प्रकट करते हुए बहुत कड़ी शिकायतें की हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि दक्षिण के साथ पहिले कोई अन्याय नहीं किया गया है और न अभी किया जा रहा है। मेरे माननीय मित्र श्री त० ब० विट्ठल राव ने कहा कि दक्षिण में कोई उच्चतर टेकनीकल इंस्टीटयूट नहीं है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनके यहां पूर्वी क्षेत्र की अपेक्षा बहुत पहले उच्चतर टेकनीकल इंस्टीटयूट बनाया गया था। वे बंगलौर के इंडियन इंस्टीटयूट आफ साइन्स को भूल रहे हैं जो खड़गपुर इंस्टीटयूट से भी बहुत पुराना है। उसके विषय में भी मैं बताना चाहता हूं कि चूंकी वह

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण प्रदेश के मध्य में स्थित है इस कारण वहां के छात्रों को कुछ अतिरिक्त सुविधा मिलती हो ऐसी बात नहीं है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यदि मद्रास में कोई उच्चतर प्रौद्योगिकीय शिक्षा संस्था स्थापित की जाती है जो किसी दिन स्थापित की जायेगी, तो यह सोचना गलत होगा कि मद्रास राज्य या किसी दूसरे राज्य के छात्रों को कोई अनुचित अधिमान मिलेगा। वे संस्थाएं कहीं भी स्थित हों, वे केन्द्रीय संस्थाएं हैं और बिना किसी भेदभाव के देश के सभी भागों के छात्रों के लिये वे खुले होंगे।

अन्य तीन प्रौद्योगिक संस्थाएं तुरन्त स्थापित करने में जो कठिनाइयां हैं उनके बारे में कुछ कहना जरूरी होगा। अपने प्रारम्भिक भाषण में मैंने बताया था कि १९४५ में भारत सरकार द्वारा श्री एन० आर० सरकार के नेतृत्व में स्थापित समिति ने सिफारिश की थी कि देश में चार उच्चतर प्रौद्योगिक संस्थाएं स्थापित की जायें जिनमें कि एक पूर्वी क्षेत्र में और दूसरी पश्चिमी क्षेत्र में एक साथ स्थापित हों और बाकी दो बाद में किसी समय। उसका कारण यह था कि इन संस्थाओं को स्थापित करने के लिये आवश्यक सामग्री और अध्यापक मिलने में बड़ी कठिनाई है। खड़गपुर इंस्टीटयूट में भी हम अनेक महत्वपूर्ण विभाग केवल इस कारण नहीं खोल पाये हैं कि उचित प्राध्यापक नहीं मिलते। हमारे पास उचित और योग्य व्यक्ति नहीं हैं जो इन विभागों को चला सकें। उनकी तलाश हमने न केवल इस देश में ही वरन् विदेशों में भी की है।

†**श्री म० कु० मैत्र** : क्या हमें ऐसे विभागों के बारे में जानकारी मिल सकती है ?

†**डा० म० मो० दास** : मेरे माननीय मित्र उस संबंध में अलग प्रश्न पूछें।

इस शृंखला की पहली संस्था खड़गपुर में स्थापित की गयी थी। दूसरी संस्था यूनेस्को की मदद से बम्बई में स्थापित की जा रही है। हमारी कठिनाई यह है कि हमारे पास योग्य प्राध्यापक नहीं हैं जो इन संस्थाओं को चला सकें। इसलिये अवश्य ही कुछ समय लगेगा जिससे छात्र इन संस्थाओं से निकल कर विदेश जायें और वहां से अधिक योग्य बनकर आयें और तब वे अन्य संस्थाओं को चला सकेंगे।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या हमें कुछ बताया जा सकता है कि उत्तर और दक्षिण में दो संस्थाएं कब खोली जायेंगी ?

†**डा० म० मो० दास** : इस सभा में एक प्रश्न के उत्तर में मैं पहले ही बता चुका हूं कि उत्तर और दक्षिण में ये दो संस्थाएं दूसरी पंचवर्षीय योजना के उत्तरार्ध में खोली जायेंगी। प्रत्येक उच्चतर टेकनीकल इंस्टीटयूट का विकास और आयोजन संबंधी कार्य एक बहुत बड़ा काम है। यदि इन तीनों संस्थाओं का काम एक ही साथ शुरू किया जाता है, तो देश में उपलब्ध सामग्री और योग्य व्यक्तियों को देखते हुए वह कार्य इतना बड़ा होगा कि उसे सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया जा सकता। उच्चतर टेकनीकल इंस्टीटयूट की मुख्य समस्या है इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकीय की विभिन्न शाखाओं में गवेषणा तथा स्नातकोत्तर उच्च अध्ययन चलाने के लिये योग्य और अनुभवी व्यक्तियों का अभाव। खड़गपुर इंस्टीटयूट के अनुभव से यह प्रकट होता है कि एक ही संस्था के लिये आवश्यक व्यक्ति बड़ी कठिनाई से मिल सके हैं। यदि ये तीनों संस्थाएं एक ही साथ खोली जायें तो उनके लिये आवश्यक कर्मचारियों का प्रबन्ध करना देश की शक्ति के बाहर होगा। इसी कारण से अन्य तीन संस्थाओं को स्थापित करने का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि वह पूरा किया जा सके। इसलिये यह निश्चय किया गया है कि पश्चिमी उच्चतर प्रौद्योगिक संस्था दूसरी योजना अवधि के पूर्वार्ध में और दक्षिणी तथा उत्तरी संस्थाएं उत्तरार्ध में स्थापित की जायें। जैसा कि मैंने पहले बताया है, यद्यपि खड़गपुर इंस्टीटयूट पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, फिर भी वह एक अखिल भारतीय संस्था है और उसमें बिना किसी प्रादेशिक पक्षपात के देश के सभी भागों के छात्रों को प्रवेश मिलता है। आशा है कि दक्षिण के मेरे मित्रों को इससे कुछ संतोष होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० म० मो० दास]

मैं उन्हें यह भी बता सकता हूं कि उत्तर की तुलना में दक्षिणी भाग के साथ कोई अन्याय नहीं किया गया है। जहां तक डिग्री कालेजों का संबंध है, दक्षिणी प्रदेश में २२ कालेज हैं जब कि उत्तरी प्रदेश में, १५, पूर्वी प्रदेश में १३, और पश्चिमी प्रदेश में १४ हैं। उसी प्रकार १९५५-५६ वर्ष में दक्षिणी प्रदेश से ५,९५० छात्र भर्ती किये गये जब कि उत्तरी प्रदेश से ३,१८०, पूर्वी प्रदेश से २,७४० और पश्चिमी प्रदेश से ३,९१० छात्र भर्ती किये गये।

आगे हमारी टेकनीकल शिक्षा संस्थाओं के प्राध्यापकों की सेवा की शर्तों के बारे में भी कुछ कहा गया है। यह सच है कि उन्हें दिये जाने वाले वेतन और उपलब्धियां उद्योगों और हमारी कुछ परियोजनाओं द्वारा दिये जाने वाले वेतनों की तुलना में बहुत कम हैं किन्तु यह स्थिति इसी देश तक सीमित नहीं है। यही समस्या ब्रिटेन और अमेरिका में भी है। शिक्षा संस्थाओं की तुलना में व्यापार और उद्योग योग्य व्यक्तियों को अधिक वेतन दे सकते हैं और स्वाभाविक तथा शिक्षा संस्थाओं को नुकसान होता है। हम इस कठिनाई को यथा संभव दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि खड़गपुर इंस्टीटयूट में वेतन स्तर बहुत खराब नहीं हैं। वहां निदेशक का वेतन क्रम २००० से २५०० रुपये तक है। अन्य वेतन क्रम इस प्रकार हैं : वरिष्ठ प्राध्यापक १६०० से १८०० रुपये तक, प्राध्यापक १००० से १५०० रुपये तक सहायक प्राध्यापक ६०० से ११५० रुपये तक।

प्राध्यापक के संबंध में वेतन क्रम ३५० रु०-८५० रु० है और सहायक प्राध्यापक का २६० रु०-५०० रु० है।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमंड हार्बर) : इतना तो साधारण टेकनीशियन को भी मिल जाता है।

†**डा० म० मो० दास** : बोर्ड के गठन के बारे में भी कुछ कहा गया है। प्रारम्भ से ही यह संस्था भारत सरकार द्वारा बनाई गई है। प्रथम डायरेक्टर डा० जे० सी० घोष थे जिन्होंने स्तुत्य कार्य किया है। माननीय मित्र श्री मैत्र ने कहा कि अध्यापकों को कोई प्रभुत्व नहीं दिया गया है। मैं उनका ध्यान विद्या संबंधी परिषद् के गठन की ओर आकर्षित करूंगा। उसमें प्रोफेसरों को समुचित प्रतिनिधान दिया गया है। हमारी इच्छा है कि विद्या संबंधी मामलों में प्रोफेसरों को भी विचार अभिव्यक्त करना चाहिये। लेकिन हमारा मत है कि नीति संबंधी अन्य विशद मामलों में उन्हें किसी प्रकार के अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मित्र को मैं बता दूं कि मैसाच्यूट इंस्टीट्यूट में भी यही स्थिति है। वहां पर भी प्रशासनिक संबंधी मामलों में अध्यापकवर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है मैं उक्त संस्था की **सामान्य जानकारी** से पढ़ रहा हूं।

†**श्री म० कु० मैत्र** : उसके पढ़ने की क्या आवश्यकता है ? इस संस्था में नीग्रो जाति के विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाता है।

†**डा० म० मो० दास** : कुछ और बातें भी बताई गई थीं किन्तु उन सब की चर्चा करना संभव नहीं है।

केवल एक बात जो मुझे अब कहना है वह विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के संबंध में श्री स० चं० सामन्त का संशोधन है। इस दिशा में मेरा निवेदन है कि यह एक छोटा सा विधेयक है। यद्यपि यह कुछ सीमा तक विवादास्पद है तथापि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अतः हमे प्रवर समिति को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय मित्र से मेरी प्रार्थना है कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

संशोधन सभा के अनुमति से वापस लिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि Indian Institute of Technology, Khadagpure (भारतीय प्रौद्योगिक संस्था, खड़गपुर) के नाम से प्रसिद्ध संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने वाले तथा इसके निगमन और इससे संबंधित अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३ और ४ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड ५—(वर्तमान कर्मचारियों की सेवाओं की बदली)

†**श्री नि० बि० चौधरी** : इस खंड के संबंध में मेरे तीन संशोधन हैं। उनकी संख्या ८, ९ और १० है।

हमारी इच्छा है कि 'स्थायी' शब्द के पश्चात् 'अस्थायी' शब्द भी रखा जाये। चूंकि संस्था की स्थापना हाल ही में की गई है और कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने वहां तीन या चार वर्षों तक काम किया है अथवा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं जो अभी भी स्थायी हों। अब यह संस्था राष्ट्रीय महत्व का रूप धारण कर रही है अतः उसके कर्मचारियों से इस प्रकार का भान नहीं होना चाहिये कि उन पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

अब मैं अपने दूसरे संशोधन को लेता हूं। हमारी इच्छा यह है कि यहां इस बात का उपबन्ध विशिष्ट रूप से किया जाये कि संस्था के प्राधिकारियों द्वारा ऐसे परिवर्तन न किये जायें जिनसे किसी कर्मचारी की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

प्रयोगशाला सहायक तथा निचली श्रेणियों के अन्य कर्मचारियों का उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं। इनके वेतन क्रम के बारे में माननीय मंत्री ने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधियों को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था किन्तु कोई नतीजा नहीं निकला। हम इस आशय का आश्वासन चाहते हैं कि इन कर्मचारियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अब मैं अपने तीसरे संशोधन को लेता हूं। हो सकता है कि किसी कर्मचारी ने कुल मिला कर पन्द्रह से लेकर बीस वर्ष तक काम किया हो क्योंकि यह संभव है कि इस संस्था में कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनका स्थानान्तरण किया गया था और इससे पहले वे कहीं अन्यत्र काम करते थे। ऐसी स्थिति में उनको तीन मास के वेतन से, जैसा कि इस विधेयक में उपबन्ध किया गया है, कुछ अधिक वेतन पाने का अधिकार है। इसलिये मैं यह उपबन्ध विषेश रूप से करना चाहता हूं कि नौकरी से अलग करने की स्थिति में उन्हें सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक मास का, अथवा कुल तीन महीनों का वेतन, जो भी अधिक हो, दिया जाना चाहिये।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरे तीनों संशोधनों को स्वीकार करेंगे।

†**डा० म० मो० दास** : यह विशिष्ट खंड उन कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिये है जो पहले से इस संस्था में काम करते हैं और चूंकि यह केन्द्रीय सरकार की एक संस्था है इसलिये वे अब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं। किन्तु इस अधिनियम में लागू होने पर जब यह संस्था एक स्वशासी बोर्ड के अधीन हो जायेगी तो उनकी क्या स्थिति होगी ? हम उनके हितों की रक्षा करना चाहते हैं। उन पर यह लागू नहीं होगा। यह खंड उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगा जो पहले से इस संस्था में काम कर रहे हैं। यह खंड केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी होने के नाते उनके हितों की रक्षा करता है। यदि कोई कर्मचारी अस्थायी है तो उसकी सेवा की शर्तें उसके साथ किये गये संविदे के अनुसार होंगी। हो सकता है कि उसने केवल एक महीना काम किया है। उदाहरण के लिये एक वस्तु-कला विशारद को लीजिये। उसे किसी नये भवन का डिजाइन बनाने के लिये एक महीने के लिये नियुक्त किया जाता है। यदि मैं अपने माननीय मित्र का संशोधन स्वीकार करता हूं तो नौकरी छोड़ने से पहले हमें उसे तीन माह का वेतन देना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नि० बि० चौधरी** : यह भी हो सकता है कि उसने दस वर्ष तक काम किया हो।

†**डा० म० मो० दास** : संस्था को दस वर्ष नहीं हुए। यह केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का तात्पर्य यह है कि यदि किसी कर्मचारी को सेवा-मुक्त कर दिया जाय तो सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिये एक मास के वेतन को प्राप्त करने का विकल्प दिया जाय।

†**डा० म० मो० दास** : यह सामान्य सरकारी प्रथा नहीं है, अतएव मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८, ९ और १० मतदान के लिये प्रस्तुत किए गए तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ६ से ८ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड ९—(विज़िटर)

†**श्री के० सी० सोंधिया** : मेरे संशोधन संख्या १ और २ हैं।

कहा गया है कि विज़िटर चाहे तो किसी संस्था के कार्य के बारे में जांच करने के लिये एक या दो व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है तथा उनके प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर आवश्यक समझे तो उचित कार्यवाही कर सकता है अथवा निर्देश जारी कर सकता ह। ऐसी जांच के लिये अवधि का निश्चित कर देना ज़रूरी है। इसी लिये मैं ने 'तीन वर्ष या इससे पहले' की अवधि अपने संशोधन में रखी है। दूसरा संशोधन यह है कि विज़िटर द्वारा की गई कार्यवाही या दिए गए निर्देशों की एक प्रति संसद् में प्रस्तुत की जाए। संस्था के हित में ये दोनों संशोधन आवश्यक हैं।

†**डा० म० मो० दास** : मुझे खेद है कि मैं माननीय मित्र के इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता। ये दोनों उपखण्ड विश्व भारती अधिनियम तथा दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम से लिए गए हैं तथा उनमें ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। कोई कारण नहीं कि ऐसे उपबन्ध इस विषय विशेष में क्यों किए जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री के० सी० सोधिया के संशोधन सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ९ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १० विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ११—(बोर्ड)

†**श्री नि० बि० चौधरी**: मैं अपने संशोधन संख्या ११ तथा १२ प्रस्तुत करते हुये यह कहना चाहता हूं कि मेरा संशोधन संख्या ११ श्री सोधिया के संशोधन संख्या ४ के समान ही है तथा मंत्री महोदय ने श्री सोधिया के संशोधन को स्वीकार करने की सहमति भी दे दी है। इस संबन्ध में मैं

---

†मूल अंग्रेजी में

यह कहना चाहता हूं कि प्रथम पंच वर्षीय योजना की कमियों तथा धीमी प्रगति के सम्बन्ध में जो आलोचना हुई है उसकी दृष्टि में यह आवश्यक है कि योजना की प्रगति का पूर्ण ध्यान रखा जाये। इसलिये इंस्टीट्यूट के प्रबन्धकों के बोर्ड में एक और सदस्य का होना आवश्यक है।

संशोधन संख्या १२ के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने बताया था कि मेसाचूज़ेट्स इंस्टीटचट आफ टेकनोलॉजी के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था परिनियम में नहीं है, इस लिये वह इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि अध्यापकों में से भी एक को रखने में क्या हानि है। यह बताया जा चुका है कि उस इंस्टीच्यूट में नीग्रों लोग प्रवेश नहीं पा सकते हैं। तब यही आदर्श क्यों मान लिया गया है?

सरकारी नीति है कि कर्मचारियों का उद्योग के प्रबन्ध में एक प्रतिनिधि रहे। तब इस इंस्टीटचूट में ऐसी व्यवस्था करने में क्या हानि है? इस इंस्टीच्यूट में अर्हता प्राप्त योग्य प्रोफेसर हैं जिनका परामर्श लिया जा सकता है। इसका कोई कारण नहीं कि उनमें से किसी को भी न रखा जाये।

प्रत्येक कालिज की व्यवस्था करने वाली संस्था में प्रोफेसरों का प्रतिनिधि होता है। जब सरकार लोकतंत्रीय समाजवाद का ढ़िढ़ोरा पिटती है तब इसको स्वीकार करने में केवल इसलिये कि मेसाचुज़ेट्स में ऐसा नहीं है, नहीं हिचकिचाना चाहिये। हमारा विचार है कि प्रोफेसरों का एक प्रतिनिधि इसमें होना चाहिये।

†**श्री खू० चं० सोधिया** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ५,

(१) पंक्ति १४ में 'two members' [दो सदस्य] शब्द के स्थान पर 'three members' [तीन सदस्य] शब्द रखे जायें।

(२) पंक्ति १४ में 'one' [एक] शब्द के स्थान पर 'two' [दो] शब्द रखा जाये।

(३) पंक्ति १६ में 'the other' [अन्य] के स्थान पर 'one' [एक] शब्द रखा जाये।

इसके अतिरिक्त, मेरा संशोधन संख्या ३ है जिसके अनुसार में अखिल भारतीय परिषद् में दो व्यक्तियों का नामनिर्देशन कराना चाहता हूं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : श्री चौधरी का यह संशोधन कि बोर्ड में अध्यापकों में से एक सदस्य होना चाहिये, उचित ही है। यदि आप भारत के कालिजों के संविधानों को देखें तो आपको जानकारी होगी कि कोई वरिष्ट प्रोफेसर प्रशासन से सम्बद्ध होता है। मैं चाहता हूं कि यदि अध्यापकों में से एक प्रतिनिधि ले लिया जाये तो प्रशासन में सुधार होगा।

†**डा० म० मो० दास**: मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव का ध्यान विधेयक के खण्ड १४ की ओर आकर्षित करता हूं। यह इस प्रकार है :—

एकेडेमिक परिषद् के निम्न व्यक्ति होंगे, नामतः—

(क) पदेन निदेशक, जो परिषद् का सभापति होगा ;

(ख) पदेन उप-निदेशक, जो परिषद् का उप-सभापति होगा ;

(ग) पदेन, रजिस्ट्रार ;

(घ) इंस्टीटचूट में अध्यापन के लिये नियुक्त तथा इस्टीटचूट द्वारा मान्यता प्राप्त प्रोफेसर....

(ङ) और दूसरे ऐसे कर्मचारी जिनका कि परिनियम में उल्लेख है।

यह एकेडैमिक काउंसिल समस्त विद्या सम्बन्धी गतिविधियों का नियन्त्रण करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री म० कु० मैत्र** : नहीं श्रीमान।

†**डा० म० मो० दास** : प्राध्यापकों का अध्ययन कार्य से निकट का संबंध होता है और जहां तक आधिविद्य जीवन का सम्बन्ध है, सभी कुछ एकेडैमिक काउंसिल के हाथ में है। और जहां तक प्रशासन और नीति का सम्बन्ध है, यह कार्य बोर्ड के हाथों में है, इस लिये मैं नहीं समझता कि इसे स्वीकार करना उचित होगा।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : आपने ग्यारह सदस्यों की व्यवस्था की और अब इस संशोधन के द्वारा उसे १२ किया जा रहा है, तो यदि एक सदस्य अध्यापकों में से भी हो तो आपकी नीति पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा?

†**डा० म० मो० दास** : जहां तक विद्या संबंधी मामलों का सम्बन्ध है, उनकी आवाज सुनी जायेगी, परन्तु जहां तक प्रशासन का संबंध हैं, मैं नहीं समझता कि ऐसा करना आवश्यक है।

†**श्री म० कु० मैत्र** : मंत्री महोदय ने कहा कि शिक्षा संबंधी मामले पर एकेडैमिक काऊंसिल का नियन्त्रण रहेगा। परन्तु मंत्री महोदय यदि विधेयक को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि बोर्ड ही परिनियम बनायेगा और इन्ही परिनियमों के द्वारा पाठ्य पुस्तकें और पाठ्यक्रम निश्चित किये जायेंगे।

†**डा० म० मो० दास** : अध्यादेश कौन बनायेगा? वे एकेडैमिक काउंसिल द्वारा बनाये जायेंगे।

†**श्री क० कु० बसु** : बोर्ड और काउंसील में मतभेद होने की स्थिति में अन्तिम राय तो बोर्ड ही की होगी। अतः विद्या सम्बन्धी मामलों में अन्ततः बोर्ड की राय ही सर्वोपरि रहेगी। इस लिये विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों के प्रतिनिधि होने चाहियें।

†**डा० म० मो० दास** : खेद है मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ३ और ४ में से किसी को भी नहीं?

†**डा० म० मो० दास** : जहां तक श्री सोधिया के संशोधन संख्या ४ का संबंध है वह हमें स्वीकार है। श्री चौधरी का भी ऐसा ही संशोधन है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या ४ स्वीकार है? प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ५,

(१) पंक्ति १४ में शब्द "two members" ["दो सदस्यों"] के स्थान पर शब्द "three members" ["तीन सदस्य"] रखे जायें।

(२) पंक्ति १४ में शब्द "one" ["एक"] के स्थान पर शब्द "two" ["दो"] रखा जाय।

(३) पंक्ति १६ में शब्द "the other" ["दूसरे"] के स्थान पर शब्द "one" ["एक"] रखा जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३ और १२ मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खंड ११ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ११, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १३ से २५

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं खंड १३ से २५ को मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि उनके सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है।

†**श्री स० चं० सामन्त**: मुझे खंड संख्या १९ और २२ के संबंध में कुछ कहना है। खंड १९ पंजीयक (रजिस्ट्रार) को वित्त समिति और बोर्ड का सचिव होने के अधिकार प्रदान करता है। वह संस्था के अभिलेखों, निधियों और अन्य सम्पत्तियों का अभिरक्षक है, परन्तु बैठक में उसे बोलने का अधिकार नहीं है। क्या मंत्री महोदय उसे ऐसा सदस्य बना सकते है जिसे मत देने का अधिकार न हो।

खंड २२ के उपखंड (२) में कहा गया है कि संस्था की समस्त निधि उस रीति से, जो कि उक्त संस्था सरकार के अनुमोदन से निश्चय करे, किसी बैंक में जमा कराई जायेगी अथवा विनियोजित की जायेगी। यह एक शिक्षा संस्था है और वह भी औद्योगिक प्रशिक्षण के लिये, इस लिये इसका धन किसी अन्य प्रकार से विनियोजित न करा कर राज्य बैंक में रखा जाना चाहिये । मेरा संशोधन इसी संबंध में है। आशा है सरकार इसे स्वीकार करेगी।

†**डा० म० मो० दास** : अन्तर यह होगा कि यदि धन को किसी बैंक में रखा जायेगा तो हमें ब्याज नहीं मिलेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : धन का विनियोग तो तभी होगा, जब खर्चे से कुछ बचेगा।
प्रश्न यह है :

"खंड १३ से २५ विधेयक के अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १३ से २५ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड २६ और २७ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड २८--(संविधियां कैसे बनें)

†**श्री खू० चं० सोधिया** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ११ की पंक्ति १० के अन्त में यह जोड़ दिये जाय :

"and a copy of the same shall be laid before Parliament"
["और उसकी एक प्रति संसद के समक्ष रखी जायगी"]

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री को यह स्वीकार है।

†**डा० म० मो० दास** : नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : संसद् का इस संस्था से कोई संबंध नहीं है, परन्तु यदि नियम आदि बनने पर उन्हें सभा पटल पर रखा जाय तो उसमें क्या हानि है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० म० मो० दास** : यदि आपका यह विचार है, तो मुझे स्वीकार है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय को संशोधन स्वीकार है।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ११ की पंक्ति १० के अन्त में यह जोड़ दिया जाये :

"and a copy of the same shall be laid before the Parliament"
["और उसकी एक प्रति सभा के समक्ष रखी जायेगी"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खंड २८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २८, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड २८ से ३१, खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड दिये गये।

†**डा० म० मो० दास** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये"।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

†**श्री क० कु० बसु** : इस विधेयक को सदन का सामान्य समर्थन प्राप्त हो गया है, इस कारण पहले मैंने चर्चा में भाग नहीं लिया था। परन्तु बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में मुझे मंत्री महोदय के रवैय्ये से काफी दुख हुआ है। इस बात का तो सदन के सभी पक्षों द्वारा स्वागत किया गया है कि राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के विकास के लिये हम एक बड़ी राष्ट्रीय संस्था का निर्माण कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहां प्रविधिक शिक्षा अथवा प्रविधिक कर्मचारी वर्ग का अभाव है। इसलिये इससे सारे देश को ही लाभ पहुंचेगा। खंड ११ बोर्ड के गठन से सम्बन्धित है। यह एक सरकारी विभाग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस सदन के तीन सदस्यों और अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद के एक मनोनीत सदस्य के अतिरिक्त बाकी सभी सदस्य किसी प्रकार से सरकार के प्रतिनिधि होंगे। इस बोर्ड में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति भी होंगे। परन्तु नवीन सभापति को तो प्रविधिक शिक्षा के सम्बन्ध में कोई विशेष ज्ञान नहीं है। अतः इस संस्था को एक सरकारी विभाग की तरह नहीं चलाया जाना है। हम इस संस्था को इस प्रकार चलाना चाहते हैं कि जिससे शीघ्र ही देश में प्रविधिक कर्मचारी वर्ग की कमी पूरी हो सके। अमेरिका की एक संस्था का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है परन्तु हमें ध्यान रखना चाहिये कि हमारी समस्यायें दूसरी ही हैं। यहां हमारी सरकार कहती तो है कि हमारी संसदीय सरकार है हम लोक तंत्रात्मक प्रणालियों के अनुसार चल रहे हैं, परन्तु कई दूसरे देशों में न इस प्रकार की संसद है और न इस प्रकार की समाजिक और आर्थिक योजना ही बनायी गयी है।

इस संस्था में भी प्रोफेसरों को प्रतिनिधित्व देने से इन्कार किया गया है। इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा के समय माननीय मंत्री स्वंय उपस्थित नहीं थे। पंडित ठाकुर दास भार्गव जैसे वरिष्ठ सदस्यों के मत की भी उपेक्षा की गयी। हमारी ओर शिक्षा संस्थाओं को सम्पत्ति नहीं समझा जाता है। नियमों में अध्यापकों के प्रतिनिधियों को लिये जाने की व्यवस्था होती है। इस कथन में कोई सार

†मूल अंग्रेजी में

नहीं है कि अध्यापन और प्रशासन एक दूसरे से विभिन्न चीज हैं। प्रोफेसर जो प्रतिदिन विद्यार्थियों के सम्पर्क में आते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि विद्यार्थियों की आवश्यकतायें और प्रतिक्रियायें क्या हैं। वह शिक्षा प्रणाली, पद्धति और फीस इत्यादि के सम्बन्ध में परामर्श दे सकते हैं। बोर्ड में चार सदस्यों के अतिरिक्त बाकी सभी सरकार के प्रतिनिधि हैं। विधेयक के पारित होते ही स्वयं संसद को भी उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। यह कहा जायेगा कि वह एक स्वायतशासी निकाय है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जब कि हम इतनी बढ़ी एक संस्था का निर्माण कर रहे हैं तो हमें इसकी इस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिये कि यह दूसरों के लिये उदाहरण बन जाये। शताब्दियों से शिक्षकों को प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता रहा है, परन्तु अब हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि वे प्रशासन में भाग लेने के योग्य नहीं हैं। इस संस्था में तो हमें ऐसे शिक्षक चाहियें जो कि शिक्षण के साथ साथ गवेषणा का कार्य भी करें। इस संस्था का देश में एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। इससे हमारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधरेगी। परन्तु अब भी लार्ड कर्जन के समय की मनोवृत्ति कायम है जब कि शिक्षा भी सरकार के नियन्त्रण में चलती थी। संसद का उस बोर्ड पर कोई नियन्त्रण नहीं होगा। सरकार को शीघ्र ही इसमें संशोधन करना चाहिये।

†**डा० म० मो० दास** : मुझे इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहिये कि मैंने श्री चौधरी के संशोधन को स्वीकार नहीं किया। हमें किसी प्रोफेसर को बोर्ड में लेने पर आपत्ति नहीं है। परन्तु संस्था के भीतर किसी प्रकार की दल बन्दी अथवा चुनाव आन्दोलन हम नहीं चाहते हैं। (**अन्तर्बाधाएं**) इसका अर्थ यह है कि संस्था में राजनीतिक दलबन्दियां और गुटबाजियां हो जायेंगीं। इसी कारण से मैंने संशोधन को स्वीकार नहीं किया है।

इस संस्था का उसी प्रकार से विकास किया जाना है जैसी कि अमेरिका की प्रसिद्ध मैसाचुसेट प्रौद्योगिक संस्था है। वहां भी यही है कि प्रशासनिक निकाय में प्रोफेसरों अथवा अध्यापन कर्मचारी वर्ग नहीं है। हम राजनैतिक दलबन्दियों, गुटबाजियों तथा चुनाव आन्दोलन चलाने के लिये कोई गुंजायश नहीं रखना चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाप तथा तोल मापदण्ड विधेयक

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं प्रस्ताव करता हूं : *

"कि दशमलव प्रणाली के आधार पर बाटों तथा मापों के प्रमापों को निश्चित करने वाले विधेयक की ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को जिसमें ३० सदस्य इस सभा के हों : श्री र० द० मिश्र, श्री थानू पिल्ले, श्री भागवत झा आजाद, श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन, श्री म० मैथ्यूकृष्णन, श्री यू० आर० वोगावत, श्री अकबर चावड़ा, श्री म० ब० वैठय ,श्री गणपति राम, श्री सुन्दर लाल, श्री अ० र० सेवल, श्री खूब चन्द सोधिया, श्री तेलकीकर, श्री म० न० मालवीय, श्री बलवन्त सिंहमेहता, सरदार अकरपुरी, श्री बासप्पा, श्री ल० ज० सिंह, श्री अच्युतन, श्री कमल कृष्ण दास, श्री बिरेन्द्रनाथ कधम, श्री भवानी सिंह, श्री न० रामस्वामी, श्री व० पे० रेड्डी, श्री ही० न० मुकर्जी, श्री म० शि० गुरुपादस्वामी, श्री र० न० सिंह, श्री नन्दलाल शर्मा, श्री केलाश पति सिन्हा, श्री नित्यानन्द कानूनगो, और १५ सदस्य राज्य सभा के हों, सौपा जाये;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्त्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई होगी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री कानूनगो]

कि समिति इस सभा को २० नवम्बर, १९५६ तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम अगले दिन इस पर चर्चा करेंगे ।

(इसके पश्चात् लोक सभा, सोमवार, २७ अगस्त, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शनिवार, २५ अगस्त, १९५६]

पृष्ठ

राज्य सभा से सन्देश १४३८

सचिव ने बताया कि राज्य सभा ने अपनी २ अगस्त, १९५६ की बैठक में भारतीय चिकित्सा परिषद विधेयक पारित कर दिया ।

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक–सभा-पटल पर रखा गया . . . १४३८

सचिव ने राज्य सभा द्वारा पारित रूप में भारतीय चिकित्सा परिषद विधेयक सभा-पटल पर रखा ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित १४३८

चालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

सदस्य का त्याग पत्र १४३९

अध्यक्ष ने सभा को बताया कि श्री चि० द्वा० देशमुख ने २७ अगस्त, १९५६ से लोक-सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है

विधेयक प्रवर समितियों को सौंपे गये १४३९–४१

शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) ने स्त्री तथा लड़कियों को अनैतिक पण्य दमन विधेयक तथा राज्य सभा द्वारा पारित रूप में बाल विधेयक प्रवर समितियों को सौंपने के प्रस्ताव रखे । प्रस्ताव स्वीकृत हुए

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक-प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव का संशोधन . १४४१

श्रीमती कमलेन्दुमती शाह ने स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव, जो लोक-सभा द्वारा २४ अगस्त १९५६ को स्वीकृत किया गया था, में संशोधन प्रस्तुत किये। संशोधन स्वीकृत हुए। प्रवर समिति में दो नाम और जोड़ दिये गये तथा प्रतिवेदन देनें का समय बढ़ा दिया गया ।

विधेयक पारित १४४१–८१

(१) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक पर खंडवार विचार किया गया तथा विधेयक स्वीकृत हुआ

(२) शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) ने भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था (खड़गपुर) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खंडवार विचार के पश्चात विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया

[दैनिक संक्षेपिका]

पृष्ठ

धेयक विचाराधीन १४८१–८२

उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) ने तोल और माप मानदन्ड विधेयक संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

ामवार, २७ अगस्त, १९५६ के लिए कार्यावलि––

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, १९५६-५७––त्रावनकोर-कोचीन राज्य पर चर्चा तथा तोल और माप मानदन्ड विधेयक संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्तावपर विचार।